खण्ड-362, अंक-1
शुक्रवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(18 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1—5
प्रश्नोत्तर	..	6—74
उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मजदूरों के बकाये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना—		75
कोटद्वार (गढ़वाल) में गरीब हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों के मकानों को एम0 ई0 एस0 (रक्षा विभाग) द्वारा तुड़वाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना—		76
बिजली की आपूर्त्ति न होने से प्रदेश के सरकारी नलकूपों के बेकार पड़े रहने से सिंचाई कार्य में अवरोध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना—		76
ग्राम लहडा (गोरखपुर) के आस-पास की 600 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना—		77
गोण्डा नगरपालिका सब्जी मण्डी के शौचालय की मरम्मत और सफाई न होने से बीमारी फैलने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-		77
प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न		78
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ—		79
उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 (राजपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	..	82
18 फरवरी 1983 को उर्दू अध्यापकों के सम्बन्ध में दी गई नियम 301 की सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न—		82–83
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग	..	84–143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें—	..	144
उत्तर-प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 1983 (स्थगित)	..	144–149
नत्थियाँ	..	150–162

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--338

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)

गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री, (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल; श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री, (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)

पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम. श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)

राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वारेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)

शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 18 मार्च, 1983 ई0

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

बढ़नी गन्ना समिति द्वारा बस्ती चीनी मिल व अन्य चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति तथा प्राप्त गन्ना मूल्य

श्री माता प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)—

1 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शुगर फैक्ट्री बस्ती की विगत पांच वर्षों की रिकवरी बस्ती जनपद की अन्य शुगर फैक्ट्रियों की अपेक्षा अधिक है ? क्या यह सही है कि बढ़नी सहकारी गन्ना समिति उक्त फैक्ट्री तथा अन्य फैक्ट्रियों को गन्ने की पूर्ति करती है ? क्या पूर्ति किए हुए गन्ने के मूल्य में विभिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्यमंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

जी हाँ।

बढ़नी गन्ना समिति द्वारा बस्ती चीनी मिल व दो अन्य चीनी मिलों (खलीलाबाद) (बस्ती), आनन्दनगर (गोरखपुर) को आपूर्ति किया जाता है। वर्तमान में इन सभी चीनी मिलों द्वारा समान गन्ना मूल्य दिया जा रहा है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, आपने बताया कि बढ़नी में पूर्ति की जा रही है, क्या आपको जानकारी है कि इसकी रिकवरी जब ज्यादा है, तो मूल्य भी उसको मिलना चाहिए; तो बढ़नी जो यूनियन है, यह सारा पैसा दाब कर बैठ गयी है, काश्तकारों को एक पैसा भी नहीं दिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मान्यवर, गन्ना किसानों को कब तक पैसा वह दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप अनुमान से प्रश्न कर रहे हैं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

मान्यवर, मैं यह सही कह रहा हूं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मेरी भी समझ में नहीं आया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

नोट:—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की रुचि पर लिया गया।

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर यह जो गन्ना समिति आनन्द नगर को सप्लाई कर रही है उसका मूल्य गन्ना किसानों को 20-50 नहीं दे रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इसकी जांच कराकर उक्त मूल्य दिलवाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह सही है कि भाड़े वगैरह का वह ज्यादा काट रहे हैं, उसके बारे में हम परामर्श कर रहे हैं, जो वाजिब हो वह दिया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, वह किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दे रहे हैं। क्या इसकी जांच कराकर किसानों को भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

रिसीवर के नियंत्रण में चलने वाली सिसवा बाजार चीनी मिल गोरखपुर द्वारा उत्पादित चीनी में कथित शीरा अधिक लेने तथा विषाक्त होने की जांच

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

* 2 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रिसीवर के नियन्त्रण में चलने वाली महावीर चीनी मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर में उत्पादित चीनी में 30 से 40 प्रतिशत शीरा होने तथा इसके विषाक्त होने की पुष्टि अगस्त, 1982 में विशेषज्ञों ने की थी ? क्या यह भी सच है कि जून, 1982 में ही पी0 सी0 एफ0 ने उक्त आशय की शंका व्यक्त की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी नहीं। मिल तथा पी0 सी0 एफ0 गोरखपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। सिसवा बाजार चीनी मिल का प्रबंध जून, 1982 के न्यायालय के स्थगन आदेशों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर की देख-रेख में मिल मालिक के पास है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मेरी सूचना को सही मान कर कि उस चीनी मिल की चीनी को परीक्षण करने के लिए नेशनल लेबोरेट्रीज कलकत्ता भेजा गया था और उसके बाद जो परिणाम आया 30 से 40 प्रतिशत मोलाइसिस है। क्या इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस तरह की जानकारी नहीं है। जो शकर बनी है वह 52 हजार 860 बोरा थी और उसमें इस तरह की किसी शिकायत का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरी निजी जानकारी के आधार पर नेशनल लेबोरेट्रीज कलकत्ता परीक्षण के लिए भेजा गया था, पी0 सी0 एफ0 ने खरीदा था, उसने

एतराज किया कि इसमें मोलाइसिस है तब उसका परीक्षण कराया और उसकी रिपोर्ट में 30-50 प्रतिशत मोलाइसिस पाया गया। तो क्या इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मारकण्डेय चन्द---

माननीय सदस्य ने अपनी जानकारी के आधार पर यह कहा, मैं भी अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि क्या आप पी0 सी0 एफ0 के अधिकारियों को कोई पत्र दे कर के इसकी जानकारी करायेंगे कि पी0 सी0 एफ0 के अधिकारियों ने कहा था कि इसमें मोलाइसिस है, इसलिए एतराज किया था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

जो भी शकर की मिले हैं, जो उत्पादन होता है, क्या उनका रसायनिक परीक्षण होता है ? यदि हाँ, तो क्या संबंधित मिल का परीक्षण हुआ ? यदि हुआ, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

जो माननीय सदस्य चन्द साहब ने कहा, उसकी पुष्टि मैं भी करता हूँ। जो सामान खरीदता है, उसको प्रतीत हुआ कि घटिया है। तो क्या पी0 सी0 एफ0 के अधिकारियों से इसकी पुष्टि करायेंगे कि उनकी क्या शिकायत रही है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दे दिया गया है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरी यह निश्चित जानकारी है मा0 मंत्री जी ने कहा कि लिखकर दे दीजिये, जांच करा लेंगे। मैं आदरणीय सदन में कह रहा हूं, आरोपों को जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूं, लिखकर देने की जरूरत नहीं है। विभाग ने तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है। सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पी0 सी0 एफ0 के अधिकारियों से भी इस संदर्भ में पत्राचार करके इस सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

मान्यवर, न इसमें शासन को लाभ है और न ही विभाग तथ्यों को छिपाना चाहता है। अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है, लिखकर दे दीजिये जांच करा लेंगे।

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

<u>सिसवा चीनी मिल गेट पर श्री रणजीत पाण्डेय व श्री कैलाशपति सिंह द्वारा अनशन व माँगें।</u>

श्रीमती गौरी देवी---

*1 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर स्थित सिसवा चीनी मिल गेट

पर किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान तथा मजदूरी की समस्याओं को लेकर रणजीत पाण्डेय व कैलाशपति सिंह 2 अक्तूबर, 1982 से अनशन पर बैठे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और भुगतान के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री रणजीत पाण्डेय व श्री कैलाशपति मिश्र न कि कैलाशपति सिंह द्वारा प्रथक-प्रथक अनशनकारी कैम्प मिल गेट पर दिनांक 2-10-82 से स्थापित कर अनशन प्रारम्भ किये गये थे और दोनों अनशनकारियों की मुख्य मांगें सिसवा समिति के माध्यम से आपूर्ति किये गये गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान कराने तथा गन्ना मूल्य के भुगतान आदि में हुई अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की थीं ।

सिसवा समिति के माध्यम से सिसवा चीनी मिल के अतिरिक्त आस-पास की अन्य चीनी मिलों को भी 1981-82 में गन्ना आपूर्ति की गयी थी। सिसवा के अतिरिक्त अन्य जिन चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की गयी उनसे प्राप्त समस्त धन सम्बन्धित कृषकों को भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार केवल 4.01 लाख रु0 पाना शेष है जिसके प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है। सिसवा बाजार चीनी मिल पर गत वर्षों का वर्तमान पेराई सत्र के आरम्भ में कुल 93.38 लाख रु0 गन्ना मूल्य अवशेष था जिसके विरुद्ध वर्तमान स्थिति के. अनुसार केवल 23.80 लाख रु0 अवशेष है जिसके भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

जो गन्ना मूल्य अन्य चीनी मिलों से गत सीजन में सिसवा समिति में प्राप्त हुआ और उसका आंशिक भुगतान सिसवा मिल गेट क्षेत्र में करने के कारण अनियमितताएं हुईं उसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाई की गई ।

श्रीमती गौरी देवी--

सिसवा तथा अन्य मिलों का जो एक करोड़ के लगभग बकाया है उसको दिलाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है। कब तक भुगतान हो जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी किसानों का भुगतान हो जाये।

श्रीमती गौरी देवी--

किन-किन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

20 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। 6 को निलम्बित किया गया तथा 24 को नौकरी से निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि क्या जो अनशनकारी थे उनकी एक मांग यह भी थी कि क्या जो पैसा सेन्टर के लिये मिला था दूसरी मिलों से उसका भुगतान गेट पर किया गया ? ऐसे लोगों के नाम चेक बने जिन्होंने गन्ना बोया ही नहीं। जिन्होंने गन्ना सप्लाई नहीं किया उनके नाम एक-एक लाख, डेढ़-डेढ़ लाख के चेक बनाये गये। क्या इसके

जांच करायेंगे कि इसका कौन दोषी है। मान्यवर, एक प्रश्न और कि सिसवा बाजार में पेमेंट नहीं हुआ था। गरीबों ने 50 प्रतिशत पर पर्चियाँ बेंच दी थीं। व्यापारियों ने बड़े-बड़े बंडल पर्चियों के लेकर चेक बनवा लिये। न गन्ना बोया न सप्लाई किया।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

इसी की जांच हो रही है।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

श्री हरगोविन्द वर्मा——

*2 क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय बढ़े हुए लगान, बढ़ी हुई खाद के दाम, बढ़े हुए बिजली के मूल्य तथा बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुए निर्धारित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो वह मूल्य क्या होगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

2——भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य प्रति वर्ष ईख (नियंत्रण) आदेश 1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत गन्ने के उत्पादन लागत, किसानों को दूसरी फसलों पर मिलने वाला मूल्य, कृषि उत्पादनों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धि, गन्ने से चीनी परता आदि तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार ने 8.5 प्रतिशत या उससे कम परते से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य 13 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस आधार पर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के लिए चीनी परते के अनुसार निर्धारित गन्ने का मूल्य 13 रु0 तथा 16.67 रु0 प्रति क्विंटल के बीच आता है। फिर भी प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गन्ने का अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्रों के लिए 21.50 रु0 तथा पूर्वी क्षेत्र के लिए 20.50 रु0 प्रति क्विंटल परामर्श मूल्य के रूप में उच्चतर गन्ना मूल्य इंगित किए हैं।

श्री हरगोविन्द वर्मा——

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के जवाब में चक्रव्यूह रचाकर बेचारा अभिमन्यु किसान को फँसा दिया है। मान्यवर, प्रश्न यह था कि जो 1981-82 में लागत थी पानी की, डीजल की, खाद की वह 1982-83 में कुछ बढ़ गई है तो क्या उस बढ़त को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी किसान के गन्ने का दाम बढ़ाने की कृपा करेंगे ? किन्तु इसका जवाब नहीं आया। यदि कुछ दाम बढ़े हैं तो किसान को गन्ना पैदा करने में जितना खर्च करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए गन्ने का जो मूल्य बनता है उसी के आधार पर आप गन्ने के मूल्य को तय करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

मान्यवर, प्रत्येक बिन्दुओं पर, जिन्हें माननीय सदस्य उठा रहे हैं, भारत सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और उसी के आधार पर न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किया है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1981-82 के मुकाबले 1982-83 में चीनी के दाम बढ़ाये गये हैं तो उसी हिसाब से गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ाया गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन् चीनी के दाम तो और गिरे हैं। इसके बाद तो सरकार के ऊपर भारी आर्थिक संकट आ गया है ।

(श्री हरगोविन्द वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी इस प्रकार आप न खड़े हों जब तक कि मैं आपको आज्ञा न दे दूं।

(आज्ञा मिलने पर)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि चीनी के दाम गिर गये हैं। चीनी के दो भाव हैं। एक लेवी वाली चीनी हैं और दूसरी खुले-बाजार में बिक रही है। खुले बाजार की चीनी तो मिल-मालिकों की है लेकिन माननीय मंत्री जी की जो अपनी चीनी है उसके दाम बढ़े हैं। मान्यवर, यदि माननीय मंत्री इस प्रकार हाउस में गलत बयानी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं तो इसका इलाज क्या हो सकता है जिस तरह से किसान को राहत पहुँच सके ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, शासन किसी को गुमराह नहीं करता है वह सभी के आगे बराबर है तथा साफ-साफ है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गन्ने का जो मूल्य इस वर्ष है वही पिछले वर्ष था। किन्तु पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष खाद्य, तेल, और चीनी पर लगान बढ़ा दी गई है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से लगान बढ़ी है उसी अनुपात में आप गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आखिर इसके कारण क्या हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो प्रश्न उठाये गये हैं उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विभाग के पास में अपने अनुसन्धान केन्द्र हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का सर्वेक्षण कराकर इस बात को तय किया कि गन्ने की प्रति कुंतल लागत का मूल्य क्या आता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, अनुसन्धान केन्द्र की अलग प्रक्रिया है और उसका अलग क्षेत्र है और उसमें भारी खर्चा आता है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, अनुसंधान केन्द्र को छोड़ दीजिये। क्या आपके विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण कराकर गन्ने का प्रति कुन्तल का भाव क्या आता है इसकी जानकारी की? यदि हाँ, तो कृपया उसे बता दें?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, इसकी तो सूचना की आवश्यकता है।

गढ़वाल और कुमायूं मण्डलों में भू-राजस्व की वसूली

श्री कुंवर सिंह नेगी—

*3 क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में ब्रिटिश शासनकाल से मालगुजारी को लगान वसूल करने आदि कार्यों के एवज में सरकार द्वारा जो भूमि दी गयी थी और प्रदेश में मालगुजारी प्रथा समाप्त होने के बावजूद भी उस भूमि जो उन्हीं के परिवारों के कब्जे में चलती आ रही है? पर क्या उनके अधिकार दर्ज किए गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 के प्रभावी होने के पूर्व भू-राजस्व की वसूली करने आदि कार्यों के एवज में मालगुजारों को जो भूमि दी गई थी उस पर वे मालगुजारों की प्रथा समाप्त हो जाने के बावजूद भी काबिज हैं और नान—जेड0 ए0 क्षेत्र की खतौनी में राज्य सरकार के सिरतान-वर्ग-4 अथवा वर्ग-4 में अंकित हैं। कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था, अधिनियम, 1960 के अधीन मालगुजारों को प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार के भौमिक अधिकार नहीं दिये गये हैं। अतएव अधिनियम में अनुमन्य भौमिक अधिकारों का इन्द्राज उनके नाम नहीं किया गया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं मा0 मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कि कुमायूं और गढ़वाल में सभी किस्म के सीरदार थे, उनको भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो गये हैं और जो ट्रेसपासर्स थे, जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था, उनको भी अधिकार दे दिया, नियमित कर दिया। फिर क्या वजह है कि मालगुजारों को, जिनका ब्रिटिश शासन काल से कब्जा चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक सीरदार में रखा है, उनको भूमिधरी के अधिकार क्यों नहीं देते हैं? मेरा निवेदन है कि जो पहाड़ के मालगुजार हैं, वे अब भूमिहीन हो गये, बहुत कम जमीन उनके पास रह गयी। किसी प्रकार का अधिकार न देने की वजह से वे न तो बैंक से ऋण ले सकते हैं और अगर जमीन सड़क निर्माण वगैरह में कट गयी तो उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। इस बात को देखते हुए क्या उनको भूमिधरी के अधिकार देंगे?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

पहाड़ी क्षेत्र के कई जिलों में यह प्रथा थी कि वे मालगुजारी वसूल करते थे, उसके एवज में इनको कहीं-कहीं पर जो भू-राजस्व वसूल होता था उसका कहीं पर 10 प्रतिशत कहीं पर 5 प्रतिशत दिया जाता था और कुछ जगहों पर इसके एवज में जमीन मिली हुई थी। 1960 में जब जमींदारी विनाश हुआ तो उसके बाद यह प्रथा समाप्त हो गयी और लगान तथा भू-राजस्व सीधे सरकार द्वारा वसूल किया जाने लगा। फिर भी उस जमीन पर वे काबिज रहे और काबिज हैं हालांकि उनको कोई भौमिक अधिकार नहीं थे । यह प्रश्न विचाराधीन है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाय। मण्डलायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गयी है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

जब आपने ट्रेसपासर्स को, जिन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था, उनको तो भूमि का मालिक बना दिया और इन मालगुजारों को जो कि बरसों से काबिज चलते आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं भौमिक अधिकार दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैंने कहा कि यह विचाराधीन है, रिपोर्ट वगैरह मांगी गयी है, इसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, यह पर्वतीय क्षेत्र का मामला है, गम्भीर मामला है, इसमें इतने ज्यादा विचार की जरूरत नहीं है। हो यह रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो उस ग्राम सभा के रहने वाले हैं या पहाड़ के निवासी हैं, उनको वंचित किया जा रहा है और जो लोग बाहर से आए हुए हैं, आजकल घुसपैठ ज्यादा हो रही है....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री बिहारी लाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि विचाराधीन जो मामला है, यह कब तक विचाराधीन रहेगा ? और जो विचाराधीन की बात आपने कही तो कितने मामले ऐसे हैं, जिनमें विचार नहीं कर रहे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सभी मालगुजारों के मामलों पर विचार होगा और सभी पर करायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जब सब प्रकार के सीरदारों को भूमिधर मान लिया है और भौमिक अधिकार दे दिये हैं तो मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि जिन्होंने मालगुजारी वसूल करने में बरसों तक सेवा की है, क्या उनको भूमिधर मानने को तैयार हैं ? इस प्रकार की कोई घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी इसके लिए बता रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है, उसका निर्णय बाद में लिया जायेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, जबकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जिन लोगों के पास जमीन है, उन्हें भौमिक अधिकार नहीं हैं और जब भौमिक अधिकार उन लोगों के नहीं है तो उस भूमि का लगान किस रूप में और किस नाम से लिया जा रहा है दूसरे यदि उस भूमि के भौमिक अधिकार नहीं हैं तो क्या उस भूमि को सरकार अधिग्रहण करके भूमिहीनों में आवंटन करने संबंधी कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उनसे उस भूमि का लगान नहीं लिया जा रहा है इसलिए यह विचार हो रहा है कि इस पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी जाये।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बयान से एक बात तो साफ हो गयी कि कुमायूं गढ़वाल और उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट, के लागू होने के पहले यू0 पी0 टेनेन्सी ऐक्ट के अनुसार मालगुजारों को जो भूमि दी गयी थी, जिस पर वे मालगुजारों की प्रथा समाप्त हो जाने के बावजूद भी काबिज हैं, लेकिन उन्हें उस जमीन के राईट्स नहीं दिये गये थे, परन्तु यू0 पी0 टेनेन्सी ऐक्ट के अंतर्गत ही आगरा प्राविन्स में लैण्ड फ्री ग्रांटीज को भी उनकी खिदमत की एवज में उन्हें जमीनें दी गयी थीं, और वहाँ पर भी जमींदारी खत्म होने पर जब यू0 पी0 जमींदारी एबोलीशन लैण्ड रिफार्म ऐक्ट लागू हुआ तो लैण्ड फ्री ग्रान्टीज को सीरदारी और भूमिधरी के हुकूक दे दिये गये और वह इस तरह भूमिधर बन गये तो इसी तरह से कुमाऊँ, गढ़वाल और उत्तराखण्ड के मालगुजारों को किस वजह से सीरदार/भूमिधर क्यों नहीं हुकूम दे दिये गये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह भूमि उन्हें केवल भूराजस्व की वसूली करने आदि कार्यों के एवज् में दी गयी थी, परन्तु जब मालगुजारी समाप्त हो गयी तो उनकी यह सुविधा भी समाप्त हो, इसलिए अब इस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

*4 श्री राम स्वरूप निम--(स्थगित)

<u>बिक्री कर अधिकारी (सचल दल) द्वारा अनधिकृत माल ले जाते हुए पकड़े गये ट्रक
तथा जमानत के रूप में वसूल की गई धनराशि</u>

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

*5 क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 10/11-12-81 को रात्रि में बिक्रीकर अधिकारी (सचल दल) ने तहसील कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में ट्रक नं0 सी0 एच0 डब्लू0 5123 एच0 आर0 ए0 5858 व यू0 टी0 एक्स0 6656 अनधिकृत माल

ले जाते हुए पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इन ट्रकों में कितनी धनराशि जमानत स्वरूप वसूल की गयी ? क्या उस जमानत की धनराशि को जांचोपरान्त बिक्रीकर अधिकारी, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अर्थदण्ड में परिवर्तित कर दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी हां। वास्तव में बिक्रीकर अधिकारी (सचल दल) द्वारा उस दिन चार ट्रक पकड़े गये थे। जिनसे रु0 26,874.50 की धनराशि जमानत के रूप में वसूल की गई थी। एक ट्रक के संबंध में जमानत की धनराशि अर्थदण्ड में परिवर्तित कर दी गई है। शेष तीन ट्रकों से वसूल की गई जमानत की धनराशि के संबंध में बिक्रीकर अधिकारी, शामली द्वारा जाँच की जा रही है।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 4 ट्रक जो पकड़े गये थे, क्या वह किसी एक ही व्यापारी के हैं या अलग-अलग व्यापारियों के नंबर एक बात। दूसरी बात जो ट्रक पकड़े गये हैं, उसमें वह माल क्या ले जा रहे हैं और क्या वह माल ऐसा था, जिसे चेक किया जा सकता था, उसके अलावा क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील कैराना के एक अधिकारी बाइस घटना के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ने यह लिखकर दिया था कि एक ऐसा भी मार्ग है, जिस ओर कोई पोस्ट नहीं है और सारे व्यापारी अपने माल को उधर से ले जाते हैं। इसलिए एक पोस्ट ऐसी जगह बनाई जाए, जिससे दोनों मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों को चेक किया जा सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता, यह तो बहुत लम्बा प्रश्न आप कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, यदि आप कुछ इसमें से बता सके तो बता दीजिए।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मेरे को इतना समझ में आया है कि जो चार ट्रक पकड़े गये हैं, तीन के बारे में बिक्रीकर अधिकारी, शामली द्वारा जाँच कराई जा रही है, जाँच के उपरांत जमानत की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में परिवर्तित कर दी जायेगी तथा एक ट्रक की वसूल की गयी धन-राशि को अर्थ दण्ड में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ने शुरू में पूछा था कि वह चारों ट्रक एक ही व्यापारी के हैं या अलग-अलग व्यापारियों के तथा उसमें माल क्या था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ट्रकों के नम्बर मेरे पास हैं पर वे ट्रक किसकी थी, यह सूचना मेरे पास नहीं है, उसमें माल क्या था इसकी कल्पना भी मुझे नहीं है।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद---

यह चारों ट्रकें क्या एक ही व्यापारी की हैं या फिर अलग-अलग लोगों की हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह बताना सम्भव नहीं है।

ग्राम मिर्रीकलां से ग्राम शम्भू खेड़ा उन्नाव में लिंक मार्ग पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही ।

श्री रियासत हुसैन---

*6 क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम मिर्रीकलां से ग्राम शम्भू खेड़ा (तहसील पुरवा, जिला उन्नाव) को आने-जाने वाले लिंक मार्ग पर ग्राम दयाल खेड़ा के लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर मार्ग बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवाकर इन हरिजनों के आने-जाने को मार्ग पूर्ववत् चालू कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल---

अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार नियमावली के नियम 115 (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन हरिजन लोगों का रास्ता रोका गया है वह कब्जा किस प्रकार का है कि जिसके कब्जे से उसे रोका गया है और किस वख्त से आपने उसे हटाने की कार्यवाही की है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

मान्यवर, इस संबंध में एक शिकायती पत्र मिला था मुन्ना लाल और लल्लूराम का । यह शिकायती पत्र 25-4-82 का था जो कि हमें 10-6-82 को प्राप्त हुआ और इसकी जांच-15-10-82 को हुई । नायब तहसीलदार जांच करने के लिये गये थे उन्होंने पाया कि पंच लोगों ने वहां अवैध कब्जा किया हुआ था । ये लोग हैं ज्ञान प्रकाश, वरुण शंकर, ननकऊ, मन्ना तथा प्रकाश, इन लोगों ने चक रोड पर कब्जा कर रखा था । जब नायब तहसीलदार मौके पर गये और उन्होंने कब्जा हटाने के लिये कहा तो उन्होंने उसे हटा लिया लेकिन एक आदमी ने फिर भी नहीं हटाया जिसके विरुद्ध धारा 115 की कार्यवाही की गयी ।

श्री रियासत हुसैन---

मैंने पूछा है कि कब्जा किस प्रकार का था ? कोई मकान बना लिया था या खेत में जोत कर शामिल कर लिया था ?

श्री बैजनाथ कुरील---

खेत में शामिल कर लिया था, श्री प्रकाश का कब्जा है, कोई मकान नहीं बना है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान---

इस प्रश्न में मार्ग विशेष की बात कही गयी है परन्तु सारे प्रदेश में बहुत से ऐसे मार्ग हैं और चक रोड हैं जहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा करके मार्ग को रोक रखा है । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई इस तरह का सर्वे कराकर इन अवैध इनक्रोचमेन्ट को हटवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील——

मान्यवर, चक रोड के लिये ऐसे आदेश हैं कि कोई इन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं करेगा। यदि कहीं पर ऐसा है और वह मेरी जानकारी में आयेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार के नियंत्रण में कस्टोडियन के प्रबन्ध में चलने वाली गन्ना मिलों में प्रदेश सरकार की घोषित नीति के अनुसार गन्ना मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा——

*7 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने कस्टोडियन के नियन्त्रण में चलने वाले प्रदेश की 5 गन्ना मिलों को गन्ना मूल्य सम्बन्धी कोई निर्देश भेजा है ? यदि हां, तो वह निर्देश क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

भारत सरकार के नियंत्रण में कस्टोडियन के प्रबन्ध में चलने वाली प्रदेश की लक्सर मिल द्वारा 18.85 रु0, बिलारी मिल द्वारा 17.60 रु0 और बभनान, बैतालपुर तथा देवरिया मिलों द्वारा 17.40 रु0 प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य देने के लिए इन मिलों को विधिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से बराबर अनुरोध किया गया है कि गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में इन मिलों द्वारा भी प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नीति अपना ली जाये, किन्तु उसके परिवर्तन के कोई आदेश भारत सरकार ने अब तक नहीं दिये हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा——

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि यह शासन लगातार ऐसे आश्वासन सदन में और आलरेडी सदन के बाहर देता रहा है। प्रदेश के समस्त पूर्वी जिलों में गन्ना किसानों को 17.40 पैसा और पश्चिमी जिलों में 21.50 मूल्य दिया जा रहा है। लेकिन जो 5 मिलें कस्टोडियन शिप में चल रही हैं उनके गन्ना किसानों को आज भी पैसा नहीं मिल रहा है। मंत्री जी प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार से नकारात्मक उत्तर आ गया तो मैं यह पूछता हूँ कि गन्ना किसानों ने कौन सा अपराध किया है जो उनके गन्ने की कीमत नहीं दी जा रही है ? मिल घाटे में चले यह तो दूसरी बात है, लेकिन गन्ना किसानों ने कौन सा अपराध किया है। कस्टोडियन शिप में जो मिलें चल रही हैं वह 17.40 रु0 ही दे रही हैं। अगर केन्द्रीय सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आप उन किसानों को कम्पेन्सेट करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा——

प्रदेश के किसानों के हित में उत्तर प्रदेश शासन प्रयत्नशील है, जो मूल्य तय किया है वही दें, हम निराश नहीं हैं, प्रयत्नशील हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा——

माननीय मंत्री जी प्रयत्न तो कर रहे हैं, और करते रहेंगे जब तक वह इस कुर्सी पर रहेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर केन्द्रीय सरकार आपके अनुरोध को

भारत सरकार के नियंत्रण में कस्टोडियन के प्रबन्ध में चलने वाली गन्ना मिलों में प्रदेश सरकार की घोषित नीति के अनुसार गन्ना मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध

नहीं मानती है तो क्या आप अपने स्तर से उन गन्ना किसानों को कम्पेन्सेट करने का आश्वासन देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समक्ष कहा था कि कस्टोडियन शिप की मिलों से भी निर्धारित भाव गन्ना किसानों को दिलायेंगे। यह बात उन्होंने तीन बार कही थी। मा0 मंत्री जी ने भी गन्ना पर बहस के दौरान यही आश्वासन दिया । अगर यही स्थिति चलती रही तो गन्ना किसान तबाही की स्थिति में हो जायेंगे। आपकी सरकार ने जो केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है दो महीना पहले तो क्या केन्द्र सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें निहित हैं, वे सब विचाराधीन हैं।

श्री मोहन सिंह—

केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को जो आश्वासन दिया है उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने आपको क्या उत्तर दिया है ? इसमें विचाराधीन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसी को लेकर प्रदेश सरकार ने उनसे निवेदन किया है। अभी तक कोई निर्णय उनका नहीं मिला।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इसका दुर्गम परिणाम हो रहा है। जो दूसरी मिलें हैं वह 20.50 या 21.50 देने की बात कर रही हैं और वह सोसाइटी को एडवान्स कर रही हैं। वह रेट नहीं है, तो बहुत सी फैक्टरियां हैं जैसे आनन्द नगर जैपुरिया की मिल जो पेमेन्ट कर ही नहीं रही है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश सरकार किसानों के हित में हर संभव प्रयास करेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। कोई भी कोताही नहीं रखेगी।

श्री धुप राय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं क्या वह शासन को प्राप्त हो गये हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के गन्ना किसानों को अपने कोष से जो फर्क है उसको दे देंगे और जब भारत सरकार से रुपये मिले तो वह एडजस्ट कर लेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, किसानों के हित के लिये जो भी सम्भव होगा उत्तर प्रदेश शासन उसे निश्चित रूप से करेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मंत्री जी किसानों के हित के लिये शायद यही उचित समझते हैं कि गन्ने की कीमत कम कर दी जाय। मैंने निश्चयात्मक प्रश्न किया था कि प्राइवेट सेक्टर में चलने वाली मिलें गन्ने की कीमत साढ़े बीस रुपया नहीं दे रही हैं। वे केन यूनिन्स को एडवांस कर रही हैं। मैंने बताया कि हमारे गोरखपुर में आनन्दनगर फैक्टरी जो है वह प्राइस नहीं दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये जो मिलें एडवान्स कर रही हैं उसे भुगतान माना जायेगा या एडवान्स ही माना जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो परामर्श मूल्य देने की बात है उसे ये फैक्ट्रियां निभा रही हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति होगी तो वैधानिक आधार पर जो भी कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि किसानों के हित में जो भी सम्भव होगा वह किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो सम्भव हो उसे ही मंत्री जी करें और जो असम्भव हो उसे न करें। मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट मिलों और केन्द्रीय सरकार की मिलों में रेट में जो अन्तर है उसे दूर करने के लिये प्रयास करेंगे और केन्द्रीय सरकार की मिलों से वही रेट आप दिलाने का प्रबन्ध करेंगे जो कि यहां की मिले दे रही हैं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, दो प्रकार की स्थिति है। एक तो सरकारी नियंत्रण की मिलें हैं और दूसरी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं। जो सरकारी नियंत्रण की मिलें हैं सरकार इनको बाध्य करती है और प्राइवेट फैक्ट्रियों को परामर्श देती हैं, प्रेस करती हैं कि वे भी वही मूल्य दे जैसा कि वे दे रही हैं। उसी के आधार पर वे मिलें भी मूल्य दे रही हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आ जायेंगी तो उसको देख लिया जायेगा।

बहराइच जनपद के ग्राम हरखापुर में घाघरा नदी में नाव डूबने से मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान

श्री मुंशीलाल--(अनुपस्थित)

*8 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच तह0नानपारा, ग्राम हरखापुर में दि0 5-11-82 को घाघरा नदी में नाव डूब जाने के कारण श्री भगौती व मोती की पत्नी अमेरिका देवी हरिजन (चमार) तथा राजकुमार भुजवा की मृत्यु हो गयी थी ? क्या यह सत्य है कि इन्हें सरकार द्वारा सहायता के रूप में केवल 100-100 रुपए दिए गये थे और शेष 900-900 रु0 नायब तहसीलदार द्वारा देने को कहा गया था ? यदि हां, तो शेष रुपया आज तक न देने का कारण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ, जिला बहराइच, तहसील नानपारा ग्राम हरखापुर में दिनांक 5-11-82 को घाघरा नदी में नाव डूब जाने के कारण 4 व्यक्तियों श्री भगौती, मोती एवं मोती की पत्नी अमेरिका नहीं बल्कि इमरती तथा राजकुमार की मृत्यु हो गई थी।

मृतक भगौती तथा राजकुमार प्रत्येक के परिवारों को एक-एक हजार रु0 तथा मृतक पति व पत्नी श्री मोती एवं श्रीमती इमरती के परिवार को भी 1000/—रु0 अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया जा चुका है।

झांसी जनपद की तहसील मऊरानी में भूमिहीनों को दिये गये पट्टे तथा कब्जा

श्री राजेंद्र अग्निहोत्री—(अनुपस्थित)

*9 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में मऊरानी तहसील में कितने ग्रामों में गत वर्षों में भूमिहीनों को पट्टे किए गये थे । क्या उनको उन पर कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक कब्जा दिला दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर में गत वर्षों में 173 ग्रामों में भूमि हीनों को पट्टे दिये गये थे तथा उन्हें उन पर कब्जा दिया जा चुका है ।

प्रदेश के जिलों के मुख्यालय हेतु उच्च वेतन मान में उप निबन्धक के सृजित पदों पर नियुक्तियाँ

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

*10 क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 सब रजिस्ट्रार्स को अक्तूबर, 1982 से सीनियर स्केल प्रदान कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि सीनियर सब-रजिस्ट्रार्स को जिला मुख्यालय पर तैनात होना चाहिए ? परन्तु अभी तक सीनियर सब-रजिस्ट्रार्स तहसीलों में तैनात हैं ? और जूनियर सब-रजिस्ट्रार्स जिला मुख्यालयों पर तैनात हैं ? क्या सरकार इस अनियमितता को शीघ्र समाप्त करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

दिनांक 29-10-82 को जारी शासनादेश द्वारा आदेश जारी होने या पद धारकों की नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालय के लिये उप निबंधक का एक-एक अस्थायी पद कुल 56 पद उच्च वेतनमान में सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। निबंधन महानिरीक्षक द्वारा इन पदों पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं की जा सकी हैं क्योंकि निबंधन महानिरीक्षक ने उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आदि के संबंध में शासन के निर्देश मांगे थे । दिनांक 9-3-83 को शासन द्वारा आवश्यक निर्देश देते हुये उक्त पद के नियुक्ति प्राधिकारी निबंधन महानिरीक्षक से इन पदों पर तत्काल नियुक्तियाँ करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि जिले 56 हैं जब कि इस प्रदेश में 57 जिले हैं। तो एक कौन सा जिला छूट रहा है जहां के लिये आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, स्वीकृति तो पदों के लिये दी जाती है, जिलों को नहीं दी जाती है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं जानना चाहता हूं कि अनुबंधक महानिरीक्षक ने शासन को निर्देश देने हेतु कब भेजा और विलम्ब जो हुआ उसके क्या कारण थे?

श्री अध्यक्ष--

आपका काम तो चल गया। अब क्या रहा?

श्री ब्रह्मदत्त--

हम लोगों ने शुरू में ही निर्देश दिये थे 9 अक्टूबर 1982 को। उसके बाद उन्होंने 27 नवम्बर को हमसे पूछा और 9 मार्च को कार्मिक विभाग की राय लेकर उसे कर दिया। तो इसमें देर कहां से हुई?

*11 श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

(7वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

रमाला सहकारी चीनी मिल्स, मेरठ में मशीनों की खराबी से बन्दी के कारण कृषकों को कथित हानि

श्री नरेन्द्र सिंह--

*12 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के पिराई सीजन में रमाला सहकारी चीनी मिल्स, रमाला, जनपद मेरठ मशीनों की खराबी के कारण बराबर बन्द रही जिसके कारण कृषकों को भारी हानि हुई? यदि हां, तो नई चीनी मिल्स की लगातार खराबी के जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

रमाला चीनी मिल ने पेराई सत्र 1980-81 के 10.81 लाख कुन्तल गन्ने की तुलना में 1981-82 में 21.50 लाख क्विन्टल गन्ना पेरा था। अतः चीनी मिल की बन्दी से कृषकों को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता इस सत्र में इस चीनी मिल की मशीनों में कोई विशेष खराबी नहीं रही वरन मिल क्षेत्र के गन्ने के जूस में अधिक कैल्शियम होने के कारण इवौपोरेटर में जल्दी जल्दी स्केलिंग हो जाती थी जिसके फलस्वरूप मशीनों की बार-बार सफाई करना आवश्यक होता था। इसके निदान की यथासम्भव व्यवस्था भी की गयी है। इसके लिए किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मान्यवर, मैंने प्रश्न तो यह किया था कि कितने दिन वर्ष 81-82 यह फैक्ट्री बंद रही और आपने तुलनात्मक आंकड़े दे दिये। वर्ष 80-81 में तो लोगों ने गन्ना क्रशर्स को 30 और 35 रु0 के रेट से दिया। मेरी निश्चित जानकारी

है कि 81-82 में रमाला शुगर फैक्ट्री जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर के बीच झगड़ा था उसके कारण फैक्ट्री बराबर बंद रही चार-चार दिन तक किसानों की बुग्गियां खड़ी रही। अगर उसकी सूचना किसानों को पहले से हो जाती तो किसान वहां गन्ना उस समय न ले जाते। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 81-82 में पूरे सीजन में कितने दिन किन्हीं कारणों से फैक्ट्री बंद रही ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

रुकावट जो आती है वह अलग-अलग कारणों से आती है। यह फैक्ट्री 525 घंटे 81-82 में बंद रही जो सामान्य सफाई के कारण रुकावट आई।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मंत्री जी कृपा करके बता दें कि रमाला फैक्ट्री 81-82 के सीजन में कब चली और कब बंद हुई और इस बीच तिथिवार बता दें कि 10 दिन या 20 दिन कब बंद रही ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, पिराई जो हुई वह 227 दिन फैक्ट्री चली।

श्री हुकम सिंह--

श्रीमन्, मैंने प्रश्न यह किया था कि फैक्ट्री में क्रशिंग कब शुरू हुआ और कब बंद हुआ और इस बीच कितने दिन बंद रही।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन् दिन मुझे दिख नहीं रहा है। 81-82 में वह तारीख मेरे सामने नहीं है।

लक्ष्मी शुगर मिल्स, हरदोई द्वारा जनपद के गन्ने की पेराई तथा नई मिल स्थापित किये जाने हेतु सर्वेक्षण कराये जाने की माँग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

*13 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जनपद हरदोई में वर्ष 1981-82 में हुए गन्ने की बर्बादी तथा लक्ष्मी शुगर मिल्स, हरदोई द्वारा कार्य न किए जाने को देखते हुए हरदोई जनपद में एक नई शुगर मिल की स्थापना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

कलक्टर हरदोई द्वारा नियुक्त रिसीवर के प्रबन्ध में हरदोई चीनी मिल में सत्र, 82-83 में पेराई ठीक से चल रही है और वर्ष 1981-82 के मिल क्षेत्र में बचे रह गये गन्ने की भी पेराई की गई है। अतः उस प्रकरण में किसी नई चीनी मिल की स्थापना पर विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय मंत्री जी ने एक्सैप्ट किया कि 1981-82 में हरदोई में गन्ना बचा। माननीय मंत्री जी मेरी बात को सच मानकर कि वहां से महोली और रोजा मिल को तमाम गन्ना जाता है और बिना सट्टे के वहाँ गन्ना बेचा जाता है। तो क्या वह अपने विभाग द्वारा वहां नयी फैक्ट्री

लगवायेंगे ? क्या इसके लिए सर्वे करवायेंगे? यदि हां, तो उसका सर्वे कब से करवायेंगे और कब उसे समाप्त कर देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

अब तो वहां हालत यह है कि गन्ना समाप्त हो गया है फैक्ट्री अभी 16 ता0 को बंद हो गयी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

यह तो केवल इस वर्ष हुआ चूंकि इस बार बाढ़ और सूखा रहा। लेकिन पिछले तीन सालों का रिकार्ड उठा कर देख लें तो मेरी बात सच निकलेगी, वहां प्रति वर्ष गन्ना बच जाता है। तो क्या पिछले तीन वर्षों का रिकार्ड देखकर सर्वे करवायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, यदि आवश्यकता होगी तो जरूर करेंगे लेकिन वह फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इस साल सब गन्ना समाप्त हो गया। वैसे शासन की नीति फैक्ट्रीज की विस्तार और नवीनीकरण की भी है। तो उस आधार पर जो आवश्यकता होगी जनहित में वह किया जायेगा।

राज्य नियोजन संस्थान के नवीन प्रभागों में नियुक्ति हेतु शोध सहायकों का चयन तथा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण

श्री राधेश्याम पटेल—(अनुपस्थित)

*14 क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सामान्य निदेशक, जन-शक्ति नियोजन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान (आठवां) तल, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा दिनांक 23-2-82 को शोध सहायकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार किया गया और इसके क्रम में दिनांक 24/25-2-82 को शोध सहायकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

राज्य नियोजन संस्थान के नवीन प्रभागों के अंतर्गत शोध सहायक के विज्ञापित किये गये पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दिनांक 23.2.82 को साक्षात्कार किया गया और चयन समिति द्वारा संस्तुत 6 अभ्यर्थियों की शोध सहायक के पदों पर नियुक्ति की गई। चयन समिति द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के किसी अभ्यर्थी को उक्त पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया जिसके कारण इन वर्गों के किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गयी। पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा होने की स्थिति में उनके लिये कोई पद आरक्षित नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिये एक पद सुरक्षित रखा गया है।

नोट :—तारांकित प्रश्न सं0 14 श्री हरगोविन्द वर्मा की रुचि पर लिया गया है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी के द्वारा जो बताया हुआ उत्तर है, उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें बहुत बड़ा गोलमाल किया गया और हरिजन को अनुपयुक्त करार करके ऐसा किया गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने शोध सहायक पद हैं और उनमें कितनों की नियुक्ति की गयी और उन नियुक्तयों में कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी लिये गये और कितने सामान्य लिये गये ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, दिनांक 24-2-82 को चयन के पूर्व शोध सहायक के 40 पदों में 19 पद भरे थे, जिसमें 4 कर्मचारी पिछड़े वर्ग के थे तथा एक अनुसूचित जाति का था। मान्यवर, चयन के पश्चात् कार्यरत शोध सहायक की कुल संख्या 25 हो गयी, जिसमें से 4 पिछड़े वर्ग के हैं, अर्थात् कुल संख्या 16 प्रतिशत है। इस प्रकार पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का कोटा पूरा है, और अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हमने सुरक्षित कर दिया है, खाली रखा है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

श्रीमन् आप जानते हैं कि इस प्रदेश में कौन-सा काम चल रहा है, हरिजनों को अनुपयुक्त कर दिया गया, मान्यवर, पहले कहा जाता था कि हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, और अब कहा जाता है कि हरिजन अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से मान्यवर, जानना चाहता हूं कि क्या एक ही हरिजन जाति का कोटा पूरा नहीं हुआ है ? क्या उसकी पूरी संख्या का प्रतिशत माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के 16 परसेंट बताये हैं।

श्री मोती लाल देहवली--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि हरिजन उम्मीदवार नहीं मिला। तो जो हरिजन साक्षात्कार में गये उनको उपयुक्त न पाये जाने का क्या कारण है ? उनमें क्या कमी थी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

उपयुक्त न पाये जाने का कारण यह है कि उपयुक्त न होना।

देवरिया जिलान्तर्गत बैतालपुर, चीनी मिल में हड़ताल के कारण बन्दी तथा मिल द्वारा दिया जा रहा गन्ना मूल्य

श्री नन्दकिशोर सिंह--(अनुपस्थित)

*15 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत शुगर फैक्ट्री, बैतालपुर 23 दिसम्बर, 1982 से 5 जनवरी, 1983 तक बन्द रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि फैक्ट्री द्वारा 17.40 रुपये प्रति क्विंटल का भाव पर्चियों पर लिखा जा रहा था ? यदि हां, तो क्या किसानों को 20.50 रु0 प्रति क्विंटल उक्त फैक्ट्री द्वारा भुगतान की व्यवस्था शासन करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

जी हाँ।

देवरिया जिला के अन्तर्गत बैतालपुर चीनी मिल जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त कस्टोडियन के अन्तर्गत है, में दिनांक 23-12-82 से 6-1-83 तक आंशिक हड़ताल रही। मिल द्वारा गन्ना की पर्चियों पर 17.40 रु0 प्रति क्विंटल की दर अंकित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया गया है कि वह गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की नीति को ही स्वीकार करे।

बाराबंकी शुगर मिल्स व बुढ़वल शुगर मिल्स पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया

श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस––

*16 क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी शुगर मिल्स व बुढ़वल शुगर मिल्स, बाराबंकी पर अलग-अलग 1981-82 के पेराई सत्र का गन्ना उत्पादकों का कितना-कितना रुपया 15 जनवरी, 1983 को बाकी था और बकाया धनराशि के भुगतान के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

पेराई सत्र 1981-82 का दिनांक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार बाराबंकी चीनी मिल पर 50.69 लाख रु0 तथा बुढ़वल चीनी मिल पर 39.11 लाख रु0 किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया था।

विगत वर्ष के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हरसम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है। बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी। खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण अधिकांश मिलों के कैश क्रेडिट लेखों में डैफिसिट हो गयी है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय।

श्री प्रदीप कुमार यादव––

मान्यवर, मंत्री जी मेरे प्रश्न के एक अंश का उत्तर दिया कि 50.69 लाख रु0 और 39.11 लाख रुपये दोनों मिलों पर बकाया है। लेकिन दूसरे अंश का उत्तर नहीं दिया कि भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और कहा है कि शीघ्र कर देंगे। तो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसानों के बकाये का पैसा नहीं दिया गया किन्तु किसानों पर जो सरकारी देय है उस पर उसकी कुर्की के संबंध में उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी तरफ कहा है कि प्रयास किया जा रहा है, तो इस प्रकार से मंत्री जी का जो जवाब आया है वह जले पर नमक छिड़कने के समान है। इसलिये जो प्रयास कर रहे हैं तो यह कब प्रयास शुरू किया और उसमें क्या प्रगति हुई और अंतिम रूप से कब पेमेन्ट करा देंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

श्रीमन्, प्रयास तो निरन्तर हो रहा है। लेकिन हमारे सामने कुछ वित्तीय संकट है, इसलिये वायदा नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरे प्रश्न में राजस्व विभाग से इस तरह के निर्देश जारी किये गये हैं कि जहाँ पर किसानों पर बकाया है उन पर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय।

श्री अध्यक्ष---

धन देने की मंत्री जी व्यवस्था करें।

श्री ब्रह्मदत्त---

प्रयास निरन्तर जारी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, शासन की नीति और निर्देश भी हैं कि जो जो चीनी का उत्पादन होगा उसका कुछ निश्चित प्रतिशत, जो भिन्न-भिन्न है, हमारे जिले में 85 प्रतिशत है, किसानों के एकाउन्ट में पैसा जमा कर दिया जायेगा जिससे वह बीज आदि का भुगतान कर सकेगा, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1981-82 में बुढ़वल और बाराबंकी चीनी मिलों ने कितना उत्पादन किया और कितना मूल्य गन्ना किसानों के एकाउन्ट में जमा हुआ और वह उनको भुगतान किया गया है कि नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि कितनी शुगर का उत्पादन किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शांत रहें ।

शाहजहांपुर जिले के कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों के किसानों का सहकारी चीनी मिल, कायमगंज पर गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान

श्री सत्यपाल सिंह

*17 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर में गन्ना क्रय केन्द्र कोंट, जराबन मदनापुर एवं जलालाबाद के गन्ना काश्तकारों का वर्ष 1981-82 में सप्लाई किए गये गन्ने का सहकारी चीनी मिल कायमगंज पर कुल बकाया धनराशि के भुगतान के लिए शासन ने क्या निर्णय लिया है ? और कब तक भुगतान करा दिया जायगा ? क्या उपरोक्त बकाया धनराशि पर सरकार ब्याज भी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

जनपद शाहजहाँपुर के क्रय केन्द्र कोट, जरावन मदनापुर एवं जलालाबाद के किसानों द्वारा वर्ष 1981-82 में गन्ने की आपूर्ति का कायमगंज मिल पर कुल 24.77 लाख रु0 बकाया था जिसमें से 5.57 लाख रु0 का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष धनराशि का शीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। बकाया धनराशि पर ब्याज देने के प्रश्न पर विधिक स्थिति के अनुसार नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

श्री सत्यपाल सिंह---

हमारे जनपद में चार क्रय केन्द्रों---कांट, जरावन, मदनापुर और जलालाबाद द्वारा दिये गये गन्ने का 19 लाख रुपये से ज्यादा कायमगंज मिल पर बकाया है, लेकिन मंत्री जी ने पिछली बार की तरह इस बार भी घिसा-पिटा जवाब दिया है कि शीघ्र भुगतान का प्रयास किया

जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप शीघ्र भुगतान के लिए क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं ? और क्या इस भुगतान को इस बार के बकायादारों के मुकाबले में वरीयता देकर पेराई प्रारम्भ होने से पहले भुगतान करा देंगे या नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वहां के अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिये गये हैं कि तत्काल उसका भुगतान करा दिया जाए और ऐसा अनुमान है कि इसी महीने में उनका भुगतान हो जाएगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरे दूसरे प्रश्न के बारे में मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बकाया धनराशि पर ब्याज देने के प्रश्न पर विधिक स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । तो एक तरफ हमारे काश्तकारों का आपके ऊपर बकाया है और दूसरी तरफ उनके ऊपर जो बकाया है, उसके लिए उन पर उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है । आपने कह दिया कि लगान और आबपाशी के बकाया के लिए निर्देश दे दिये गये हैं, लेकिन उन पर जो बैंकों और अन्य तरह का बकाया है उसमें उन पर उत्पीड़न हो रहा है, तो जबतक आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन काश्तकारों की पर्चियों को ही आप मान्य कर लेंगे या नहीं ? और यह विधिक कार्यवाही क्या है ? और यदि उसका नियम ब्याज देने का नहीं है, तो क्या मानवीय आधार पर ही सही काश्तकारों के बकाया पर ब्याज करायेंगे ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस ब्यौरे में जाना उचित नहीं है कि विधिक कार्यवाही क्या है और दूसरी बात यह है कि हम न्यूनतम पर या उनके उस पर किस पर ब्याज की बात करेंगे । बहरहाल प्रत्येक हालत में इसी महीने में हम उसका भुगतान कर देंगे ।

वाराणसी के ग्राम भैरवपुर तथा सरवत खानी की सरहद निर्धारण

श्री ऊदल— (अनुपस्थित)

*18 विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भैरवपुर व सरवत खानी परगना भदोही, तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की पैमाइश फ0 1320 बन्दोबस्त के नक्शे के मुताबिक अब तक नहीं की गयी और उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी ने बिला सरहद कायम कराए ही गांव सरवत खानी के कई चकों का रिफरेंस बनवाकर कम करने का आदेश 4-12-82 को कर दिया है जबकि किसी काश्तकार ने कोई मुकदमा नं0 196 सन् 82 नहीं दाखिल किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गाँव भैरवपुर व सरवत खानी परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी का सरहद मिलान 1320 फसली को आधार मानकर मौके की पैमाइश की गई है ।

ग्राम सरवत खानी तथा भैरव पुर कीसरहद निर्धारण पर श्रीसोभनाथ पुत्र देवनन्दन की अपील पर धारा 48(3) उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत संदर्भ संख्या 196/83 का निस्तारण पक्षों को सूचना देने के उपरान्त उप निदेशक चकबन्दी द्वारा 23-12-82 को सुनवाई के बाद किया गया ।

फर्रुखाबाद जनपद में निबन्धन लिपिकों का चयन

श्री जयदीप सिंह बरार—

*19 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में जो फरवरी, 1982 में निबन्धन लिपिकों का चयन शुरू किया गया था वह अधूरा ही छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि निबन्धक लिपिकों का चुनाव पुन: दि0 24-12-82 को हुआ उसमें पिछले चयन में शामिल हुए उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त अनियमितताओं को देखते हुए क्या सरकार दुबारा अनियमित रूप से हुई परीक्षा दिनांक 24-12-82 को निरस्त करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद फर्रुखाबाद में फरवरी, 1982 में निबंधन लिपिकों का कोई चयन नहीं शुरू किया गया परन्तु निबंधन लिपिकों के पदों पर चुनाव के लिये जिला निबंधक फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 7, 8, 10 नवम्बर, 1981 को साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया गया था परन्तु प्रशासनिक कारणों से साक्षात्कार की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी तथा चयन नहीं हुआ।

यह सही है कि पिछला चयन न हो सकने के कारण निबंधन लिपिकों का नया चुनाव दिनांक 23, 24, 26, 27 दिसम्बर, 1982 को किया गया जिसके लिये नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की गई। गत वर्ष के जिन उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र दिये, उन्हें भी साक्षात्कार में बुलाया गया। इस प्रक्रिया में गत वर्ष के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाना आवश्यक नहीं था। चूंकि नये चुनाव में कोई अनियमितता नहीं हुई, अत: उसे निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से प्रशासनिक कारण हैं, जिनकी वजह से पहले साक्षात्कार की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वहां जब तारीख लगी तो विभिन्न श्रेणियों में इतना झगड़ा पैदा हो गया कि ला एण्ड आर्डर की समस्या पैदा हो गई और वह नहीं हो पाए ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

जब एक कार्यवाही स्थगित की गई, तो दुबारा आपने अभ्यर्थियों को बुला लिया, तो जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था, उनको शामिल करने के लिए दुबारा यह कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सारी पत्रावली का मैंने अध्ययन किया है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि ऐसा किसी बदनीयती से नहीं किया गया है ।

*20 श्री शेर बहादुर तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

(22वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या—17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के बाद तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति की रिपोर्टों का प्रकाशन तथा की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन

श्री राम स्वरूप वर्मा---(अनुपस्थित)

*1 क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त (उत्तर प्रदेश) ने सरकार के पास अब तक कितनी रिपोर्ट भेजी हैं? उन्हें अब तक प्रकाशित न करने का कारण क्या है? अब कब तक उन्हें प्रकाशित करके सदन में रख दिया जायगा?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, से वर्ष 1976-77 से 1977-78, वर्ष 1978-79 से 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 से संबंधित 3 रिपोर्टें शासन को प्राप्त हुई हैं। इनमें से प्रथम 2 मुद्रित की जा चुकी हैं। तीसरी रिपोर्ट मुद्रण हेतु राजकीय मुद्रणालय में है। इन रिपोर्टों को सदन में रखा जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

कुमारी अलमेलु अम्माल---

मान्यवर, इन रिपोर्टों में कितनी सिफारिशों को लागू किया है? जो लागू नहीं किया है, तो वह कितनी हैं?

श्री अम्मार रिजवी---

यह काफी लंबी रिपोर्ट हैं। जो सिफारिशें हैं तो 75-76 और 77-78 में 84 सिफारिशें की गयी हैं जिसमें से 76 के ऊपर कार्यवाही की गयी है। शेष 8 सिफारिशों के ऊपर कार्यवाही हो रही है। 78-79 से 1981 तक 104 सिफारिशें की गयी हैं और 81-82 में 35 की गयी हैं। इन पर कार्यवाही हो रही है।

श्री धनीराम वर्मा---

मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि जो सिफारिशें आयी हैं उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा सर्विसेज में पूरा नहीं किया गया है और न ही उनके वेलफेयर के लिये सरकार ने कोई कारगर कदम उठाया है। सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार को चाहिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का सरकारी नौकरियों में अविलंब उनको कोटे के अनुसार सर्विसेज दी जायं और अन्य सुविधायें वेलफेयर के लिये दी जायं?

श्री अम्मार रिजवी---

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं उनके आरक्षण को पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है।

नोट :---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 कु0 अलमेलु अम्माल की रुचि पर लिया गया।

श्री प्रियदर्शी जेतली––

मान्यवर, यह आम बात हो गयी है कि यह कहा जाता है कि हरिजन कन्डीडेट उस पद के लायक नहीं मिले। मान्यवर, स्टेट विभाग में हरिजन टेंपरेरी पोस्ट पर कार्य कर रहे थे लेकिन सदन में जवाब दिया गया कि उपयुक्त कन्डीडेट नहीं मिले। तो इस रिपोर्ट को देखते हुये कि विभिन्न विभागों में जो कोटा होता है उसको पूरा करने के लिये क्या प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा गठन सेवायोजन का किया जायगा जिससे विभिन्न विभागों में जो इस किस्म की रिक्तियां हों वहां पर इन लोगों को भेजा जाय ताकि वह यह न कह सकें कि उपयुक्त कन्डीडेट नहीं मिले ?

श्री अम्मार रिजवी––

आप स्वयं परिचित हैं कि इस सिलसिले में पिछले साल शासन ने आदेश दिया कि जिन जगहों पर हरिजन कन्डीडेट नहीं मिलते उनको तब तक खाली रखा जायगा जब तक हरिजन कन्डीडेट मिल नहीं जाते।

श्री गोपी नाथ वर्मा––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि सिफारिशें भेजी गयी थीं और उन सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें लागू की गयीं, आपने यह भी बताया कि कुछ सिफारिशें लागू अभी नहीं की गयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं कर सके, वे सिफारिशें कौन-कौन सी हैं, कैसी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी––

यह ब्यौरे का प्रश्न है, इसके लिए अलग से प्रश्न करें।

श्री माधव प्रसाद––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि तीन रिपोर्टें शासन को प्राप्त हुई हैं, यह भी बताया कि इन रिपोर्टों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन रिपोर्टों का सारांश क्या है ? दूसरे, इन रिपोर्टों को सदन के पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, इसमें जिन बिन्दुओं पर सिफारिशें की गयी हैं, जिनको उठाया गया है, वे हैं––सरकारी सेवाओं में आरक्षण,शैक्षिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, भूमि आबंटन, आवास तथा बिजली व्यवस्था एवं हरिजन उत्पीड़न निवारण––ये जो स्कीमें हैं, रिपोर्टों में जिसके ऊपर बातचीत हुई है। दूसरा प्रश्न जो माननीय माधव प्रसाद जी ने यह किया कि इसको क्यों नहीं रखा गया, मान्यवर, यह निर्णय, इसको न रखने का, तत्कालीन राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी ने 1978 में लिया था, कि यह जो रिपोर्टें आयुक्त के यहां से आती हैं, इनको सदन के सामने न रखा जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

मान्यवर,माननीय मंत्री जी ने बताया कि उपयुक्त कन्डीडेट उपलब्ध नहीं हुए, इस वजह से तमाम जगहें खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन, मान्यवर, मेरी यह निश्चित जानकारी है कि इन रिक्त पदों हेतु समुचित विज्ञापन नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन-जिन विभागों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्थान रिक्त हैं, तो क्या कन्सालिडेटेड विज्ञापन सम्पूर्ण प्रदेश के लिए निकाल कर, उन रिक्त पदों पर चुनाव कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह बहुत बड़ा प्रदेश है। सारे प्रदेश में कन्सालिडेटेड स्टेटमेंट, कोई एडवर्टाइजमेंट निकालना, यह संभव नहीं है, यह अलग-अलग विभागों से निकाला जाता है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, बराबर यह बात सामने आती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं है, करीब-करीब हर विभाग से यह रिपोर्ट आती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जहां कोटा पूरा नहीं हुआ है, जो भी विभाग में स्थान रिक्त हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए अन्य लोगों को फिर न रखकर, उनका कोटा पूरा करने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो पद आरक्षित हैं, उसमें इन्हीं लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित लोगों की ही नियुक्ति की जायेगी, उस पर दूसरों की नहीं की जा रही है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं मिला।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, राज्याधीन सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों आदि में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व, इसमें सांख्यिकी सूचना से सम्बन्धित सरकार की तरफ से यह पुस्तिका वितरित की गयी है। इसमें स्पष्ट है कि किसी भी श्रेणी में आरक्षण पूरा नहीं है समूह "क" (श्रेणी-1) की नौकरी में हरिजन लोगों का, जो तुलना में प्रतिशत है, वह है 4.80, समूह "ख" (श्रेणी-2) में 6.5, समूह "ग" (श्रेणी-3), जिसमें केवल इन्टरमीडिएट लिया जाता है, उसमें केवल 10 प्रतिशत और फोर्थ क्लास, जिसमें ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होत, उसमें 18 प्रतिशत की जगह 17 प्रतिशत--ये लिखा है इसी तरीके से आखिरी कालम में अंकित है कि सर्विसेज में समूह "क" (श्रेणी-1) में 0.16, समूह "ख" (श्रेणी-2) में 0.30, इसके बाद में समूह "ग" (श्रेणी-3) में 0.29 और चपरासियों (श्रेणी-4) में केवल 0.54--यह प्रतिशत दिया है। तो, मान्यवर इसे स्पष्ट है कि यह सरकार हरिजन और पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में नहीं रखना चाहती है।

यह सरकार हरिजन और पिछड़ी जातियों की विरोधी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो इण्टरव्यू किया जाय उसमें योग्यता की कैद होती है।

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल करें।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर इसमें एम0 ए0 प्रथम, द्वितीय, बी0 ए0 प्रथम, द्वितीय अथवा इण्टर प्रथम द्वितीय क्या मार्किंग के आधार पर सेलेक्शन किया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, वर्मा जी ने कहा कि यह सरकार हरिजनों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है.....

श्री मोहन सिंह--

सही कहा

श्री अम्मार रिजवी--

सही कहा होता तो यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के लिये जनता शासन ने रोक न लगाई होती, तत्कालीन मंत्री ने कहा सदन में रखने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं आप देखें इस रिपोर्ट को इसी शासन ने मुद्रित कराया है। जनता सरकार ने हरिजनों के लिये जितनी चीजें थी, उन पर कोई निर्णय नहीं लिया और न कोई चीज उस समय हुई। हम लोगों ने निर्णय लिया। वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया था उसकी सूचना दे दी गई है। सरकार प्रयास कर रही है कि जो आरक्षण है जितनी जगहें भरनी है उनको शीघ्र से शीघ्र भरा जाय। तभी यह निर्णय लिया गया कि जो जगह खाली हैं, जिन पर हरिजन अभ्यर्थी नहीं मिले उसे खाली रखा जाय और उनको हरिजन कन्डीडेट से जल्दी भरा जाय। 77-80 की जो व्यवस्था थी इनकी इन्होंने भर लिया था। अब आप निर्णय करें कि हरिजन विरोधी हम हैं या यह लोग हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो निर्विवाद है कि इस सरकार ने जो हरिजनों के मामले में तरीका अपनाया है वह किसी ने नहीं अपनाया और इस सरकार ने हरिजनों को पोषण किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखते हुये और सचिवालय में जहाँ आप बैठे हैं स्टेट डिपार्टमेंट को देखते हुये कि हरिजन चपरासी नहीं मिला, झाड़ू लगाने वाला नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि विभिन्न विभागों में, प्रतिष्ठानों में हरिजनों की भरती के लिये प्रदेश स्तर पर कोई अलग सेवामण्डल या सेवा योजन का गठन करेंगे ताकि सारे विभाग अपनी वान्ट भेजकर वहाँ से उपयुक्त अभ्यर्थी लेकर भरती कर सकें ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस आधार पर हमें खेद है कि किसी आयोग का गठन करना सम्भव नहीं है लेकिन मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से जेतली जी को यह सूचना देना चाहूँगा कि शासन विज्ञप्ति 15 अक्टूबर, 1976 को कमिश्नर अनुसूचित जाति जनजाति की सेवाओं की मानिटरिंग के लिये और सारी समस्याओं के समाधान के लिये एक उच्च वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वह इस कार्य को देखता है। सारी मानिटेरिंग उसके द्वारा की जाती है। माननीय सदस्य के कहने में कोई शुबहा नहीं है वह चाहते हैं कि जो हरिजनों की जगहें हैं वह उनको मिले। यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी सूचना किसी विभाग से मानिटेरिंग के लिये मांगी जाय उसे तुरन्त उपलब्ध कराई जाय। प्रदेश स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। किसी नये संगठन के बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

कु0 अलमेलु अम्माल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थी के न आने से जो जगहें भर ली गई है क्या उनको हटाकर हरिजनों को अपनी जगह वापस देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर उत्तर दिया जा चुका है मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एस0 सी0 और एस0 टी0 कमिश्नर की रिपोर्ट जो सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है, क्या यह अनुशंसा है कि जब ऐसे लोगों का चयन हो तो उनका प्रतिनिधित्व देखने के लिये कोई अधिकारी चयन बोर्ड में होता है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

होता है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मेरी निश्चित जानकारी है कि इलाहाबाद के पशुपालन विभाग में डिप्टी डायरेक्टर ने अभी कुछ व्यक्तियों का अपने यहां चयन किया है और उसमें एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का नहीं रखा गया है और केवल जाति विशेष के लोगों को ही रखा है.....।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन—

आपने बताया कि 84 रिकमन्डेशन्स में से 76 कैरीआऊट हो गयीं और केवल 8 रह गयीं। इनमें से कौन-कौन सी रिकमन्डेशन्स ऐसी हैं जो बार-बार रिपीट हुई हैं, जो कैरीआऊट नहीं हो सकी हैं और उनके न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री रियासत हुसैन—

जो रिपोर्ट आपको बाद में 2 मिली हैं, उसमें कौन-कौन सी रिकमनडेशन्स रिपीट हुई हैं, यह बतला दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने निवेदन किया कि आप इसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री अकबाल हुसैन—

यह बार-बार शिकायत आ रही है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं होता है। मंत्री जी ने यह भी बताया कि सिलेक्शन बोर्ड में उनके हितों को देखने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा हो सके, क्या इसके लिये माननीय मंत्री जी जिला-स्तर पर बनाये गये बोर्ड में माननीय विधायकों को भी रखेंगे ताकि चयन के समय उनके हितों की रक्षा की जा सके ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सिलेक्शन कमेटीज में अगर माननीय विधायकों को रखा जायेगा तो तमाम समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। यह सम्भव नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय मंत्री जी ने एक अनुपूरक उत्तर में यह बताया कि जनता सरकार हरिजन विरोधी थी और कांग्रेस सरकार हरिजन हितैषी है। जो रिपोर्ट्स हैं उनमें एक रिपोर्ट हरिजन उत्पीड़न की भी है। एकदम जाहिर है, प्रकट है कि इस समय हरिजन उत्पीड़न चरमसीमा पर पहुँच गया है, बलात्कार हो रहे हैं हरिजनों के साथ.....

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री मोती लाल देहलवी--

सुन लें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जनता पार्टी....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप प्रश्न करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार जनता पार्टी की उस निर्णय के विपरीत जो हरिजन उत्पीड़न संबंधी रिपोर्ट है, उसको सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

उस रिपोर्ट जिसका जिक्र किया है, अभी मैंने उसे देखा नहीं है। देखने के बाद उसमें कोई ऐसी चीज महसूस अगर करता हूँ तो अवश्य रखी जायेगी।

दो वर्ष से रिक्त पदों को समर्पित माने जाने सम्बन्धी शासनादेश

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--(अनुपस्थित)

*2 क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में कोई इस प्रकार की राजाज्ञा शासन द्वारा निर्गत की गयी है कि 2 वर्ष से रिक्त सभी पद समर्पित घोषित कर दिये जायेंगे तथा 6 माह तक के लिए यदि कोई पद रिक्त होता है तो उसे नियुक्ति से नहीं भरा जायेगा ? यदि हां, तो राजाज्ञा का पूरा विवरण तथा उद्देश्य क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह आदेश पुराने हैं कि दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के सभी रिक्त पदों को समर्पित माना जायेगा तथा 6 माह से अधिक के रिक्त पदों को भरा नहीं जा सकेगा। अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी पद को बनाये रखना अथवा भरना नितांत आवश्यक हो तो उसके लिये शासन की पूर्व सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए। इन आदेशों को

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासनादेश जारी कर के लागू किया जा रहा है । इस प्रकार का अन्तिम शासनादेश दिनांक 20 मई, 1982 को जारी किया गया था और इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए दिनांक 12 जनवरी, 1983 को एक और शासनादेश जारी किया गया है। इन आदेशों को जारी करने के पीछे गंतव्य यह था कि जब पद लम्बी अवधि तक रिक्त रहते हैं तो उनके बिना कार्य चलाया जाता है। अतः उन्हें न भरने से कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इससे प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता होती है। इन शासनादेशों की एक-एक प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ.....पर।)

अतारांकित प्रश्न

हेतिमपुर, देवरिया में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित किये जाने पर विचार

श्री नन्द किशोर सिंह--

1 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत हेतिमपुर में सहकारी क्षेत्र में गन्ना फैक्ट्री खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक फैक्ट्री बन जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

देवरिया जिले के हेतिमपुर क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना की सम्भावना के संबंध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है और तदोपरान्त यथासमय गुणावगुण के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश सचिवालय की कतिपय शाखाओं में भविष्य निधि की अपूर्ण पास बुकें तथा पास बुकों की प्रविष्टियों का महालेखाकार कार्यालय के खातों से मिलान

श्री राम आसरे वर्मा

2 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासकीय आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश सचिवालय की कतिपय शाखाओं में कार्यरत राजकीय कर्मचारी/अधिकारी की भविष्य निधि की पास-बुकों में न तो वांछित प्रविष्टियां ही वित्तीय वर्ष 1981-82 तक की गयी है और न ही प्रश्नगत पास-बुकों में यदाकदा की गयी प्रविष्टियों को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में खोले गए सम्बन्धित खातों में रिकन्साइल्ड किया जा सका है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की की गयी, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां, सचिवालय की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार सचिवालय प्रशासन (लेखा), पर्वतीय विकास, चिकित्सा, नियोजन, राजस्व, सिंचाई एवं ऊर्जा; शिक्षा तथा वित्त विभागों को छोड़ कर सचिवालय के अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की भविष्य निर्वाह निधि की पास बुकों में वित्तीय वर्ष 1981-82 तक की वांछित प्रविष्टियां पूर्ण नहीं हैं। सम्बंधित शाखाओं के सचिवों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपनी शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों की पास बुकों में प्रविष्टियां अधावधिक रूप से पूर्ण करा लें तथा इस

विषय में शासन के आदेशों की अवहेलना के लिए दोषी पाये गए कर्मचारियों/अधिकारियों को सचेत कर दें।

सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की पास बुकों में की गई प्रविष्टियों का मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में खोले गए खातों से किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतएव इस विषय में शासन के आदेशों की अवहेलना का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बरेली जनपद में बाढ़ से प्रभावित ग्राम, जनसंख्या तथा कुल क्षति

श्री जयदीप सिंह बरार—

3क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 82 के दौरान जनपद बरेली के कितने ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए? इन ग्रामों की जनसंख्या कितनी है और बाढ़ से इन ग्रामों को कुल कितनी धनराशि की क्षति हुई?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1982 की बाढ़ के दौरान बरेली जनपद के 819 ग्राम बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुये इन ग्रामों की 6,56,878 जनसंख्या है। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से इन ग्रामों को कुल रु0 8,32,50,605/-की क्षति होने का अनुमान है।

जालौन जनपद में बाढ़ से हुयी क्षति, रोकथाम के उपाय तथा बाढ़ सलाहकार समिति की बैठक

श्री दलगंजन सिंह—

4 क्या सरकार बतायेगी कि जनपद जालौन में जल प्लावन व बाढ़ से 1982 में कितनी क्षति हुई है? इसकी सरकार ने रोकथाम क्या उपाय किए और बाढ़ सलाहकार समिति की बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद जालौन में वर्ष 1982 में बाढ़ से 163 ग्राम की 15902 एकड़ खरीफ की फसल को 70 प्रतिशत क्षति पहुँची। अनुमानित क्षति का कुल मूल्यांकन 58,01,150 रु0 है। 479 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा बाढ़ के दौरान एक व्यक्ति की नाले में डूब कर मृत्यु हुई थी।

बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से यथा आवश्यक स्थानों पर नावों की व्यवस्था कर दी गई थी और राजस्व विभाग एवं खंड विकास के कर्मचारियों को बाढ़ चौकियों पर तैनात किया गया था।

बाढ़ में मृतक के परिवार को 1000 रु0 अनुदान के रूप में दिया गया। गृह अनुदान में 46,000 रु0, अहेतुक सहायता में 18,000 रु0 तथा आपदा तकावी के रूप में 3,50,000 रु0 प्रभावितों को वितरित किया गया।

बाढ़ सूखा सलाहकार समिति की जिला स्तर पर बैठक दिनांक 15-5-82 व 19-7-82 को हुई थी। अतएव उक्त समिति की बैठक न बुलाने का प्रश्न नहीं उठता।

ताड़ी और भांग की बिक्री पर बिक्री-कर निर्धारण, वसूली व बकाये का विवरण

श्री यदुनाथ सिंह--

5 क्या वित्तमन्त्री को ज्ञात है कि ताड़ी और भांग की बिक्री पर बिक्री कर है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 से 82-83 में 31-12-82 तक लखनऊ के बिक्रीकर कार्यालय ने इन कर दाताओं में डीलर वाइज खण्ड वाइज और वर्ष वाइज, कितना कर रूपपत्रों के साथ जमा किया, कितना कर निर्धारण किया गया, कितना बकाया रहा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ।

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ.....पर।)

दि लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लि0, हरदोई पर सीतापुर क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किये गये गन्ना का काश्तकारों को भुगतान

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

6 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दि लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लि0, हरदोई पर गन्ना काश्तकारों, जिन काश्तकारों ने सीतापुर जिले में स्थित क्रय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति की है, का कुल कितना रुपया इस समय बकाया है ? अब तक उसे अदा न करने का क्या कारण है ? कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

दि लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स, हरदोई के सीतापुर जिले में चार गन्ना क्रय केन्द्र हैं, जिन पर आपूर्ति किये गये गन्ना का, पेराई सत्र 1977-78 का रु0 13,17,428.39 तथा पेराई सत्र 1981-82 का रु0 2,66,987.60 बकाया है। यह बकाया रिसीवर की नियुक्ति के पूर्व का मिल मालिकों के समय का है। सत्र 1977-78 के बकाया गन्ना मूल्य का मामला न्यायालय में विवाद-ग्रस्त है। सत्र 1981-82 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ही कलक्टर द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की गयी है और उक्त धनराशि का भुगतान मिल द्वारा धन अर्जन करने पर ही किया जा सकेगा।

सहकारी गन्ना विकास समिति, देवरिया में की गयी सामयिक नियुक्तियाँ

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

7 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया केन यूनियन में दिसम्बर, 1982 में विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां की गयीं हैं ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों का आधार क्या था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सहकारी गन्ना विकास समिति देवरिया में माह दिसम्बर 82 में 6 सामयिक लिपिक एवं 5 पर्ची वितरकों की नियुक्ति की गयी थी। सामयिक लिपिकों की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण, 2-3-83 को इनकी नियुक्तियाँ निरस्त कर दी गयी हैं।

उपर्युक्त नियुक्तियाँ समिति के कार्यहित में की गयी।

दि ओरियन्टल फाइनेन्स कारपोरेशन, महानगर, लखनऊ का पंजीकरण, गतिविधियां तथा प्रदेश में किया गया कारोबार

श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री रुद्रप्रताप सिंह--

8 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 में फाइनेंस कारपोरेशन के नाम से कितनी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन 31-12-82 को हुआ है ? यह रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हुआ ? क्या सरकार उनकी गतिविधियों से अवगत है तो दि ओरियन्टल फाइनेंस कारपोरेशन, रजिस्टर्ड कार्यालय गोल मार्केट महानगर, लखनऊ ने जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कितना कारोबार प्रदेश में किया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

दिनांक 31-12-82 को फाइनेंस कारपोरेशन के नाम से किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 एवं यू0 पी0 चिट फण्ड अधिनियम 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं चिट्स उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय में नहीं किया गया है। दि ओरियंटल फाइनेंस कारपोरेशन रजिस्टर्ड कार्यालय गोल मार्केट क्रासिंग महानगर लखनऊ नामक फर्म्स का पंजीकरण भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत 27-8-1979 को किया गया था। यह रजिस्ट्रेशन भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58(1) के प्राविधानों एवं तत्संबंधी उ0 प्र0 भारतीय भागीदारी नियमावली 1933 के अन्तर्गत भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए फार्म नं0-1 एवं 50/- निबंधन शुल्क जमा करने के आधार पर किया गया था। भागीदारी अधिनियम 1932 में किसी भी फर्म के पंजीकरण किए जाने के पूर्व अथवा बाद में फर्म की गतिविधियों एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कारोबार की जानकारी प्राप्त किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है परन्तु दि प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बेनिंग) ऐक्ट 1978 के अन्तर्गत फर्म का निरीक्षण कराया गया। फर्म के मैनेजिंग डाइरेक्टर के बाहर होने के कारण निरीक्षण सम्भव नहीं हो सका है अत: दि ओरियंटल फाइनेंस कारपोरेशन रजिस्टर्ड कार्यालय, गोलमार्केट क्रासिंग, महानगर, लखनऊ ने जनवरी 1982 से दिसम्बर 1982 तक कितना कारोबार किया, इसकी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं हो सकी है।

गोरखपुर के ग्राम पकड़डिहा के एक भूखण्ड को जन-हित में राजकीय अस्पताल विशुनपुरा के नाम अंकित करने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार पर कार्यवाही

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

9 क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम पकड़ डिहा तहसील सदर के प्लाट नं0 28 रकबा 1'-96 एकड़ को जन हित में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम करने सम्बन्धी प्रस्ताव करके दिनांक 5-5-79 को पारित प्रस्ताव को शासन के उच्चाधिकारियों एवं मन्त्रियों को मई, 1981 तक प्रश्नकर्ता आदि ने अनेक पत्र दिए। यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

10 क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त भू-संख्या को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने हेतु प्रश्नकर्ता का 12 मार्च, 1981 का पत्र उन्हें मिला और जिसकी प्राप्ति स्वीकृति

तत्कालीन उप सचिव (श्री बद्री नारायण) ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 बी-468/1-2/81 राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ दि0 7 मई, 1981 द्वारा किया है जिसमें जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा सूचना देने की भी बात है ? यदि हां, तो अब तक सूचना क्यों नहीं दी गयी ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

11 क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्लाट को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने के क्रम में सन्निकट ग्राम विशुनपुरा में चल रहे राजकीय अस्पताल के नाम अंकित करने हेतु प्रश्नकर्ता के वर्ष 1982 में कुल कितने पत्र परगनाधिकारी, सदर गोरखपुर, चकबन्दी आयुक्त व आपको प्राप्त हुए ? इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील––

सूचना एकत्र की जा रही है।

चकबन्दी विभाग से राजस्व विभाग में आये अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ

श्री शिवमंगल सिंह––

12 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चकबन्दी विभाग से राजस्व विभाग में आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्या उन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं न मिलने के कारण क्या नई सेवा पुस्तिकायें तैयार की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील––

चकबन्दी विभाग से जो कर्मचारी राजस्व विभाग में आये थे उनमें से अधिकांश की सेवा पुस्तिकायें प्राप्त हो गयी हैं अथवा नयी सेवा पुस्तिकायें बना ली गयी हैं। जिन मामलों में अभी नयी सेवा पुस्तिकायें नहीं बन पायी हैं उनमें तुरन्त नयी सेवा पुस्तिका बनाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं।

बिक्री कर कार्यालय, अकबरपुर क्षेत्र फैजाबाद के अन्तर्गत ईंट भट्ठों पर आरोपित कर से राजस्व प्राप्ति

श्री गोपीनाथ वर्मा––

13 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में स्थित अकबरपुर बिक्री कर कार्यालय क्षेत्र के अन्तर्गत कितने ईंट भट्टे चल रहे हैं तथा 1980-81 एवं 1981-82 के सत्र में कितना टैक्स लगाया गया और अब तक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त––

बिक्रीकर कार्यालय अकबरपुर क्षेत्र (जनपद फैजाबाद) के अन्तर्गत 145 ईंट भट्ठे चर रहे हैं। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में ईंट भट्ठों पर क्रमश: रु0 8,87,095 एवं रु0 11,02,131 कर आरोपित किया गया। वर्ष 80-81 में आरोपित कर के विरुद्ध 28-2-83 तक रु0 6,93,051 और वर्ष 81-82 में आरोपित कर विरुद्ध रु0 8,10,439 की राजस्व प्राप्ति हुई है।

बिक्री कर आयुक्त द्वारा लखनऊ में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये क्रय किये गये आवास, आवंटन तथा आवंटियों से किराये की कटौती

श्री यदुनाथ सिंह--

14 क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ जनपद में आयुक्त बिक्रीकर ने राजपत्रित अधिकारियों व आज पत्रित कर्मचारियो के आवास के लिए कालोनियों में से कुछ आवास गत 5 वर्षों में खरीदे हैं ? यदि हां, तो क्या यह आवास अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित किए गये हैं ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे आवास आवंटित किये गये ? क्या इन आवंटियों से दस प्रतिशत किराए की कटौती की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन आवंटियों का 15 प्रतिशत आवासीय भत्ता बन्द किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ ।

जिन 124 आवासों का कब्जा विभाग को मिला है, उनमें से 7 अधिकारियों व 100 कर्मचारियों को आवास आवंटित किये गये हैं। तीन में बिक्रीकर प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा 14 आवासीय भवन आवंटन के लिये विचाराधीन है।

अधिकारियों से उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराये के रूप में वसूल किया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत कटौती किये जाने का मामला विचाराधीन है।

एक को छोड़कर सभी आवंटियों का 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया गया है। एक आवंटी को भ्रमवश 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया गया है जिसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया जिले में भाट पाररानी वनकटा भटनी व सलेमपुर के सी० ओ० द्वारा निस्तारित मुकदमे

श्री हरिवंश सहाय--

15 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भाट पाररानी वनकटा भटनी व सलेमपुर के सी० ओ० द्वारा कितने मुकदमों का निस्तारण 1-4-82 से 31-12-82 तक गुण-दोष के आधार पर किया गया ? कितने मुकदमों का निस्तारण अनुपस्थिति के आधार पर निर्णीत हुआ ? तथा कितने मुकदमे अभी विचाराधीन हैं ? इन मुकदमों का निरस्तारण कब हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

देवरिया जिला के अन्तर्गत भाट पाररानी वनकटा, भटनी व सलेमपुर के सी० ओ० द्वारा दिनांक 1-4-82 से 31-12-82 तक गुण-दोष के आधार पर 6809 मुकदमों का निस्तारण किया गया। 436 मुकदमों का निस्तारण अनुपस्थिति के आधार पर हुआ। दिनांक 1-3-83 को 3110 मुकदमे विचाराधीन हैं। इनका निस्तारण शीघ्र किया जायेगा।

देवरिया की सलेमपुर तहसील में शीत लहरी से मृत व्यक्तियों का विवरण एवं बचाव के उपाय

श्री हरिवंश सहाय—

16 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, तह0 सलेमपुर में दि0 1-1-83 से 13-1-83 तक कितने लोग शीत लहरी में ठण्ड से मरे ? उनके नाम तथा पता क्या है ? शीत लहरी से बचने के लिए कौन से उपाय किये गये ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर में दिनांक 1-1-83 से 13-1-83 तक श लहरी से कुल सात व्यक्ति मरे जिनके नाम तथा पता एवं उनके परिवार वालों को दी ई सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम तथा पता	मृतकों के परिवारों को दी गई सहायता	
	अहेतुक सहायता रु0	अनुग्रह अनुदान रु0
1—श्री तुफानी पुत्र टेमा खटिक ग्राम मझौली	250	250
2—श्री छोंगुर पुत्र पितम्बर खटिक ग्राम मझौली	250	250
3—कुमारी कलावती देवी पुत्री धनपति हरिजन ग्राम लार	250	250
4—श्री बन्धन पुत्र तपेसर हरिजन ग्राम विराजमार	250	250
5—श्री रामवृक्ष पुत्र भगवान नोनिया ग्राम वभनौली कलां	250	250
6—श्री भृगुनाथ पुत्र सोमारी नोनिया ग्राम वभनौली कलां	250	250
7—एक अज्ञात व्यक्ति भटनी रेलवे स्टेशन पर	—	—

शीत लहरी से बचने के लिये देहाती क्षेत्रों के सभी प्रमुख बाजारों के चौराहों, सार्वजनिक स्थलों एवं शहरी क्षेत्रों में सभी चौराहों, नाकों आदि पर अलाव जलाये गए। गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को 35 कम्बल तथा बाढ़ क्षेत्रों में 160 कम्बल असहायों में वितरित किये गये। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी 9 कम्बल तथा 23 चादरों का वितरण गरीबों में किया गया।

श्री विजय सिंह राना—

(8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कुमार इन्टर प्राइज, पानदरीबा लखनऊ पर बिक्री कर का बकाया तथा वसूली की कार्यवाही

श्री यदुनाथ सिंह—

18 क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि फर्म कुमार इन्टर प्राइज पानदरीबा लखनऊ के बिक्रीकर बकाया रु059049 की वसूली के लिए नीलामी की ता06-10-82 लगी थी? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बकाया रकम किन-किन सालों की है और

इसमें कितना स्वीकृत कर है ? रिकवरी कब तक निकाली गयी और सितम्बर, 1982 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ । परन्तु बिक्रीकर की बकाया रु0 59,049/=न होकर रु0 82,029.05 पैसे थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

वर्ष	बकाया कर	बकाया कर में शामिल स्वीकृत कर
1973-74		
1-4-73 से 1-12-73 तक	11,250/	5,404/
1-1-74 से 31-3-74 तक	14,209/09	4,783/90
1974-75	30,250/	16,788/
1975-76	6,300/	शून्य
योग--	82,029/09	26,975/90

वर्ष 1973-74 व 1974-75 के वसूली प्रमाण-पत्र दि0 22.4.78 को व वर्ष 1975-76 का वसूली प्रमाण-पत्र दि0 23.1.81 को भेजा गया । बाकीदार व्यापार बन्द करके लखनऊ से बाहर चला गया था, इसलिये उसकी तालाश दि0 22.4.78 से ही जारी रही। बाकीदार को दि0 24-3-79 प्रथम बार गिरफ्तार किया गया । पुन: दि0 23-1-81 को गिरफ्तार किया गया परन्तु इस उत्पीड़क कार्यवाही से कोई धन-राशि वसूली नहीं हो सकी। अत: उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा नीलामी की कार्यवाही आरम्भ की गयी ।

लेखपालों की गृह जनपद में नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश तथा पदोन्नत एवं सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की गृह जनपद में नियुक्ति

श्री बलवीर सिंह--

18 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश निकाला है जिसके अन्तर्गत लेखपालों को गृह निवास के जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा ? और नायब रजिस्ट्रार, कानूनगो जो लेखपाल पद से पदोन्नत है वह गृह निवास के जनपद में नियुक्त हो सकेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शासनादेश दिनांक 28-7-76 के द्वारा लेखपालों की उनके गृह जनपद में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। दिनांक 4 नवम्बर, 1982 के शासनादेश द्वारा उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करके यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अब लेखपालों की उनके गृह जनपद में, निवास की तहसील को छोड़कर अन्य तहसील में तैनाती की जाये और भविष्य में लेखपालों की तैनाती में यही नीति अपनायी जाय।

लेखपाल से पदोन्नत सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की उनके गृह जनपदों में नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

सुल्तानपुर जनपद के ग्राम दौलतपुर निसूरा के खाता खतौनी में, पाकिस्तान चले गये श्री अब्दुल गफूर खां का नाम तथा उनकी भूमि के अंश में भागीदारी

श्री गोपीनाथ वर्मा--

20 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर निसूरा परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर स्थित खाता खतौनी संख्या 93 में अंकित खातेदार श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र अब्दुल गफूर खां वर्ष 1947-48 में अपने पुत्र नासिर उर्फ कल्लू सहित पाकिस्तान चला गया है और पाक राष्ट्रीय है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम दौलतपुर निसूरा परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर में स्थित खाता खतौनी सं0 93 में अंकित श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां तनहा पाकिस्तान गये थे उनका पुत्र श्री नासिर उर्फ कल्लू उनके साथ पाकिस्तान नहीं गया। वह भारतीय नागरिक है और वह अभी भी उपरोक्त ग्राम दौलतपुर निसूरा में ही रहता है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

21 क्या यह सही है कि श्री अब्दुल शकूर खां पाकिस्तान जाने के बाद से आज तक भारत वापस नहीं आया है ? यदि हां, तो किस प्रकार उसके भूमि का कुछ भाग श्री जमील अहमद पुत्र फौजदार खां के नाम भागीदारी में अंकित हुआ है उसका आधार क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, यह सही है कि श्री अब्दुल शकूर पुत्र श्री अब्दुल गफूर पाकिस्तान जाने के बाद से अब तक भारत वापस नहीं आया। खाता नं0 93 के एक अन्य भारतीय सहखातेदार श्री इब्राहीम द्वारा अपने अंश का बैनामा श्री जमील अहमद पुत्र श्री फौजदार खां के पक्ष में कर दिया था जिसके फलस्वरूप श्री जमील अहमद पुत्र श्री फौजदार खां भागीदारी में अंकित हुआ।

न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर सुल्तानपुर से श्री अब्दुल शकूर खां के नाम जारी की गयी नोटिसों की श्री श्याम बहादुर सिंह, चपरासी द्वारा गलत ढंग से तामीली

श्री गोपीनाथ वर्मा--

22 क्या यह सही है कि न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर क्षेत्र-6 जिला सुल्तानपुर में वाद संख्या 6895 विचाराधीन है जिसमें न्यायालय से जारी की गयी दो नोटिसों पर श्री अब्दुल गफूर खां पाक राष्ट्रीय के हस्ताक्षर हैं तथा इसकी तामील न्यायालय के चपरासी श्री श्याम बहादुर सिंह ने किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वाद संख्या 6895 चकबन्दी अधिकारी जगदीशपुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दो नोटिसें श्री अब्दुल वाहिद खां एवं पाक-राष्ट्रिक श्री अब्दुल सकूर खां (न कि

भारतीय नागरिग श्री अब्दुल गफूर खां के नाम से जारी की गई) के नाम से जारी की गई थीं तथा न्यायालय के चपरासी श्री श्याम बहादुर सिंह द्वारा उसकी तामील गलत ढंग से की गई जिसके लिए उपरोक्त चपरासी को निलम्बित करके उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अब्दुल शकूर खाँ की निष्क्रान्त भू-सम्पत्ति

श्री गोपीनाथ वर्मा--

23 क्या अब्दुल शकूर खां की भू-सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति अब तक घोषित न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री अब्दुल शकूर खां की भू-संपत्ति शत्रु सम्पत्ति नहीं बल्कि निष्क्रान्त सम्पत्ति है । अतः इस सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति घोषित न किये जाने के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

एस० ओ० सी० सुल्तानपुर न्यायालय से हुए एक फैसले के बावजूद अपीलकर्त्ता के हक में कागजात की दुरुस्तगी

श्री गोपीनाथ वर्मा--

24 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अपील संख्या 418 के अन्तर्गत धारा 78 सी० एच० रूल्स, दि० 27-10-56 को न्यायालय एस० ओ० सी० सुल्तानपुर से फैसला हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि न्यायालय के फैसले के बावजूद अपीलकर्त्ता के हक में कागजात में दुरुस्तगी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

अपील पत्रावली संख्या 418 नियम 78 दिनांक 27-10-56 की पत्रावली दिनांक 4-1-73 को नष्ट की जा चुकी है उक्त स्थिति में अमलदरामद के बारे में जानकारी, किया जा सकना अब संभव नहीं है । संबंधित ग्राम में धारा 9, उ० प्र० चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं हुआ है । प्रकाशन होने के उपरान्त अपील किये जाने पर ही विचार संभव होगा ?

25 श्री राम स्वरूप वर्मा--

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

फैजाबाद की ग्राम सभा घोड़वल की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

श्री मित्रसेन--

26 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा घोड़वल परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद में स्थित ग्राम समाज की भूमि नं० 875 व 876 पर दूसरे गांव के निवासी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त ग्राम समाज की भूमि को उसी ग्राम के निवासी भूमिहीन हरिजनों एवं पात्र व्यक्तियों में आवंटित न किए जाने का क्या कारण है और पुनः आवंटन की कार्यवाही कब कर दी जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम समाज भूमि नम्बर 875 क्षेत्रफल 1-4-0 एवं भूमि नम्बर 876 क्षेत्रफल 0-1-1 खेतौनी वर्ष 1389-94 फ0 में क्रमश: नवीन परती व चकमार्ग अंकित है। इन पर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जो तहसीलदार वीकापुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा मेसर्स बिहारी लाल शीतल प्रसाद पाण्डेगंज पर निकाली गयी मांग तथा करवंचना के लिये पीनल कार्यवाही

श्री यदुनाथ सिंह---

27 क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय फर्म बिहारी लाल शीतल प्रसाद पाण्डेगंज, पर ता0 26-11-77 को वर्ष 1969-70 का कर निर्धारण किया गया और 30106/-81 की मांग निकाली गयी ? क्या यह सही है कि ता0 29-2-80 को अपील अस्वीकार हो गयी ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कर वंचना के लिए पीनल कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ। निकाली गई मांग 30106/==89 थी।

जी हाँ।

करवंचना के लिये पीनल कार्यवाही नहीं की गयी।

पीनल कार्यवाही न करने के लिये संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

गन्ना विकास संघ बैतालपुर, देवरिया के चपरासी श्री धर्मदेव की ठंडक से मृत्यु तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता

श्री नन्द किशोर सिंह---

28 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गन्ना विकास संघ, बैतालपुर के चौकीदार धर्मदेव की मृत्यु ठंडक के कारण जनवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

श्री धर्मदेव, चपरासी की मृत्यु ठंडक लग जाने के परिणामस्वरूप लकवा मार देने से सदर अस्पताल देवरिया में 1-1-83 को हुई है। उसके आश्रित परिवार को तत्काल कर्मचारियों के सहयोग से मु0 1460/=(एक हजार चार सौ साठ रु0)तथा समिति द्वारा चैरटी फण्ड से मु0 500/= (पाँच सौ रु0) की आर्थिक सहायता दी गयी है ।

उपायुक्त (प्रशासन) बिक्री कर द्वारा पदोन्नति आदेश के उपरान्त रिक्त रहे अवशेष पद पर पुनः पदोन्नति आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

29 क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपायुक्त (प्रशासन) बिक्रीकर उ0प्र0 ने जिस चयन सूची से वेतनमान रु0 280-460 के लिए पदोन्नति का आदेश सं0 स्था-5-पदोन्नति 280-460-4888 वि0 दि0 1-1-82 जारी किया था उस चयन सूची में और कर्मचारियों के नाम शेष रह गये जिनकी पदोन्नति पर नियुक्ति नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो उक्त वेतनमान में जो पद उक्त पदोन्नति के बाद भी रह गए थे या जिन पर तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी कार्य कर रहे थे उन पदों पर पदोन्नति के आदेश तुरन्त फिर क्यों नहीं जारी किए गये ?

श्री ब्रह्मदत्त––

जी हाँ।

दिनांक 1-1-82 को पदोन्नति आदेश जारी करने के उपरान्त केवल एक पद रिक्त रह गया था जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, अतः अवशेष एक पद पर उस समय पदोन्नति आदेश जारी करना सम्भव नहीं था।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान में अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी के पदों पर पदोन्नति

श्री मोहन सिंह––

30 क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान में ज्येष्ठान्वेषक (वर्तमान पद नाम अपर संख्याधिकारी) के पदों पर वर्ष 1977 एवं 1980 के अनुमोदित एवं सितम्बर, 1982 से स्थायी सहायक संख्याधिकारियों के पदोन्नति हेतु उपलब्ध रहते हुए भी बिना अनुमोदित एवं अस्थायी व कनिष्ठ सहायक संख्याधिकारियों को ज्येष्ठान्वेषक के पदों पर कार्यरत रहने का क्या औचित्य है तथा इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री ब्रह्मदत्त––

सहायक संख्याधिकारी (वर्तमान पदनाम सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी) के पदों पर सीधी भर्ती के कोटे के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 से प्राप्त वर्ष 1977 में अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची में से जुलाई 1980 तथा उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों तथा कार्मिक विभाग की विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत सहायक संख्याधिकारी के पद पर जून 1980 में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति एवं प्रोन्नत कोटे के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एक याचिका में लिये गये निर्णय के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

ज्येष्ठता निर्धारित होने पर ही यह निर्णय हो सकेगा कि अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर किसे पदोन्नति दी जावेगी। वर्तमान में अपर अर्थ एवं संख्यांधिकारी के कुछ पदों

पर तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारी वर्ष 1980 में नियुक्त/ अनुमोदित सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारियों के पहले से ही कार्यरत है। अनुमोदित सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारित होने पर ही ज्येष्ठ व्यक्तियों को प्रोन्नति हेतु कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रश्न उठेगा। इस स्थिति के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारी तथा नियुक्तियों का आधार

श्री पंचानन राय––

31 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणाधीन दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी, आजमगढ़ में दिनांक 21-1-83 को कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? इनमें कितने दैनिक मजदूरी पर हैं तथा कितने तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गये हैं? नियुक्तियां किस आधार पर की गयी हैं?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, घोसी (आजमगढ़) में दिनांक 21-1-1983 को कुल 60 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें से 13 कर्मचारी नियमित थे और दैनिक मजदूरी पर 47 कर्मचारी थे तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या शून्य थी। नियमित नियुक्तियों के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल संघ ने कुछ व्यक्ति अन्य मिलों से स्थानान्तरण करके भेजे हैं और कुछ की नई नियुक्तियाँ संघ की निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करके की गई हैं। दैनिक वेतन पर कार्य की आवश्यकता एवं उपलब्ध व्यक्तियों की उपयुक्तता के आधार पर व्यवस्था की गई है।

आजमगढ़ के घोसी कस्बे में सहकारी चीनी मिल का निर्माण तथा मिल की पेराई क्षमता

श्री पंचानन राय––

32 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के घोसी कस्बे में कोई सहकारी चीनी मिल निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायगा और इसकी क्षमता क्या होगी?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

जी हाँ। सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद आजमगढ़ का निर्माण मार्च, 1984 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इसकी दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 1250 टन प्रति दिन होगी।

श्री पारसनाथ, बिक्री कर अधिकारी, बहराइच तथा श्री एस0 एस0 चौबे उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर गोरखपुर के विरुद्ध श्री काशी नाथ मिश्रा, विधायक के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री यदुनाथ सिंह––

33 क्या वित्त मन्त्री को माह नवम्बर-दिसम्बर, 1982 में उन्हें श्री काशीनाथ मिश्रा, मू0 पू0 सूचना एवं वित्त राज्य मन्त्री का वर्तमान उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर, गोरखपुर और

बिक्रीकर अधिकारी, बहराइच (निलम्बित) के द्वारा बिक्रीकर की डेढ़ करोड़ राजस्व की हानि के बारे में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच कराई गई और इसका क्या परिणाम रहा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्री काशी नाथ मिश्रा, विधायक बलिया का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें डेढ़ करोड़ की हानि का उल्लेख नहीं है।

श्री पारस नाथ बिक्रीकर अधिकारी (निलम्बित) के विरुद्ध पूर्व में ही जाँच कर ली गयी थी। श्री एस0 एस0 चौबे उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर गोरखपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। श्री पारस नाथ, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, बहराइच को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

34 श्री हरगोविन्द वर्मा--

(7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

35 श्रीमती गौरी देवी--

(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

36 श्री श्याम लाल बाजपेयी--

(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

<u>कोषागार जल हारकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर का निदेशक,
कोषागार एवं लेखा के पत्र पर कृत कार्यवाही</u>

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

37 क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधिकारी, गोरखपुर ने निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को अपने पत्रांक 1245/कोष/अधि0/82-83 दिनांक सितम्बर, 23, 1982 में कोषागार जल हारकों की व्यवस्था पर लिखा है ? यदि हां, तो इस पर निदेशक एवं सरकार स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां, जिलाधिकारी गोरखपुर ने निदेशक, कोषागार एवं लेखा को इस विषय में पत्र लिखा था जिसके उत्तर में सभी कोषाधिकारियों को स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार घड़ों, पानी के नलों, दैनिक वेतन पर पार्ट-टाइम पानी पिलाने वाले की व्यवस्था की जा सकती है।

38 श्री रियासत हुसैन--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जौनपुर के ग्राम रेहटी निवासी श्री बैजनाथ की चकबन्दी अधिकारी द्वारा खारिज आपत्ति

श्री प्रभूनारायण सिंह—

39 क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम रेहटी के निवासी श्री बैजनाथ पुत्र मजा व उनके भाइयों का चकबन्दी अधिकारी ने धारा 9अ/2 के अन्तर्गत व मुकदमा नं0 10504/163 दिनांक 1-7-69 से उनकी भूमि पर नाम दर्ज कर दिया था? क्या यह सत्य है कि चकबन्दी विभाग के अधिकारी उनके मूल नम्बरान को अन्य लोगों के चकों में एलाट कर दिए और उपरोक्त भूमिहीन हरिजनों को आज तक उनकी भूमि पुनः नहीं दी गई? क्या सरकार इस गांव के इन भूमिहीन हरिजनों को उनकी भूमि दिलवायेगी और अनियमितता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम रेहटी के निवासी बैजनाथ पुत्र गजा व उनके भाइयों का मुकदमा नम्बर 10504 धारा 9क(2) निर्णीत दिनांक 16-7-69 द्वारा किसी भूमि पर किसी का नाम नहीं दर्ज किया गया बल्कि उक्त मुकदमा द्वारा बैजू आदि की आपत्ति चकबन्दी अधिकारी ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार चक कटते समय उनके मूल नम्बरान कोई नहीं था बल्कि मुकदमा नम्बर 163 तारीख फैसला 5-9-70 जो कि चकों के पुष्टीकृत होने के बाद चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित हुआ उसके अनुपालन में कुलबुल देवनाथ, बल्ली पुत्रगण गजा को उनकी भूमि पर कब्जा दिया जाना है जो कि जो0 च0 अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत संदर्भ स्वीकार होने के उपरान्त ही दिया जा सकता है। जिलाधिकारी, जौनपुर को निर्देश दे दिये गये हैं कि उक्त संदर्भ के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराके कब्जा दिलवायें।

प्रतापगढ़ के ग्राम रसोइया के चकबन्दी कमेटी के सदस्यों की तथा प्रधान की चकबन्दी कार्य में अनियमितता के सम्बन्ध में जाँच की मांग तथा कृत कार्यवाही

श्री भीखालाल—

40 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसोइया तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ के चकबन्दी कमेटी के सदस्यों तथा प्रधान ने 15-3-82 को सी0 ओ0 चकबन्दी अचलपुर तथा जिलाधीश, प्रतापगढ़ को एक प्रार्थना पत्र दिया तथा इन्हीं लोगों द्वारा चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ को एक तार दिनांक 30-3-82 को दिया गया जिसमें चकबन्दी कार्य में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था और जांच की मांग की गई थी संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, उन शिकायती पत्रों पर जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला? यदि जांच नहीं कराई गई तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसोइया परगना व तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ के चकबन्दी कमेटी के सदस्यों तथा प्रधान ने दिनांक 15-3-82 को चकबन्दी अधिकारी अचलपुर को एक प्रार्थना पत्र

दिया था। चकबन्दी आयुक्त को सम्बोधित उनका तार दिनांक 30-3-82 प्राप्त नहीं पाया जाता है। प्रार्थना-पत्र की जाँच चकबन्दी अधिकारी द्वारा कराई गई। पाई गई त्रुटियों को दुरुस्त कराने के संबंध में 36 संदर्भ बनाये गये जिनमें से 29 संदर्भ बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपने जाँच के पश्चात् उप संचालक चकबन्दी प्रतापगढ़ को निस्तारण हेतु प्रेषित किया है। इस ग्राम में केवल 7 संदर्भ में फरीकों के मध्य विवाद है। इनकी सुनवाई हेतु। तिथि 19-3-83 निश्चित है।

बाराबंकी के ग्राम बरौलिया की भूमि ग्राम समाज में निहित किये जाने सम्बन्धित तहसीलदार फतेहपुर के आदेश

श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि क्या यह यही है कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर के तहसीलदार द्वारा मुकदमा नं0 381/71/241/9-7-76 के तहत यह आदेश हुआ था कि खाता संख्या 294 के गाटा संख्या कुल 10 किता/26/13 भूमि स्थित ग्राम बरोलिया परगना बदोसराय ग्राम समाज में निहित की जाय? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत भूमि भूमिहीनों में आवंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील––

प्रश्नगत मामले में परगनाधिकारी फतेहपुर के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है।

उन्नाव के ग्राम समाधा में चकबन्दी कार्य, दोबारा मूल्यांकन तथा चकों का आवंटन

श्री भीखा लाल––

*42 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाधा तहसील पुरवा जिला उन्नाव में भूमि के दोषपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर गांव की चकबन्दी क्या वर्ष 1974 में रोक दी गयी थी और जांच के उपरान्त यह आदेश दिया गया था कि भूमि का नये सिरे से मूल्यांकन करके चकों का आवंटन किया जाय? यदि हां, तो दोबारा मूल्यांकन कब पूरा किया गया और चकों का आवंटन अब तक हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील––

जी नहीं, ग्राम समाधा तहसील पुरवा जिला उन्नाव में भूमि के दोषपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर गांव की चकबन्दी वर्ष 1974 में नहीं रोकी गयी थी, वरन् सहायक संचालक चकबन्दी द्वारा चक निगरानियों एवं धारा 48(3) के अन्तर्गत पंजीकृत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में दिनांक 20-6-79 को ग्राम की प्रस्तावित चकबन्दी योजना को सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थना पत्रों को विनिमय अनुपात की आपत्ति मान लें तथा प्रार्थना पत्रों में उल्लिखित गाटों तथा ग्राम के अन्य सभी गाटों का विनिमय अनुपात का भलीभाँति शत प्रतिशत जाँच कर लें तथा अपनी आख्या चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करें।

दोबारा मूल्यांकन दिनांक 20-1-80 को पूरा कर लिया गया। चक आवंटन हेतु अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं। निर्धारित लक्ष्य के ग्रामों के कार्य की पूर्ति में व्यस्त रहने के कारण चक आवंटन कार्य पूरा न हो सका। इसमें शीघ्रता कराई जा रही है।

मिर्जापुर की चुनार तहसील के कतिपय विकास खण्डों में बाढ़ से क्षति तथा भूराजस्व की छूट

श्री यदुनाथ सिंह--

43 क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील के नारायनपुर सीखड़, राजगढ़ एवं पड़ारी विकास क्षेत्रों में वर्ष 1982 में बाढ़ आयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की मालगुजारी और पनिकट माफ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हाँ। तहसील चुनार के विकास क्षेत्र नारायनपुर के 69 ग्राम, सीखड़ विकास क्षेत्र के 92 गांव, जमालपुर विकास क्षेत्र के 43 गांव एवं राजगढ़ बिकास क्षेत्र के 8 गांव तथा तहसील मिर्जापुर के पड़री विकास क्षेत्र के 32 गांव वर्ष 1982 की बाढ़ से प्रभावित हुए थे जिनमें फसलों को 50 प्रतिशत से ऊपर क्षति हुई थी। उक्त सभी 244 बाढ़ प्रभावित ग्रामों में भूराजस्व की रु0 2,03,307-53 पै0 की छूट का प्रस्ताव जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 8-3-83 द्वारा सचिव, राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को भेज दिया गया है। राजस्व परिषद् से प्रस्ताव एवं संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। सिंचाई विभाग द्वारा नारायनपुर विकास खंड के रामरायपुर पम्प नहर पर गंगा की बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त 44-39 एकड़ रकबे पर रु0 899-73 पै0 की छूट दी गई है।

मिर्जापुर की चुनार तहसील में बाढ़ पीड़ितों को वितरित राहत सामग्री तथा पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था

श्री यदुनाथ सिंह--

44 क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1982 में मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में गंगा एवं गड़ई नदी की बाढ़ में शासन द्वारा कितना टन गेहूं, चावल और मिट्टी का तेल वितरित किया गया ? बाढ़ के बाद शासन द्वारा कितने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी ? क्या बाढ़ क्षेत्रों में शासन द्वारा पशुओं को चारे की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982 में मिर्जापुर जनपद की तहसील चुनार में 182 ग्राम गंगा नदी से तथा 61 ग्राम गड़ई नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत पहुँचाने हेतु निम्नलिखित राहत सामग्रियाँ वितरित की गई :--

गेहूँ	–	250.50 टन
आटा	–	10.20 ,,
चना	–	11.40 ,,
गुड़	–	0.638,,
नमक	–	9.90 ,,
मिट्टी का तेल	–	62 ड्रम
दियासलाई	–	50 पेटी
		(35,987 अदद)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 45 सरकारी समिति की दुकाने पहले से कार्यरत थीं। बाढ़ के बाद उनकी 11 शाखायें और खोली गई। इस प्रकार कुल 56 दुकाने कार्यरत हैं।

पशुओं को चारे के लिये जिला पशुधन अधिकारी द्वारा चुनार तहसील में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को 60 रुपये प्रति कुन्तल की दर से बेचने के लिये 5 कुन्तल भूसा भेजा गया था किन्तु उसमें से केवल 2 कुन्तल 93 किलो भूसा बिका। इसके अतिरिक्त बन विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चरने की छूट भी दी गई थी।

सहारनपुर जनपद के ब्लाक नारसन के कतिपय ग्रामों में हरिजन आवास के लिये ली गयी भूमि तथा जिलाधिकारी की संस्तुतियों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राम स्वरूप निम––

45 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 76-77 में ग्राम मुडलाना, मुड़लाकी, मुड़ाकी ब्लाक नारसन जनपद सहारनपुर में हरिजन आवास के लिए मुआवजा देकर जमीन ली गई थी और कब्जा दिला दिये गये थे? क्या जिलाधिकारी सहारनपुर ने उक्त आवासीय जमीनों को पुनः उन्हीं जमींदारों को वापिस करने की संस्तुति की हैं? जिनसे जमीन ली गई थी? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बैजनाथ कुरील––

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिक्रीकर विभाग कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न दिये जाने पर विचार

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

46 क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वेतन आयोग द्वारा बिक्रीकर विभाग के कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न (नार्व) नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त––

जी हाँ। यह विचाराधीन है।

47 श्री नरेश अग्रवाल––

(9वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

दि रत्ना शुगर मिल्स लि0 जौनपुर पर फैजाबाद की टांडा तथा अकबरपुर तहसील के किसानों का बकाया

श्री गोपीनाथ वर्मा––

48 क्या विकास गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि रत्ना शुगर मिल्स लि0 जौनपुर द्वारा जनपद फैजाबाद की टांडा तथा अकबरपुर तहसीलों के किसानों का गत वर्षों का पैसा भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो यह बकाया मिल मालिकों द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया तथा किन-किन वर्षों का और कितना बकाया है? यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किसानों के गन्ने का बकाया पैसा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? क्या किसानों को बकाया रकम ब्याज सहित भुगतान करायी जायगी?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

49 श्री गोपीनाथ वर्मा—

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री राममूर्ति सिंह बिक्रीकर अधिकारी (प्रथम) के विरुद्ध श्री राम आश्रम जायसवाल, घुघली गोरखपुर के शिकायती पत्र पर जांच

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

50क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्रीकर अधिकारी (प्रथम) श्रीराममूर्ति सिंह के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र अभी हाल में पत्रकार श्री राम आश्रम जायसवाल, घुघली, गोरखपुर ने दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या है एवं इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ ।

श्री सिंह के विरुद्ध रिश्वत लेने, व्यापारियों को परेशान करने, आय के साधनों से ऊँचा रहन-सहन होने, व भ्रष्ट तरीके से परिवार के सदस्यों के नाम संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाये गये हैं। किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख शिकायत में नहीं है । उक्त शिकायती पत्र पर जांच करायी जा रही है।

गन्ना विकास परिषद् बलरामपुर गोंडा द्वारा ग्राम पूरे वसालत के समीप नाले पर पुलिया का निर्माण

श्री रामहर्ष राय तथा श्री सूबेदार सिंह—

51 क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में विकास परिषद् बलरामपुर द्वारा ग्राम पूरे बसालत के समीप स्थित नाले पर स्थित पुलिया का किया जा रहा निर्माण कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जबकि इसके निर्माण का कार्य सन् 81 में ही प्रारम्भ हो गया था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्नगत पुलिया के निर्माण का कार्य जिन ठेकेदारों को दिया गया था उन्होंने निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूरा नहीं किया । अतः उनके विरुद्ध गन्ना विकास परिषद् द्वारा कार्रवाई की गयी एवं ठेका रद्द कर दिया गया । वर्ष 82-83 में परिषद् के बजट में इस कार्य हेतु धन का प्राविधान किया गया है एवं निर्माण-कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है ।

राज्य नियोजन संस्थान के पी0 एच0 डी0 उपाधि प्राप्त अधिकारियों को विशेष वेतन दिये जाने पर विचार

श्री भीखालाल—

52 क्या वित्त मंत्री को यह ज्ञात है कि द्वितीय वेतन आयोग के शासकीय संकल्प बिन्दु 27 में उल्लिखित नियम के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान उ0 प्र0 के पी0 एच0 डी0

धारकों को पी0 एच0 डी0 एलाउन्स का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक शासन ने कितने पी0 एच0 डी0 धारक को भत्ते का भुगतान किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों और शासकीय संकल्प विन्दु 27 के परिपेक्ष्य में राज्य नियोजन संस्थान में पी0 एच0 डी0 उपाधि प्राप्त अधिकारियों को पी0 एच0 डी0 विशेष वेतन दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

53 श्री राधेश्याम पटेल तथा श्री यदुनाथ सिंह—

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वाराणसी के ग्राम हिनौती (लोहरपुरवा) में अतिरिक्त भूमि के आवंटियों को कब्जा

श्री यदुनाथ सिंह—

54 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हिनौती (लोहरपुरवा) तहसील चकिया जनपद वाराणसी की सीलिंग की 44 बीघा भूमि यथाविधि दिसम्बर, 82 में आवंटन की प्रक्रिया में पात्र व्यक्तियों को एस0 डी0 एम0 चकिया द्वारा पट्टा दिया जा चुका है ? किन्तु मौके पर पट्टेदारों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वैजनाथ कुरील—

ग्राम हिनौती (लोहरपुरवा) तहसील चकिया जनपद वाराणसी में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित 44 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन परगनाधिकारी, चकिया के अनुमोदन दिनांक 1-12-82 के अन्तर्गत किया गया तथा आवंटियों को पट्टा दिया जा चुका है। इन पट्टेदारों को मौके पर अभी कब्जा नहीं दिया जा सका है क्योंकि इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त, वाराणसी के यहां कार्यवाही विचाराधीन है और उनके आदेश दिनांक 17-1-83 के अनुसार निर्णय होने तक यथास्थिति बनाये रखने तथा अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश हुये हैं।

जूनियर हाई स्कूल भीटी, फैजाबाद के स्कूल फार्म की भूमि थाना भवन हेतु देने सम्बन्धित आदेश

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

55 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल भीटी फैजाबाद से लगी भूमि नं0 576 रकबा सवा चार बीघा डेढ़ बिस्वा बीस बिस्वांसी खाता नं0 935 ग्राम काही परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में स्कूल फार्म के नाम से अंकित थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भूमि ग्राम सभा भूमि प्रबन्धक समिति काही के प्रस्ताव पर परगनाधिकारी अकबरपुर ने अपने आदेश दिनांक 28-9-82/10-2-82 के द्वारा स्कूल फार्म

के नाम से खारिज करके थाना भवन हेतु स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

स्कूल फार्म के नाम से अंकित प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि को थाना भवन हेतु देने के लिए भूमि प्रबन्धक समिति ने प्रस्ताव पारित किया था जिसे परगनाधिकारी ने 28-1-82 को स्वीकृत किया और जिलाधिकारी ने भूमि पुर्नग्रहण कर थाना भवन के लिये देने के आदेश दिनांक 10-2-82 को दिये। यह कार्य जनहित में किया गया है।

उन्नाव की ग्राम सभा खैरी गुरुदासपुर में हरिजन आबादी के लिये छोड़ी गयी भूमि पर अनियमित कब्जा

श्री भीखालाल—

56 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण प्रकाश मिश्र प्रधान सभा खैरी गुरुदासपुर तहसील सफीपुर जिला उन्नाव का प्रार्थनापत्र दिनांक 12-6-82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 25-6-82 के साथ जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गयी है कि भूमि नं0 412 रकबा दो बीघा हरिजन आबादी के लिए छोड़ी गई है लेकिन ग्राम सभा के भू0 पू0 प्रधान तथा लेखपाल उसको अनियमित रूप से बटाई पर उठाकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं और आवंटन में बाधा डाल रहे हैं ? यदि हां, तो नाजायज कब्जा हटवाने तथा भू0 पू0 प्रधान व लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यावाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

प्रश्नगत मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य चीनी निगम की जरवल रोड इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण तथा दैनिक वेतन भोगी व वाउचर पेड कर्मचारियों को नियमितिकरण की मांग

श्री बाबूलाल—

57 क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित यूनिट जरवल रोड में सीजन 82-83 में कितने कर्मचारी डेली वेजेज, वाउचर पेड, रेगुलर सीजन प्रारम्भ होने से कार्य कर रहे हैं तथा कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? इन के अब तक परमानेन्ट न होने का क्या कारण है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित यूनिट जरवल रोड में सीजन 82-83 में 1.12.82 से सीजन प्रारम्भ होने के बाद कार्यरत दैनिक वेतन, वाउचर पेड तथा रेगुलर कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :—

1.12.82 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों का प्रकार	पिछले सत्र में कार्य कर चुके कर्मचारी जिन्हें पुनः रखा गया	नये रखे गये कर्मचारी	योग
1—रेगुलर (स्थायी)	299	1	300
2—रेगुलर (प्रोबेशन)	—	2	2
3—सीजनल (स्थायी)	530	37	567
4—अस्थाई	95	8	103
5—वाउचर पेड	190	73	263
6—दैनिक वेतन भोगी	—	53	53
योग :—	1114	174	1288

1.3.1983 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों का प्रकार	पिछले सत्र में कार्य कर चुके कर्मचारी जिन्हें पुनः रखा गया	नये रखे गये कर्मचारी	योग
1—रेगुलर (स्थायी)	299	2	301
2—रेगुलर (प्रोबेशन)	—	4	4
3—सीजनल (स्थायी)	529	39	568
4—अस्थायी	93	13	106
5—वाउचर पेड	182	83	265
6—दैनिक वेतन भोगी	—	21	21
योग:—	1103	162	1265

चीनी उद्योग एक सीजनल उद्योग है, अतः स्थायी कर्मचारियों की संख्या सीमित रखनी पड़ती है। रेगुलर (स्थायी) तथा रेगुलर (प्रोबेशन) पदों पर कुशल/विशिष्ट योग्यता के अनुभवी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना था और वैसा ही किया गया। सीजनल

(स्थायी) पदों पर सेवा निवृत्त, मृत अथवा कार्य करने के योग्य न रह गये कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति उनके स्थान पर की गई। अतः इन पदों पर अस्थायी बाउचर पेड अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जा सका।

बाराबंकी जनपद के ग्राम किन्तूर के चकों का प्रकाशन तथा कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही

श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस––

58 प्रथम सत्र 82 के 8वें शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किन्तूर परगना बदो सराय तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी के कब्जा परिवर्तन में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील––

प्रथम सत्र 82 के 8वें शुक्रवार के ता0 प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के संदर्भ में ग्राम किन्तूर परगना बदोसराय तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में चकों का प्रकाशन धारा 20 के अन्तर्गत हो चुका है। पम्प कैनाल से संबंधित मामले अभी शासन के विचाराधीन हैं। इस ग्राम से संबंधित शासन में विचाराधीन मामलों के निस्तारण तक ग्राम में आगामी चकबंदी कार्य कराना सम्भव नहीं है।

59 श्री मोती लाल देहलवी––

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

60 श्री मोती लाल देहलवी––

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

61 श्री मोती लाल देहलवी––

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

मेला मकनपुर, कानपुर की प्रकाशित स्मारिका में सम्पादक के स्थान पर स्टेनोग्राफर का नाम

श्री मोती लाल देहलवी––

62 क्या सरकार को जानकारी है कि परगनाधिकारी बिल्हौर की अध्यक्षता वाली मेला मकनपुर जनपद कानपुर की कोई स्मारिका वर्ष 81 में प्रकाशित हुई है ? यदि हां, तो उसके सम्पादक हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील––

प्रश्नगत स्मारिका में कोई भी सम्पादक नियुक्त नहीं हुआ था। श्री श्यामलाल तिवारी स्टेनोग्राफर का नाम प्रेस की भूल से सम्पादक के स्थान पर छप गया था।

63 श्री मोती लाल देहलवी––

(8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लोअर सबार्डिनेट सर्विस परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

श्री राम आसरे वर्मा—

64 क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर सबार्डिनेट सर्विस परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद हेतु सफल एवं लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित लगभग 160 अभ्यर्थियों की अभी तक विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं की गई जबकि उक्त परीक्षा के आधार पर ही चयनित मनोरंजन कर निरीक्षक तथा आबकारी निरीक्षक आदि पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न में लिखित वर्ष 1978 में तो नहीं किन्तु वर्ष 1979 में लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा द्वारा चयनित नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति हेतु 153 अभ्यर्थियों की सूची राजस्व परिषद्, जो इस पद के नियुक्ति प्राधिकारी है, को प्राप्त हुई है। "दि सबार्डिनेट रेवेन्यू एक्जीक्यूटिव सर्विस (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली" के नियम 11 तथा 21 की व्यवस्थानुसार नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों से आचरण एवं चरित्र, स्वास्थ्य तथा घुड़सवारी के प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों से मांगे गये हैं, जो सभी से अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। सभी अभ्यर्थियों से जब आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जावेंगे तभी नियमानुसार उनकी श्रेष्ठताक्रम में नियुक्ति की जा सकेगी।

65 श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जनपद कानपुर (देहात) में मेला मकनपुर की स्मारिका छपवाने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध श्री मोती लाल देहलवी, विधायक की शिकायत पर जांच तथा मेला कमेटी का रिकार्ड सील किये जाने की मांग

श्री मोतीलाल देहलवी—

66 प्रथम सत्र 82 के 4थे शुक्र के अता0प्र0सं035 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के उल्लिखित पत्र दिनांक 24-3-81 के पत्र की जांच किससे कराई गई और जांच में प्रश्नकर्त्ता को प्रमाण देने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-3-81 की जाँच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा कराई गई थी और आरोपों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु श्री देहलवी को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

श्री मोती लाल देहलवी—

67 प्रथम सत्र 82 के 1ले शुक्र के अता0प्र0सं0 199 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक क्या सूचना एकत्र की गयी है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र में मेला कमेटी मकनपुर जनपद कानपुर के वर्ष 1980-81 के रिकार्ड को सील कराकर जांच कराने की अपेक्षा की थी। प्रश्नगत पत्र पर जांच कराई गई थी, रिकार्ड सील करने की आवश्यकता नहीं पाई गई थी।

68 श्री मोती लाल देहलवी--

(दिनांक 27-8-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 114 द्वारा उत्तरित)

69 श्री मितसेन--

(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

हरदोई में मल्लावां-गौसगंज सड़क पर सई नदी में नाव डूबने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

70 क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि माह जनवरी, 1983 में किसी दिन हरदोई जिले में गौसगंज के पास तीन नावें नदी में डूब गई जिसमें लगभग 40 से अधिक व्यक्तियों के डूब कर मर जाने की खबर है ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में स्थित मल्लावां-गौसगंज सड़क पर सई नदी में दिनांक 17-1-83 को प्रातः 9-45 बजे तीन नावें उलट गई थीं। इस घटना में दो नावों पर सवार व्यक्ति बच गये क्योंकि नदी के किनारे वहाँ पर पानी कम था। एक नाव जो नदी के बीच धार में थी, उस पर लगभग 20-22 व्यक्ति तथा लगभग 17 साइकिलें लदीं थीं। साइकिलों के खिसकने के कारण नाव पर सवार व्यक्तियों द्वारा सम्हालने का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप गहरे पानी में इस नाव का सन्तुलन बिगड़ गया और यह नाव गहरे पानी में डूब गयी। कुछ लोग तैर कर स्वयं किनारे आ गये और कुछ को अन्य व्यक्तियों की सहायता से बाहर निकाल लिया गया। इस नाव पर सवार बाहर निकाले गये तीन व्यक्ति असहनीय ठंडक के कारण मृत पाये गये।

मृतक व्यक्ति दो परिवारों के थे, दोनों परिवारों को रु0 1000/- प्रति परिवार की दर से अर्थात् कुल 2000/-रु0 की विशेष सहायता घटना के दूसरे ही दिन उनके परिवार के सदस्यों को दी गई। जिलाधिकारी द्वारा भी उनके घर जाकर सान्त्वना दी गई।

बुलन्दशहर के ग्राम रूढ़ बांगर में भूमिहीन हरिजनों को आवंटित भूमि तथा कब्जा

श्री माधव प्रसाद--

71 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के ग्राम रूढ़ बांगर में हरिजन भूमिहीनों को कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई है ? तथा उक्त आवंटित भूमि में से कितने एकड़ भूमि पर भूमिहीनों का कब्जा है ? तथा उक्त आवंटित भूमि में से कितने पर अनाधिकृत लोगों का कब्जा है ? सरकार अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रूढ़ तहसील अनूपशहर में 58 अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को 84 बीघा 13 बिस्वा 18 बिस्वांसी अर्थात् 52-93 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इन 58 आवंटियों में से 47 का कब्जा 70 बीघा 7 बिस्वा 18 बिस्वांसी अर्थात् करीब 44 एकड़ पर है। पांच आवंटियों की 6 बीघा 15 बिसवा अर्थात् 4-22 एकड़ पर अनाधिकृत लोगों का कब्जा है। पांच अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं।

गोरखपुर की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया तथा मिलों द्वारा क्रय किये जा रहे गन्ने की पर्ची पर मूल्य अंकित किया जाना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

72 क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की चीनी मिल सिसवा घुघली फरेन्दा व सरदारनगर पर वर्ष 81-82 व 82-83 में 31-1-83 तक कितनी मात्रा में धनराशि का भुगतान किसानों को पाना शेष है ? इस बकाये धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जनपद गोरखपुर की चीनी मिल सिसवा बाजार, घुघली, फरेन्दा (आनन्दनगर) व सरदारनगर पर वर्ष 1981-82 व 1982-83 का दिनांक 31-1-83 तक किसानों को निम्नलिखित गन्ना मूल्य पाना शेष है :—

चीनी मिल का नाम	शेष गन्ना मूल्य (लाख रु 0 में)		
	1981-82	1982-83	योग
सिसवाबाजार	84.75	67.86	152.61
घुघली	22.27	19.84	42.11
फरेन्दा (आनन्दनगर)	8.88	116.34	125.22
सरदारनगर	3.60	173.79	177.39
योग	119.50	377.83	497.33

हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है कि उक्त गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाय।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

73 क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने की पर्चियों पर कीमत नहीं अंकित की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

जी नहीं।

उक्त मिलों द्वारा पेराई सीजन 1982-83 के लिए 20.50 रु0 प्रति क्विंटल की दर अंकित की जा रही है।

74 श्री राम प्रसाद––

(11वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वाराणसी के ग्राम गड़खड़ा में जच्चा बच्चा अस्पताल के लिये चकबन्दी में छोड़ी गयी भूमि तथा श्री लट्टूर के चक से चकरोड

श्री ऊदल––

75 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गड़खड़ा परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में जच्चा बच्चा अस्पताल के लिए जो जमीन चकबन्दी में छोड़ी गयी थी उसको निगरानी नं0 1174 के द्वारा ए0 डी0 डी0 सी0 ने 6-1-82 को बदल कर बहुत दूर कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील––

ग्राम गड़खड़ा परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में जच्चा बच्चा केन्द्र के लिये चकबन्दी के दौरान गाटा सं0 1606, 2022 व 1605 पर 0-56 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी थी जिसमें निगरानी सं0 1174 निर्णीत दिनांक 6-1-82 द्वारा संशोधन करके 22-1/2 एकड़ भूमि कम करके समीप में ही गाटा सं0 1611, 2012 व 2013 पर 0-19 एकड़ भूमि दी गयी है। उक्त निगरानी में पुनः स्थापना प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन है।

श्री ऊदल––

76 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गड़खड़ा परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में एस0 ओ0 सी0 पूर्वी ने मु0 नं0 113 धारा 42 दिनांक 25-9-80 के द्वारा लुहुर पुत्र जिरोधन व छेदी पुत्र रामदीन गड़खड़ा का चक रोड ही काट दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील––

चक संख्या 779 लुट्टूर पुत्र रोधन के नाम अंकित है। इस चक के बीच से एक चकरोड प्रदिष्ट की गई थी जिसमें बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश दिनांक 25-9-80 के अन्तर्गत संशोधन करके चक सं0 779 के उत्तरी सिरे से चक रोड बनाई गई है ताकि चकरोड के कारण दो भागों में विभाजित न हो।

सेवा निवृत संयुक्त संचालक, चकबन्दी वाराणसी श्री राधेश्याम चतुर्वेदी के स्थान पर श्री परमानन्द श्रीवास्तव की नियुक्ति

श्री ऊदल––

77 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 डी0 सी0 चकबन्दी वाराणसी रिटायर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जगह ऐसी नियुक्ति कर दी गयी है जिनको रेवेन्यू एवं चकबन्दी का कोई ज्ञान ही नहीं है ? यदि हां, तो इस नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री बैजनाथ कुरील––

श्री राधेश्याम चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक चकबन्दी थे जो 31-12-82 को सेवा निवृत हो गये। उनके स्थान पर श्री परमानन्द श्रीवास्तव उप संचालक चकबन्दी की नियुक्ति की गई है और वे अपने पद का कार्य भी कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं। यह कहना कि इन्हें रेवेन्यू का ज्ञान नहीं है, का कोई आधार नहीं है।

प्रदेश के नागर क्षेत्रों की अकृषक भूमि से जमींदारी उन्मूलन करने का प्रश्न

श्री देवेन्द्र पांडेय––

78 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्रों की अकृषक भूमि से जमींदारी उन्मूलन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील––

प्रदेश के नागर क्षेत्रों की अकृषक भूमि से जमींदारी उन्मूलन करने का प्रश्न सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

79 श्री देवेन्द्र पाण्डेय––

(8 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

भटनी चीनी मिल, देवरिया में सेवा निवृत्त हुए मजदूरों एवं कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति तथा मिल द्वारा की गयी नियुक्तियों का विवरण

श्री हरिवंश सहाय––

80 क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भटनी शुगर कारपोरेशन मिल भटनी जिला देवरिया में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 82 के बीच कितने मजदूर एवं कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए ? कितने ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारी हैं जिनके आश्रितों को नियुक्त नहीं किया गया ? उनके आश्रितों को कब तक नियुक्त कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

भटनी चीनी मिल जिला देवरिया में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 के बीच 42 मजदूर एवं कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए। 17 ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं जिनके आश्रितों को अभी नियुक्त नहीं किया गया। भविष्य में रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर रिक्त पद के लिए उपयुक्त पाये जाने पर उनके आश्रितों को नियुक्त किया जायेगा।

श्री हरिवंश सहाय--

81 क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त शुगर मिल में जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 के बीच कितने कर्मचारियों को किस पद पर नियुक्त किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उक्त चीनी मिल में 1 जनवरी, 80 से 31 दिसम्बर 82 के बीच निम्नलिखित नियुक्तियाँ की गई :--

कर्मचारियों की श्रेणी	संख्या
सीजनल स्थाई अकुशल मजदूर	29
स्थाई अकुशल मजदूर	14
स्थाई लिपिक	4
सीजनल स्थाई पलेदार	14
सीजनल स्थाई टिनस्मिथ	1
सीजनल स्थाई विद्युत् हेल्पर	2
सीजनल स्थाई लिपिक	2
सीजनल स्थाई हेड पेनमैन	1
स्थाई ब्वायलर इन्चार्ज	1
स्थाई कार ड्राईवर	1
अस्थाई सीजनल लिपिक	13
कैज्युवल मजदूर	35
अस्थाई रसायनिज्ञ	2
कुल योग :	119

82 श्री जयदीप सिंह बरार--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

83 श्री गोपीनाथ वर्मा--

(9वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

84-86 श्री गोपीनाथ वर्मा--

(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

87-88 श्री ऊदल--

(दिनांक 11-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-87 द्वारा उत्तरित)

89 श्री ऊदल--

(माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।)

चीनी मिल नन्दगंज (गाजीपुर) रसड़ा बलिया तथा सठियांव (आजमगढ़) पर किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया तथा भुगतान

श्री ऊदल—

90 क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल नन्दगंज, गाजीपुर, रसड़ा, बलिया, सठियांव, आजमगढ़ के ऊपर सन् 81 व 82 का लाखों रुपया किसानों का बकाया पड़ा है ? यदि हां, तो उसको किसानों को दिलाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी तथा 31-1-83 को कितना बकाया रह गया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

नन्दगंज (गाजीपुर), रसड़ा (बलिया) तथा सठियाँव (आजमगढ़) चीनी मिलों पर दिनांक 31-1-83 को किसानों के गन्ना मूल्य का निम्नलिखित भुगतान हेतु अवशेष रहा :—

चीनी मिल का नाम	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रु0)		
	1980-81	1981-82	योग
1. नन्दगंज	0.25	13.13	13.38
2. रसड़ा	0.52	0.57	1.09
3. सठियाँव	1.21	10.69	11.90

वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है। बैंक का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी। खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण अधिकांश मिलों के कैश क्रेडिट लेखे में डैफिसिट हो गयी है। फिर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान हो जाये।

फैजाबाद जनपद की चीनी मिल मसौधा पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया

श्री ऊदल—

91 क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद की दोनों चीनी मिलें बंद कर दी गयी है ? इसका क्या कारण है और उनके ऊपर किसानों का कितने रुपये का बकाया 31-1-83 को है ? बकाया दिलाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

फैजाबाद जनपद में केवल एक चीनी मिल मसौधा में स्थित है जिसमें पेराई जारी है।

उक्त मिल पर दिनांक 31-1-83 को किसानों के गन्ना मूल्य का कुल अंकन 2.90 लाख रु0 बकाया है । पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जाये।

गाजीपुर जनपद में बाढ़ व शीत लहरी से प्रभावितों को खाद्यान्न तथा कम्बलों का वितरण तथा क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग

श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट) तथा श्री यदुनाथ सिंह--

92 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 83 की शीत लहरी से प्रभावित क्षेत्रों में कम्बल एवं अन्न का वितरण कितनी मात्रा में अब तक किया गया है ? वितरण करने के आधार क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि कम्बल आदि का वितरण पात्र व्यक्तियों को न देकर गलत लोगों को किया गया है तथा वितरण में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा जिला प्रशासन द्वारा की गयी है ? क्या सरकार इस गलत वितरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गाजीपुर में दिसम्बर, 1982 व जनवरी 1983 की शीत लहरी में पात्र व्यक्तियों को 3,356 ऊनी कम्बल और 1,478.90 कुन्तल खाद्यान्न का वितरण किया गया है । उपरोक्त सामग्री का वितरण बाढ़ क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर मजदूर एवं निर्बल वर्ग के निर्धन सदस्यों में ही किया गया है, जो दोहरी दैवी आपदाओं (बाढ़ एवं शीत लहरी) के प्रकोप से पीड़ित थे। कम्बल का वितरण केवल पात्र व्यक्तियों में ही किया गया है, गलत वितरण के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । जहाँ तक सम्भव हो सका है, वितरण कार्य क्षेत्रीय, जन प्रतिनिधियों का सहयोग जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त कर उन्हीं की उपस्थिति में किया गया है । अतएव प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया के ग्राम करमैनी के श्री सहाबुद्दीन को चक देने में लेखन त्रुटि का संशोधन

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

93 क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सहाबुद्दीन पुत्र श्री नूरअली ग्राम करमैनी पोस्ट फाजिलनगर जनपद देवरिया को सी0 ओ0 चकबन्दी के स्तर से चक संख्या 620 जिसमें गाटा संख्या 1259 भी शामिल था मिला था ? क्या बंदोबस्त अधिकारी हाटा ने भी उक्त श्री सहाबुद्दीन को गाटा संख्या 1259 पर ही चक देने का आदेश दिया है ? क्या यह सही है कि ए0 सी0 ओ0 चकबन्दी द्वारा की गई 1000 रु0 की मांग पूरी न करने पर उक्त अधिकारी द्वारा गैर कानूनी व मनमाने ढंग से श्री सहाबुद्दीन के चक में दो विभिन्न दूर-दूर के गाटा नम्बरों को दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हाँ ! श्री सहाबुद्दीन पुत्र श्री नूर अली चकदार सं0 620 ग्राम करमैनी पोस्ट फाजिलनगर, जनपद देवरिया को चकबन्दी अधिकारी स्तर से गाटा 1259 भी उनके चक में

शामिल मिला था। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के स्तर पर चकदार सं0 10,620 व 483 के चकों में संशोधन के फलस्वरूप संशोधन तालिका तैयार करने में लिखावट की गलती से गाटा संख्या 1708/0-0-2 1/2 व 1715/0-001/2 संशोधन तालिका में चकदार सं0 620 के चक में अंकित हो गये। इन गाटों पर चक देने का उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अपने आदेश में नहीं किया था। यह लेखन त्रुटि संशोधन तालिका की है जिसकी दुरुस्ती करने के निर्देश बन्दोबस्त अधिकारी चकवन्दी ने दिनांक 28-2-83 को चकबन्दी अधिकारी को दे दिये हैं। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री उमा शंकर पांडे, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया का दक्षता रोक

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

94 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में ऐसे सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं जिनका दक्षतारोक विगत 6-7 वर्षों से अभी तक पार नहीं कराया गया है ? क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इस असाधारण विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है तथा दक्षतारोक को पार कराने के लिए कब तक आदेश जारी हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री उमाशंकर पांडे, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने एवं निलम्बन के कारण दक्षता रोक के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका।

95 श्री प्रदीप कुमार यादव--

(7वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

फैजाबाद के ग्राम अब्बू सराय में ग्राम समाज द्वारा भूमिहीनों को दिये गये पट्टे

श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री माधव प्रसाद, श्री शेरबहादुर, श्री राम अवध प्रसाद तथा श्री लालसा--

96 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अब्बू सराय, जिला फैजाबाद में वर्ष 80-81 में ग्राम समाज द्वारा भूमिहीनों के कितने पट्टे किन-किन व्यक्तियों के नाम दिए गये हैं ? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी पट्टा दिया गया है जिसने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र दिया है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को ?

श्री बैजनाथ कुरील---

वर्ष 1980-81 में ग्राम समाज द्वारा ग्राम अब्बू सराय में किसी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया गया है और किसी ऐसे व्यक्ति को भी पट्टा नहीं दिया गया है जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र दिया हो ?

रायबरेली के ग्राम दोकनहा में खारिज किये गये पट्टे, तथा चकबन्दी के दौरान कन्या विद्यालय और सहकारी समिति के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा

श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

97 क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत ग्राम दोकनहा के किन-किन लोगों के पट्टे 9-1-78 को अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व ने खारिज किए ? क्या उनकी अमलदरामद ग्राम समाज के नाम हुई ? क्या जिनके पट्टे खारिज हुए थे वह लोग

अब भी उस भूमि पर काबिज हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

98 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दोकनहा, जनपद रायबरेली में ग्राम समाज की भूमि पर कितने लोगों का अवैध कब्जा है ? क्या चकबन्दी के दौरान कन्या विद्यालय व सहकारी समिति दोकनहा के नाम भूमि आरक्षित की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर किसका कब्जा है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूतपूर्व काशी नरेश डा0 विभूति नारायण सिंह निवासी रामनगर, वाराणसी की अतिरिक्त घोषित भूमि

श्री यदुनाथ सिंह—

99 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 काशी नरेश डा0 विभूति नारायण सिंह राम नगर वाराणसी के पास वाराणसी सदर तह0 चकिया तह0 ज्ञानपुर तह0 चन्दौली तह0 जनपद वाराणसी में हजारों एकड़ भूमि परती है ? क्या उस पर सरकार सीलिंग ऐक्ट लागू करेगी ? यदि हां, तो क्या सीलिंग के बाद उपलब्ध भूमि को भूमिहीनों एवं सार्वजनिक संस्थाओं में वितरण करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत भू0 पू0 काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह निवासी रामनगर, वाराणसी की 152.49 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है। उ0 प्र0 ऐक्ट सं0 2/1975 द्वारा उक्त अधिनियम में हुये संशोधन के उपरान्त खातेदार श्री विभूति नारायण सिंह की 1147.28 एकड़ सिंचित भूमि मानते हुये अधिनियम की धारा 10(2) की नोटिस दी गई है। यह भूमि जनपद वाराणसी की तहसील सदर, चन्दौली, चकिया, ज्ञानपुर तथा जनपद मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद में है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत 1124.32 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित करने हेतु प्रस्तावित है। न्यायालय में वाद विचाराधीन है । वाद के अन्तिम निर्णय के उपरान्त अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जावेगा ।

श्री दिगविजय सिंह सिनेमा आपरेटर, गन्ना विकास परिषद्, हरगांव, सीतापुर का स्थानान्तरण तथा क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मध्य क्षेत्र, लखनऊ की कथित संस्तुति

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

100 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिग विजय सिंह, सिनेमा आपरेटर, गन्ना विकास परिषद्, हरगांव, जिला सीतापुर का आठ माह के अन्दर दो बार स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

श्री दिगविजय सिंह सिनेमा आपरेटर, लक्सर के प्रार्थना-पत्र पर उनका स्थानान्तरण दिनांक 13 नवम्बर, 1981 को गन्ना विकास परिषद् हरगांव में किया गया। उनके स्थान पर श्री मनोहरन को हरदोई से लक्सर और श्री जे0 एन0 अग्निहोत्री को हरगांव से हरदोई भेजा गया। श्री दिगविजय सिंह ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया था कि वे गृह जनपद इलाहाबाद से बहुत दूर हैं। बाद में श्री मनोहरन ने भी यही आधार दिया कि उनका स्थानान्तरण गृह जनपद से बहुत दूर अकारण ही कर दिया गया है। श्री मनोहरन को हरदोई से स्थानान्तरित किये जाने का कोई अन्य आधार नहीं था, ऐसी दशा में चूंकि एक ही स्तर के दो कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में भिन्न-भिन्न सिद्धान्त नहीं अपनाये जा सकते थे अतः दिनांक 10 सितम्बर, 1982 के आदेश से यह सभी स्थानान्तरण समाप्त कर सभी कर्मचारियों को उनकी मूल नियुक्ति की परिषदों में तैनात कर दिया गया।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा––

101 क्या क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मध्य क्षेत्र लखनऊ ने जनवरी 19, 1983 में श्री दिग विजय सिंह सिनेमा, आपरेटर, गन्ना विकास परिषद्, हरगांव, सीतापुर को हरगांव परिषद् में ही कार्य करने हेतु मुख्य प्रचार अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त उ0 प्र0, लखनऊ को संस्तुति भेजा है ? यदि हां, तो इनको उसी स्थान पर कार्य करने हेतु आदेश निर्गत कर दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

इस तरह का कोई पत्र क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी (मध्य क्षेत्र) का गन्ना आयुक्त कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस पत्र पर कोई कार्यवाही होने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर की नगरपालिका लहरपुर और खैराबाद की जनसंख्या तथा वहां के परिवारों को कारोबार की सहायता

श्री हरगोविन्द वर्मा––

102 क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका लहरपुर और नगर-पालिका खैराबाद (सीतापुर) में कितनी जनसंख्या अलग-अलग है ? दोनों नगरपालिकाओं में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवार हैं और उनकी जनसंख्या क्या है ? क्या सरकार उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन सा कारोबार उनको देने की तैयारी कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त––

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार नगरपालिका खैराबाद/लहरपुर की जनसंख्या क्रमशः 22772 तथा 27137 है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तथा उनकी जनसंख्या के आंकड़े नगर-पालिकावार उपलब्ध नहीं हैं। वैसे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्राम परिवारों को ऊपर उठाने हेतु प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास तथा स्पेशल कम्पो-

नेन्ट प्लान दो मुख्य कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनके अंतर्गत चयनित परिवारों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कारोबार शुरू करने हेतु सहायता दी जाती है।

फैजाबाद के ग्राम डुहिया के निवासियों का उनकी मांझा डुहिया की फसल बाढ़ से क्षति-ग्रस्त होने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

श्री गोपीनाथ वर्मा—

103 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डुहिया, ब्लाक तहसील टांडा, फैजाबाद के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 4 अक्तूबर, 1982 के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र के समस्त शिकायतों की जांच कराकर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम डुहिया ब्लाक टाण्डा के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता मा0 विधायक के पत्र दिनांक 4-10-82 के साथ प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि प्रार्थियों की सम्पूर्ण खेती मांझा डुहिया में है। बाढ़ से सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त हो गई। जानवरों को चारा एवं स्त्री बच्चों के जीविका का साधन नहीं है। उक्त प्रार्थना-पत्र की जाँच जिला प्रशासन फैजाबाद द्वारा कराई गई। जाँचोपरान्त यह विदित हुआ कि कृषकों की खेती जो ग्राम मांझा डुहिया में है, नदी की बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके लिये मालगुजारी की माफी का प्रस्ताव किया जा चुका है। ग्राम डुहिया मांझा से संबंधित कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। ग्राम मांझा डुहिया गैर आबाद है और डुहिया के निवासी मांझा डुहिया में खेती करते हैं।

कानपुर के ग्राम सिंहपुर कछार के ग्राम प्रधान द्वारा मेले में अनियमित रूप से कर वसूलने पर कार्यवाही

श्री हरगोविन्द वर्मा—

104 क्या सरकार की जानकारी है कि ग्राम समाज सिंहपुर कछार, तहसील व जिला कानपुर के ग्राम प्रधान ने विगत दिनांक 1-12-82 को ग्राम सिंहपुर कछार में हुए मेले में सादे कागज के टुकड़ों पर ग्राम समाज की मुहर लगाकर नाजायज रूप से ग्राम समाज के कर के रूप में लगभग 15000 रुपया एकत्र किया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम समाज के प्रधान द्वारा नाजायज रूप से जबरन एकत्र किए गये धन की जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम समाज सिंहपुर कछार तहसील व जिला कानपुर के ग्राम प्रधान ने विगत दिनांक 1-12-82 को ग्राम सिंहपुर कछार में हुये मेले में कर के रूप में कुल 254=60 पैसे वसूल किये हैं। छपी रसीदों के अभाव में कुछ सादी रसीदें भी काटी हैं जिसकी जांच की गई और इस अनियमितता के बरतने पर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही तहसीलदार कानपुर के न्यायालय में चल रही है।

महोली चीनी मिल, सीतापुर के बाह्य क्रय केन्द्रों पर जारी की गयी पर्चियों में अंकित की गयी गन्ने की मात्रा तथा मिल द्वारा कथित गन्ने की पेराई और भुगतान

श्री हरगोविन्द वर्मा—

105 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महोली चीनी मिल (सीतापुर) के बाह्य क्रय केन्द्र निर्धारित वजन से अधिक वजन की पर्चियां 1981-82 के सीजन में बनाई गयीं ? यदि हां, तो किसानों के साथ यह असमानता का व्यवहार क्यों एवं किसके आदेश से किया गया ? कितनी पर्चियां ऐसी बनी जो निर्धारित वजन से ज्यादा थीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

किसानों के हितों एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए चीनी मिल गेट तथा बाह्य क्रय केन्द्र पर गन्ना आपूर्ति हेतु जारी की गयी पर्चियों पर गन्ना आपूर्ति की मात्रा स्थानीय गन्ना समिति द्वारा निर्धारित की जाती है ताकि यह ज्ञात हो जाय कि वह एक विशिष्ट पर्ची पर अधिकतम कितना गन्ना ला सकते हैं। पेराई सत्र 1981-82 में महोली चीनी मिल में बैल गाड़ियों पर 12 क्विंटल गन्ने की मात्रा निर्धारित की गयी थी। पर यह ध्यान में रखते हुए कि किसान गन्ने को तौल कर नहीं लाते हैं, इस वजन के अतिरिक्त डेढ़ क्विंटल तक अधिक गन्ना तौलने की छूट भी दी गयी। जिन किसानों ने इस छूट के बाद भी अधिक गन्ना तौलने के लिए विवश किया, उनकी अगली एक पर्ची रोक दी गयी ताकि वे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें।

इस व्यवस्था में किसानों के साथ कोई असमानता नहीं बरती गई । ऐसी पर्चियों का विवरण जिनमें निर्धारित वजन से अधिक गन्ना तौला गया, अलग से नहीं रखा जाता ।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

106 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी शुगर मिल महोली, सीतापुर ने प्रारम्भ से 27-2-82 तक नौ लाख सत्तर हजार आठ सौ चौंसठ (970864) क्वींटल गन्ना खरीदा और उसी तारीख तक (27-2-82) 980100 क्वींटल (नौ लाख अस्सी हजार एक सौ क्वींटल) की पेराई हुई ? यह अधिक गन्ना 9236 क्वींटल कहां से मिल ने खरीदा ? इसका पेमेन्ट (भुगतान) किसको किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

महोली चीनी मिल द्वारा सीजन 1981-82 में दिनांक 30-11-81 के चलने की तिथि से दिनांक 27-2-82 तक 981864.77 क्विंटल गन्ने की खरीद की गयी तथा उक्त अवधि में 980100.00 क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी। खरीद से अधिक गन्ने की पेराई नहीं हुई। समस्त खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित गन्ना समितियों को किया गया।

गोरखपुर के संग्रह अमीनों को पुन: सेवा में लिये जाने सम्बन्धी लोक सेवा अधिकरण के निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही तथा नये संग्रह अमीनों की नियुक्ति

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

107 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के 17 संग्रह अमीनों को सेवा में पुन: लेने के लिए लोक सेवा अधिकरण ने 28-2-79 को तथा शासन ने 26-8-81 को

जिलाधिकारी, गोरखपुर को आदेशित किया है ? यदि हां, तो क्या बंधित संग्रह अमीनों को सेवा कार्य करने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 28-2-79 के परिपेक्ष्य में शासनादेश दिनांक 20-7-81 द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर को संबंधित व्यक्तियों को संग्रह अमीन के पद पर पुनः स्थापित करने के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा बाद में बताये गये तथ्यों का विश्लेषण किया गया। परिषद् के माध्यम से आयुक्त को संदर्भित प्रकरण में जाँच एवं उत्तरदायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिये गये।

उ0 प्र0 सरकार द्वारा सिविल जज के एक्जीक्यूशन डिगरी के निर्णय दिनांक 12-11-82 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में स्थगन आदेश दे दिया है और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

108 क्या यह सच है कि इस बीच दो नए संग्रह अमीनों को तथा सात अन्य लोगों को बिना सूची के ही नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न में संदर्भित 9 संग्रह अमीनों की नियुक्ति सूची से ही की गयी है।

बाढ़-सूखा सहायता समिति, बस्ती नाम की कथित संस्था

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

109 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-सूखा सहायता समिति, बस्ती द्वारा गत तीन वर्षों में सहायता कार्य किन-किन गांवों में किया गया ? इसके कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी है ? क्या उक्त समिति के विरुद्ध जनवरी, 1980 से नवम्बर, 1981 तक शिकायती-पत्र शासन एवं अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

बाढ़ सूखा सहायता समिति नाम की कोई संस्था जनपद बस्ती में नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान दीन, संग्रह अमीन, फैजाबाद की नियमित नियुक्ति आदेश का पुनरीक्षण

श्री ललू सिंह चौहान--

110 दिनांक 30-1-81 के श्री मित्रसेन यादव के अता0 प्र0 सं0 145 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भगवानदीन, संग्रह अमीन, त0 बीकापुर, जिला फैजाबाद की नियमित नियुक्ति आदेश सं0 बी0 आई0 पी0 551 ए0 स0 म0/81, दि0 31-1-81 के अनुपालन में जिलाधिकारी, फैजाबाद ने 30 नवम्बर, 82 तक क्यों नहीं की ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न में संदर्भित आदेश दिनांक 31-1-81 को पुनरीक्षित कर दिया गया था। अत: उसे जिलाधिकारी फैजाबाद को नहीं भेजा गया। इस कारण उसके अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद की तहसील बीकापुर में संग्रह अमीनों की वरिष्ठताक्रम सूची तथा नियमित स्थायी नियुक्तियाँ

श्री लल्लूसिंह चौहान--

111 क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद की तहसील बीकापुर में सीजनल संग्रह अमीन, वरिष्ठताक्रम 21 श्री श्याम सुन्दर यादव, पिछड़ी जाति व 14 पर श्री शारदा प्रसाद दुबे, सवर्ण वर्ग 15 पर श्री राम जियावन पाण्डेय, सवर्ण व 41 पर श्री महगू राम हरिजन वर्ग तथा 43 पर श्री प्रेमनाथ हरिजन सीजनल संग्रह अमीनों को नियमित स्थायी नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? जबकि वरिष्ठता क्रम 5 पर श्री बाबू लाल निषाद, 6 पर श्री सर्वजीत व 7 पर श्री राम उजागिर निषाद, पिछड़ी जाति तथा क्रमांक 1--श्री उदयभान सिंह, 2--श्री माता प्रसाद सिंह, 3--श्री शिव नायक सिंह, 4--श्री बजरंग बली व 8 से 13 तक सवर्ण वर्ग और 30-पर श्री महाबीर प्रसाद हरिजन 32-पर सोमई राम हरिजन, 39-सियाराम हरिजन, 40 पर झगरूराम हरिजन आदि की नियमित स्थाई नियुक्ति अभी तक नहीं हुई ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न में उल्लिखित वरिष्ठताक्रम सूची नियमानुसार नहीं बनाई गई है। इस मामले का पुन: परीक्षण किया जा रहा है एवं नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय उपनिबन्धक, कन्नौज के चपरासी श्री जयराम को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्ण पानी वाले के शिकायती पत्र की जांच

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

112 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय उप निबंधक कन्नौज में चपरासी के पद पर तैनात श्री जयराम ने दिनांक 1-3-80 से 15-5-80 तक कार्य नहीं किया है जिसका प्रमाण हाजिरी रजिस्टर में उसे सीज दिखाया गया है और उसके दस्तखतों का न होना है ? क्या यह सही है कि इसके विपरीत उक्त अवधि का वेतन तत्कालीन जिला निबंधक ने अपने कार्यालय में ही भुगतान लेकर के बांटना दिखाया है ? क्या इस संबंध में उच्चाधिकारियों को तथा शासन को वहां के तैनात पानी वाले श्री श्रीकृष्ण ने कई प्रार्थना पत्र इन्क्वायरी के लिए प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो आज दो वर्ष के अन्तर्गत उस पर शासन ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उक्त घटना की जांच कराने की कृपा करेगी जिससे सही तथ्य प्रकाश में आ जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

कार्यालय उप निबंधक कन्नौज में कार्यरत चपरासी श्री जयराम को दिनांक 1-3-80 से 15-5-80 तक की अवधि में कार्य न करने पर भी वेतन भुगतान करने के संबंध में तैनात श्री श्रीकृष्ण पानी वाले का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-8-81 प्राप्त हुआ। जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि श्री जयराम चपरासी ने दिनांक 1-3-80 से 15-5-80 तक की अवधि में उक्त कार्यालय में कार्य किया है यद्यपि हाजिरी रजिस्टर में दिनांक 1-3-80 को उसके हस्ताक्षर कटे हैं तथा उसके बाद हस्ताक्षर नहीं हैं। चूंकि जाँच से श्री जयराम द्वारा दिनांक 1-3-80 से 15-5-80 तक की अवधि में वास्तव में कार्य करने के तथ्य की पुष्टि हुई, अतः उसे उप निबंधक कार्यालय में उक्त अवधि के वेतन के भुगतान में कोई अनियमितता नहीं हुई। अतः इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा जारी की जा रही पर्चियों पर अंकित गन्ना मूल्य

श्रीमती गौरीदेवी--

113 क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों को दी जाने वाली गन्ना की पर्चियों पर सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य अंकित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कारण क्या है और इस संबंध में शासन द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा सामान्यतया सत्र 1982-83 हेतु गन्ना मूल्य दर का अंकन गेट पर आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने की पर्चियों पर निम्नवत् दर्शाया जा रहा है :--

(अ) पश्चिमी व मध्य क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों द्वारा 21.50 रु0 प्रति क्विंटल

(ब) पूर्वी क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों द्वारा 20.50 रु0 प्रति क्विंटल

बाह्य केन्द्रों पर सरकारी/सहकारी व सरकारी नियंत्रणाधीन चीनी मिलों द्वारा सामान्यतया 50 पैसा प्रति क्विंटल उपर्युक्त गेट की दर में कमी कर गन्ना मूल्य दर दर्शाया जा रहा है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा बाह्य केन्द्रों पर 1.50 रु0 प्रति क्विंटल की उपर्युक्त गेट की दर में कमी कर गन्ना मूल्य दर दर्शाया जा रहा है। इस बिन्दु पर आवश्यक कार्रवाई हेतु विधिक पहलुओं का परीक्षण कराया जा रहा है।

114 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(दिनांक 22-3-83 को नियम 49 में चर्चा निर्धारित होने के कारण निरस्त)

न्यून वार्षिक आय वाली ग्राम सभाओं/न्याय पंचायतों को आडिट से मुक्ति

श्री जमुना प्रसाद--

113 क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शासन ने रु0 2500 से कम आय वाली गांव सभाओं तथा न्याय पंचायतों का आडिट बन्द करने से सम्बन्धित आदेश निर्गत किए हैं? क्या शासन इस बात से अवगत है कि पंचायत संस्थायें प्रजातंत्र की प्रथम इकाई हैं और उनका आडिट न होने पर उनके हिसाब-किताब गड़बड़ होने के साथ ही साथ उनमें जनता की आस्था कम होगी? यदि हां तो निर्बल गांव सभाओं का आडिट शासन निःशुल्क कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ ! शासन ने 7 दिसम्बर 1982 के आदेश द्वारा कमजोर वित्तीय स्थिति (रु0 2500/-तक की न्यून वार्षिक आय) वाली गांव सभाओं/न्याय पंचायतों को दिनांक 1 अप्रैल 1982 से आडिट से मुक्त कर दिया है।

प्रदेश में अधिकांश पंचायत संस्थाओं की वार्षिक आय बहुत कम है और कम आय वाली संस्थाओं की लेखा परीक्षा से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। उक्त स्थिति में न्यून आय वाली गाँव सभाओं की आडिट कराने की आवश्यकता शासन द्वारा नहीं समझी गई है। यदि किन्हीं न्यून आय वाली गाँव सभाओं/न्याय पंचायतों के हिसाब-किताब में गड़बड़ पायी जाती है तो पंचायत राज निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर उनकी आडिट मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अवश्य करायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मजदूरों के बकाये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

बाद में सुनूंगा।

नियम 301 की आज 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री मसरूर जाफरी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री श्याम नाराण तिवारी की स्वीकार की हैं और किदवई साहब की सदन में लायी जा चुकी है। श्री ओझा, श्री गोपी नाथ वर्मा तथा श्री अकबाल हुसैन, श्री राम गोविन्द, श्री रियासत हुसैन की दो सौ शब्दों से अधिक है और श्री जमुना प्रसाद की वक्तव्य के लिए निर्धारित है। केवल 5, जिनके नाम लिये हैं, स्वीकार किया है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर मजदूरों का दो करोड़ रुपया ग्रेचुटी, फण्ड, वेज, बोनस, सी0 डी0 एफ0 का विभिन्न मदों में 1971 से बकाया है। इसके विरोध में 18 मार्च से एक लाख श्रमिकों ने संबंधित मंत्रियों के यहाँ धरना, क्रमिक अनशन एवं अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने की नोटिस दी है। 4 वर्ष की नौकरी के बाद अपना कमाया धन न पाने तथा भूखों मरने व बिना कफन-दफन होने के कारण मजदूरों में असंतोष और सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और निश्चित विषय पर नियम 301 के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

(श्री मसरूर जाफरी का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ये सूचना दे देते हैं लेकिन बाद में नहीं आते हैं।

कोटद्वार (गढ़वाल) में गरीब हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों के मकान को एम0 ई0 एस0 (रक्षा विभाग) द्वारा तुड़वाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नगर कोटद्वार में स्थान आमचौड़ में गत 25-30 वर्षों से गरीब हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों के लगभग सभी परिवार झोपड़ी एवं पक्के मकान बना कर रहते हैं। इन भूमिहीन, आवासहीन लोगों को उक्त जमीन नगर पालिका कोटद्वार द्वारा वर्षों पूर्व लीज पर नियमानुसार आवंटित की गयी थी परन्तु रक्षा विभाग के एम0 ई0 एस0 के अधिकारी जबरन एवं नाजायज रूप से इन गरीबों के मकान तुड़वा रहे हैं। इस कार्य से ये लोग भयभीत हो गये हैं और उनमें भयंकर चिन्ता, असंतोष एवं आक्रोष व्याप्त हो गया है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं माननीय नगर विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अविलम्बनीय प्रभावी कार्यवाही कर इनके मकान, झोपड़ियों को तुड़वाने से बचाया जाय तथा इन गरीबों की हर सम्भव सहायता की जाय।

बिजली की आपूर्ति न होने से प्रदेश के सरकारी नलकूपों के बेकार पड़े रहने से सिंचाई कार्य में अवरोध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं। फरवरी और मार्च के महीनों में जब कि गेहूँ पकने को है राज्य के 1674 सरकारी नलकूप मशीनी अथवा बिजली की गड़बड़ी से बन्द पड़े हैं। 16 घंटा बिजली की जगह 6 घंटा बिजली नहीं मिल रही है। एक साल से पहले बोरिंग हो जाने वाले 1700 नलकूपों को धनाभाव में विभाग बिजली नहीं पहुँचा सका है। तथा लगभग 6 हजार नलकूपों पर जल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा नहीं कर सका। जो नलकूप ठीक भी बताये गये उनके चालकों की अनुपस्थिति की गम्भीर शिकायतें हैं। उपरोक्त सिंचाई क्षमता दुरुस्त होने पर 170 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होने का अनुमान है। संसाधनों की कमी के कारण 40 बड़ी व मध्यम परियोजनाओं का काम अवरुद्ध है।

सारे प्रदेश में सिंचाई के प्रति सरकार की उदासीनता से जनता में असंतोष व निराशा व्याप्त है। अतएव सदन के माध्यम से नलकूपों को दुरुस्त कराने तथा विद्युत आपूर्ति कराने और सिंचाई क्षमता चुस्त कराने की मांग करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम लहड़ा (गोरखपुर) के आस-पास की 600 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील में लहड़ा ग्राम के आस-पास करीब 600 एकड़ जमीन लिये जाने की कार्यवाही से हजारों किसानों में जो घनी आबादी के कारण आस-पास बसे हैं, घोर असन्तोष एवं रोष व्याप्त हो गया है। सरकार योजना के अनुसार वहां 600 एकड़ जमीन ले रही है जिससे कई गांवों के वे किसान भी जो अधिकतर छोटी छोटी जोत वाले हैं बरबाद एवं बेघर हो जायेंगे। वहां की जमीन ऊंची-नीची पास-पास बसे गावों वाली नदी नालों की है, सरकारी उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं है, कहीं अन्यत्र जमीन ली जा सकती है।

अत: मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लहड़ा के आस-पास जमीन न लिये जाने का अनुरोध करते हुये तुरन्त आश्वासन की मांग करता हूं।

गोंडा नगर पालिका सब्जी मन्डी के शौचालय की मरम्मत व सफाई न होने से बीमारी फैलने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

मा0 अकबाल हुसैन जी, मसरूर जाफरी साहब नहीं हैं। अगर आपके पास सूचना हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि गोंडा नगर पालिका सब्जी मंडी में नगर पालिका द्वारा बनवाया गया एक सार्वजनिक शौचालय है जिसके मरम्मत का कार्य तथा सफाई का कार्य नगरपालिका करती है। परन्तु कई सालों से शौचालय का दरवाजा टूटा है, सामने के पर्दे की दीवार भी गिर गई है जनता सार्वजनिक स्थान पर वेपर्दा बैठकर रफाहाजत करती है और सामने ही कूड़ा तथा मैला का ढेर लगा है जिससे अब गर्मी के मौसम में भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। जिसके कारण जनता में असंतोष व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि शौचालय की मरम्मत कराई जाय और नगर में मैला तथा कूड़ा की सड़ांध की सफाई कराकर फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, 301 में मैंने दिया था.....

श्री अध्यक्ष--

301 की बात नहीं है। आप प्रश्नों के बारे में बात कह रहे थे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न को नहीं ले रहा हूं। आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, बुढ़वल और बाराबंकी की गन्ना मिलों से किसानों के भुगतान के बारे में मंत्री जी ने उत्तर दिया था। मैंने प्रश्न किया था कि दोनों मिलों से 81-82 में कितनी चीनी पैदा की गयी। चीनी के उत्पादन का निश्चित प्रतिशत गन्ना किसानों के खाते में जमा हो जाता है। क्या इसको जमा किया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सूचना की आवश्यकता है। गन्ना मिल के संबंध में उत्तर देने आये। गन्ना मिल का चीनी से संबंध है।.....

श्री अध्यक्ष--

लिखकर दीजिये। इस प्रकार संभव नहीं है। पूरी तरह से छानबीन करके मंत्री जी से फिर उत्तर दिला दूंगा।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, नियमावली के नियम 32 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो उस उपवेशन के प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जायेगी। उत्तर संबद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाया जायेगा। हम लोगों को, जो प्रश्न करता है उत्तर जिस दिन उपवेशन प्रारम्भ होता है, 9 बजे-10 बजे मिल पाता है। इसलिये अनुपूरक प्रश्न नहीं पूंछ पाते। तैयारी नहीं कर पाते। नियमावली में व्यवस्था है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था देकर शासन को निर्देश दें कि हम लोगों को उत्तर एक दिन पूर्व प्राप्त हो जाया करे।

श्री अध्यक्ष--

कल नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया है। माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है वह विषय भी उठा था। कार्यवाही हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दूसरी बार एक ही विषय पर फिर इस माननीय सदन में औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी कहाँ हैं ?

संसदीय-कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी-अभी परिषद् की ओर गई हैं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुलाइये तभी मैं इस पर विचार करूँगा।

श्री अम्मार रिजवी--

जी अच्छा ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष--

नियम-56 के अन्तर्गत मुझे 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना--

मध्य प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने के संबंध में है। माननीय सर्वश्री राम गोविन्द, श्री सत्यपाल सिंह और श्री गौरी शंकर भैय्या जी की सूचना--उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में तकनीकी सेवा कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में है। माननीय श्रीमती गौरी देवी की सूचना जनपद गोरखपुर के ग्राम बथराई में पुलिस द्वारा दो युवतियों के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में है। माननीय सर्वश्री जमुना प्रसाद, कुबेर भण्डारी, मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ, मसरूरजाफरी, धनीराम वर्मा, राम सागर और मोहन सिंह जी की सूचना--सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र एवं व छात्राओं को प्रवेश न दिये जाने के संबंध में है। माननीय श्री मोतीलाल देहलवी की सूचना--बांदा की कचहरी में हरिजन विधवा द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में है। माननीय श्री लल्लू सिंह चौहान जी की सूचना--मैनपुरी में मिट्टी के तेल एवं खाद्यान्न की सप्लाई न होने के संबंध में है। माननीय सर्वश्री मित्रसेन, राम आसरे वर्मा और श्री परमाई लाल जी की सूचना--फैजाबाद में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में है। माननीय श्री हरिवंश सहाय जी की सूचना--देवरिया, कप्तानगंज, शुगर मिल का गंदा पानी छोटी गंडक नदी में छोड़े जाने से पानी के विषाक्त होने के संबंध में है। माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी की सूचना--चुनार सीमेंट परियोजना मिर्जापुर के मजदूरों को निकाले जाने के संबंध में है। माननीय श्री रियासत हुसैन, अकबर हुसैन तथा श्री राम गोविन्द जी की सूचना--उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर शराब, गाँजा आदि के अवैध व्यापार को पकड़े जाने से संबंधित है। माननीय श्री अकबाल हुसैन जी की सूचना--माननीय सदस्य द्वारा आई0 ए0 एस0 अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किये जाने से संबंधित है। माननीय श्री ख्वाजाहलीम व श्री फखरे-

आलम जी की सूचना भी यही है। माननीय श्री धनीराम वर्मा जी की सूचना--ग्राम्यविकास मंत्री द्वारा किसान रैली के नाम पर लाखों रुपए व्यय किये जाने के संबंध में है।

मैंने इन सभी सूचनाओं को देखा है और इन सभी सूचनाओं को देखने के बाद मैंने सुनने के लिये माननीय श्री राम गोविन्द ,माननीय श्री जमुना प्रसाद एवम् माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी की सूचना को चुना है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुलाने हेतु आदेश दिया था माननीय शिक्षा मंत्री जी आ गई हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यदि वह आ गई हैं तो बैठें।

*श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि--.....

श्री अध्यक्ष--

केवल ग्राह्यता के बारे में कहें।

*श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, यह इसलिये अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है कि आज तक आमरण अनशन पर इस देश में और प्रदेश में केवल एक-दो आदमी बैठा करते थे लेकिन मान्यवर, इस आमरण अनशन में 101 आदमी कल बैठे थे और आज 10 आदमी उस आमरण अनशन में फिर सम्मिलित हो गये हैं। इस प्रकार आज 111 आदमी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के तकनीकी लोगों ने हड़ताल कर दी है और परिवहन विभाग में आज पूरे प्रदेश का काम-काज ठप हो जाने की कगार पर पहुँच गया है।

इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही को रोक करके इस मसले पर चर्चा करवा दें। मान्यवर, इस परिवहन निगम पर कई दिनों से बहस हो रही है और माननीय परिवहन मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया है इन कर्मचारियों को, कि जो आपकी 12 सूत्रीय माँग है उसको मान लिया जायेगा। लेकिन उसके बावजूद भी परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वे इन माँगों को मनवाने में कतरा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जो आपका संघ है, यह मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिये इन माँगों पर विचार नहीं करेंगे। मान्यता और अमान्यता कोई मतलब नहीं रखती है। मतलब तो इस बात का है कि आज सारे प्रदेश का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। और इस आमरण अनशन की वजह से सारा काम-काज ठप हो गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर, आज इस सदन की कार्यवाही को रोक करके, इस पर चर्चा करवा दें जिससे आमरण अनशन में बैठे हुए 111 लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो सके।.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आगे जो सूचना है नं0 6 पर, उसमें केवल एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति देता हूं।

*श्री मोहन सिंह--

पिछले जून महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में कम्बाइण्ड टैस्ट हुए मेडिकल में एडमीशन के लिये और उसमें कानपुर विश्वविद्यालय में जो कम्प्यूटर सिस्टम लागू कर दिया, उसमें गड़-बड़ी के कारण 27 छात्रों का परीक्षाफल रोक लिया गया और बाद में कहा गया कि वे फेल हो गये। उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मा0 उच्च न्यायालय ने कम्प्यूटर सिस्टम के जरिये से ही फिर से जंचवाया, मालूम हुआ कि गड़बड़ी के कारण फेल कर दिया गया था, वैसे वे पास हैं। दो महीने हो गये, उन बच्चों को मेडिकल कालेज में प्रवेश नहीं दिया गया, उन्होंने अनशन कर दिया है। मेरी मांग है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन होना चाहिये और इस सदन के सामने मा0 मन्त्री जी को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि उन 27 छात्रों का भविष्य अन्धकारमय नहीं होगा और उनको दाखिला दे दिया जायगा।

श्री धनी राम वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ के खड़े होने पर व्यवधान

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कृपया अपने स्थानों पर बैठें।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ-- [×××]

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप लोग बैठें, कोई चीज नहीं लिखी जायगी।

श्री अम्मार रिजवी--

मा0 मोहन सिंह जी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो मा0 उच्च न्यायालय का फैसला है, उसका आदर करना सरकार का कर्तव्य है, उसका आदर किया जायगा।

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री धनी राम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मुझे निर्णय करने का मौका दीजिये। आपको अधिकार नहीं है खड़े होकर कोई बात कहने का, जब मैं खड़ा हूं। जो आपने दिया है, वह नियमों में नहीं आता है, उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आक्षेप है, इसलिये उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूँ। यह देखने का काम मेरा है। कृपया बैठें।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री धनी राम वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं कोई चीज नहीं लिखी जायगी। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी——

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि कोई मन्त्री अवैधानिक, अनुचित और नियम विरुद्ध कार्य करें, तो उस पर क्या हमको यह अधिकार नहीं है कि हम उस बात को यहां सदन में उजागर करें?

श्री अध्यक्ष——

यदि कोई, गड़बड़ी करता है तो यह आपको अधिकार है कि उसके ऊपर विचार करें, नुक्ताचीनी करें और सब तरह से उसे उजागर करें, लेकिन जो मैंने देखा है, वह नियमों में नहीं आता है। अब जो निर्णय कल की बैटक में लिये गये हैं (एक सदस्य के खड़े होने पर) आप कृपया बैठिये, ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। माननीय मोहन सिंह की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है इसके अतिरिक्त दो सूचनाएँ और सुनी गयीं हैं तथा शेष अन्य सभी सूचनाएँ अस्वीकार कर दी गयी हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1983 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1983 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 मार्च, 1983 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1983 को प्राप्त हो गयी है, और वह सन् 1983 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

18 फरवरी, 1983 को उर्दू अध्यापकों के सम्बन्ध में दी गई नियम 301 की सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन——

श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है कि एक ही विषय को बार-बार आपके संज्ञान में लाना पड़ रहा है। मैंने 18 फरवरी को एक सूचना नियम 301 के अंतर्गत उर्दू अध्यापक के बारे में दी थी। जिस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक हफ्ते के अंदर सूचना देने को कहा, जब सूचना, एक हफ्ते के बजाय 15 दिन हो गये, नहीं आयी मैंने फिर कहा, फिर यही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर आया कि एक सप्ताह में उत्तर दे दिया जायेगा, परन्तु आज फिर 18 मार्च हो गयी है और उसका कोई उत्तर नहीं आया मान्यवर, आपके निर्देशों के बावजूद। मान्यवर, आपने इस सूचना को स्वीकार किया था और आपने ही निर्देश दिये थे सूचना प्राप्ति के लिए परन्तु कोई उसका नोटिस नहीं लिया गया तो क्या मैं अब बीच आफ प्रिविलेज और कंटेम्ट आफ हाउस का प्रश्न उठाऊँ या फिर शिक्षा मंत्री कृपया इसके लिए स्पष्टीकरण दें।

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी)—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि भाई रियासत साहब को मेरी तरफ से कोई गलतफहमी हो गयी, वरना हमारा प्रयास तो हमेशा यही रहा है कि भाई रियासत साहब के हर प्रश्न का हर लेटर का जवाब फौरन से फौरन एक अच्छा सा उत्तर दूं, चाहे वह गोपनीय पत्र क्यों न हो, हरेक का जवाब जरूर देती हूँ और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इनके पत्र का जवाब मैं पहले न देती हूँ। इसी पर एक शेर सुनाना चाहूँगी।

"या रब न ओ समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात,
दे उनको दिल और, जो न दे मुझको जवां और।"

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा कोई पत्र नहीं है, यह तो आपके ही निर्देश हैं, जिनका पालन माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, कल ही आपके कक्ष में हम लोग बैठे थे, तभी 301 के बारे में प्रश्न उठा था और यह बात भी उठी थी कि एक हफ्ते बाद प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही आ जाने चाहिए। कल मान्यवर, इस पर बात हुई थी तो माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है कि एक हफ्ते के अन्दर उसका उत्तर आ जायेगा यह मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ गुप्त पत्र की बात कही कि जो रियासत भाई ने उन्हें लिखा है तो वह बतला दें कि वह गुप्त पत्र क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

गुप्त पत्र नहीं, बल्कि गोपनीय पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

जो औचित्य का प्रश्न माननीय रियासत साहब ने उठाया है उसके संबंध में मैंने शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह बात सही है कि कल कुछ निर्णय लिये गये थे और उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी लेकिन जैसा कि शिक्षा मंत्री ने अभी आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में सूचना प्राप्त हो जायेगी। इसलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4—उद्योग-विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग

(12 बजकर 46 मिनट)

*उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,45,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1984 को, समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,91,02,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्त्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,30,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपके आज्ञा से और श्रीराज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,02,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जैसा कि आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश आज हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। आज जो हमारी आबादी बढ़ रही है, यह इतनी ज्यादा हो रही है कि हम कृषि का जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं उसकी बनिस्पत यह काफी तेजी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ती जा रही है। परन्तु यह भी सही है कि केवल कृषि की प्रगति से हमारा काम चलने वाला नहीं है, इसलिये हमें उद्योग धन्धे लगाकर लोगों की हालत को सुधारना पड़ेगा और उन्हें आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना पड़ेगा। जब हम उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं तो इसकी प्रगति की ओर देखने से बड़ी निराशा होती है कि जिस दिशा में हमें तेजी से बढ़ना चाहिये था, उस गति से हम उधर बढ़ नहीं पाये हैं।

यह सही है कि करीब 77 हजार छोटे उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे कि उससे लोगों को काम में सहायता मिलेगी, लेकिन बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है। उद्योग लगाने के लिए जो हमारा एवं मासफियर होना चाहिए जो उद्योग के लिए वातावरण होना चाहिये, वह दोनों नहीं पाये गये। बहुत से लोगों ने सरकार से सहायता के लिये लोन लिया और उद्योग लगाकर उन्हें दिया परन्तु उसमें ज्यादा सफलता नहीं प्रात हुई। जो उद्योग लगे भी उनकी हालत अच्छी नहीं है क्योंकि जो भी हमारे सिद्धान्त हैं कि सहायता के पैसे का सही उपयोग हो, जो सही माने में उद्योग लगाना चाहते हों, उन्हीं को सहायता पहुँचाई जाय। इस दिशा में प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है।

जो बजट पेश हुआ है वह बहुत ही कम हैं। इससे जितना बड़ा काम हम करना चाहते हैं, वह नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके लिए क्या करें, इस दिशा में जो हमने प्रयास किया है, वह यह है कि हमने लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया है। खासतौर से जो हमारे उद्योग हैं उनकी हालत कैसी है, इसे भी हमें देखना है। जो प्रयास किए हैं कि बड़े उद्योग किस प्रकार से हमारे यहां पर लगे। हम देखते हैं कि बड़े उद्योग कुछ प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में अधिक लगते हैं, उनको वहां पर अधिक सुविधायें मिल जाती हैं, उतनी सुविधायें हम यहां पर नहीं दे पाते हैं। हमारे यहां पर वैसी प्रवृत्ति और वातावरण नहीं है। अगर हम पब्लिक सेक्टर में नहीं लगा सकते थे तो प्राइवेट सेक्टर में ही लगाते, ऐसा कोई एटमासफियर नहीं है। इनको बढ़ावा देने के लिए उन्हें हम बिक्रीकर से छूट दे रहे हैं। प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर कोई इन्डस्ट्री नहीं है ऐसी जगह पर उद्योग लगाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको सुविधायें भी दे रहे हैं, जिससे वहां पर अधिक से अधिक बड़े उद्योग लग सकें। हम उनको जमीन दिलवा रहे हैं और साथ ही साथ यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको सब्सीडी मिल जाये और दूसरी चीजों की सहायता दी जाये। इस दिशा में काम हो रहा है।

केन्द्र से जो उद्योग हमारे प्रदेश में लग रहे हैं वह अभी तक कुल 4.2 प्रतिशत हैं पूरे देश के। हमारा प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। हमारे प्रदेश की आबादी देश की 16.5 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए यह बहुत ही कम है। हमने 30 करोड़ रुपये का पूंजी उपनिवेश करने का निश्चय किया है। 4 फर्टीलाइजर कारखाने, एक इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री गोन्डा में खोलने जा रहे हैं और एच0 ए0 एल0 की कई फैक्टरियां हम खोलने जा रहे हैं। इस तरह से उद्योगों की रफ्तार काफी अच्छी है और वह

आगे बढ़ रही है। हमारे पास जो सीमित साधन हैं उन्हीं को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें। जो हमारा पिक अप है उसके द्वारा काफी काम हम कर रहे हैं, यह उद्योगों को आगे बढ़ाने में काफी काम कर रहा है। इसके द्वारा काफी उद्योगों के लगाये जाने की संभावना है।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर माननीय अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

हमारा यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 है उसके द्वारा भी बहुत से उद्योग लग रहे हैं। इस दिशा में हमारा प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। सीमेन्ट कारपोरेशन भी काफी अच्छा काम कर रहा है। तीन कारखाने जो हमारे थे उसमें से चुर्क और डाला फैक्ट्रयों की क्षमता बढ़ाई गई है। इनकी लगभग 3.5 प्रतिशत क्षमता बढ़ी है। लगभग 6.76 लाख टन इसका उत्पादन हुआ था पिछले वर्ष। इस वर्ष यह उत्पादन बढ़ाकर 9.25 लाख टन हो गया है। सीमेन्ट कारपोरेशन जो पिछले वर्ष फायदा नहीं कर रहा था उसमें काफी फायदा इस वर्ष हो रहा है।

इसी तरह से हमारे टेक्सटाइल कारपोरेशन हैं। यह काफी अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पहले के कारखाने लगे थे उसमें इस निगम द्वारा 8 कताई मिलों की क्षमता को 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50,000 तकुओं तक विस्तार किया जा रहा है। ये मिलें मेरठ, झांसी, संडीला, गाजीपुर, मऊनाथ भंजन, रायबरेली, अकबरपुर तथा बाराबंकी में स्थित हैं। इनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। इनमें से 5 मिलों का विस्तार हो चुका है और तीन मिलों में विस्तार का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त 5 नई कताई की मिलों की स्थापना जसपुर (नैनीताल) मेजा (इलाहाबाद) बांदा, बलिया व जौनपुर में की जा रही हैं। इनमें से 5 मिलों के लिये भूमि का प्रबन्ध हो चुका है और तेजी से काम हो रहा है। मान्यवर, 1982-83 में निगम ने 292 लाख किलोग्राम सूत का उत्पादन किया है पिछले वर्ष 253 लाख किलोग्राम सूत का उत्पादन किया था। 1982-83 में निगम ने 224 लाख रुपये का नकद लाभ अर्जित किया है जबकि पिछले वर्ष लाभ 150 लाख रुपये था।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा मिर्जापुर, इलाहाबाद, बांदा, ललितपुर तथा देहरादून जिलों में क्रमश: डोलीमाइट एवं लाइम स्टोन, सिल्का सैंड, बाक्साइट, राक फास्फेट तथा मार्बल खनिजों का खनन किया जा रहा है। 1982-83 में सभी खनिजों का कुल उत्पादन 3 लाख टन का है जब कि पिछले वर्ष में यह 1.96 लाख टन था। देहरादून में कैल्सियम कार्बाइड परियोजना एवं मसूरी के निकट लम्बीधार परियोजना वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक पूरी हो जायेगी। इस वर्ष इस निगम द्वारा 16.86 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष से ज्यादा है।

मान्यवर, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा खनिजों के क्षेत्र में काफी तेजी से काम किया गया है। जिला ललितपुर में 22 लाख टन राक-फास्फेट के भन्डारों का सुदृढ़ीकरण पूरा किया जा चुका है। पिथौरागढ़ में तांबे, सीसा, जस्ता के भन्डारों का आगणन अब 13 लाख टन हो गया है। अल्मोड़ा के पेटसाल तथा जोरासी क्षेत्रों में टंगस्टन खनिज के सर्वेक्षण में उत्साहवर्द्धक नतीजे निकले हैं।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4—उद्योग-विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग); अनुदान सख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग

मान्यवर, दून वैली के बारे में कहना चाहता हूं कि खनन से क्षतिग्रस्त भूमि के सुधार हेतु शासन द्वारा प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं साथ ही पर्यावरण से जो क्षति होती है उसको भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये राष्ट्रीयकरण पर भी विचार किया जा रहा है।

मान्यवर, आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बुनकर हैं उनकी संख्या 16 लाख है और उन बुनकरों को हमें हर तरह की सुविधा पहुँचानी है। ये लोग गरीब हैं। जिनके पालन-पोषण हेतु हथकरघा द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अगर उनकी हालत खराब होती है, उनको कोई सुविधा हम नहीं पहुँचा पाते हैं तो वे काम बन्द कर देते हैं। इस दिशा में काफी प्रयास किये जा रहे हैं कि उनको कैसे सूत सही दामों पर उपलब्ध कराया जाय। इसके काफी अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। हैंडलूम के द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। अभी हमें एक भी शिकायत नहीं मिली है कि हमें सूत नहीं मिला। हम कह सकते हैं कि आज सूत का भाव गिर रहा है। इस वक्त सूत का भाव मंहगा नहीं है, वह गिर रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा बनाई हुई जो चीजें हैं कपड़ा आदि उसको बिकवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। हैंडलूम कारपोरेशन और यूपिका से वितरण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी हम कर रहे हैं कि बुनकरों को अच्छे डिजाइन दें तथा उनकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो जिससे उनका माल ज्यादा बिके। और उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही साथ उनको कर्ज देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी ऐसे बुनकर जिन्होंने कई वर्षों से कर्जा ले रखा था और वे उसे अदा नहीं कर पा रहे थे और उन पर सूद तथा दंड ब्याज बढ़ रहा था, बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहा था जिससे उनके सामने संकट पैदा हो गया था इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि उन बुनकरों को जिन्होंने कर्ज लिया था और दे नहीं पा रहे हैं, उनके सूद और दंड ब्याज को माफ कर दिया, जायेगा, अगर वे असली धन को जमा कर देंगे। तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया है इससे उनकी हालत में सुधार होगा और जो उनके सामने संकट पैदा हो गया था वह दूर होगा।

इसके अलावा तमाम और भी काम बुनकरों के लिए किये जा रहे हैं कि कैसे वह जल्दी से जल्दी अच्छा कपड़ा बना सकें और दूसरे स्टेट्स को तथा बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर सकें। वे अच्छा कपड़ा बना सकें इसके लिए प्रोसैसिंग हाऊस की व्यवस्था को गयी है। इस प्रकार तरह-तरह की सुविधा उनको पहुँचा कर बुनकरों की हालत सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया है और भविष्य में भी जो दिक्कत आयेंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी प्रकार की कठिनाई में वह न पड़ें।

मान्यवर, जब हम देखते हैं कि छोटे-छोटे उद्योग लगाने वाले लोग जो हैं उनकी बनाई हुई चीजें बिक नहीं पाती हैं और वे उद्योग बंद हो जाते हैं तो उनके लिए हमने प्रयास किया

है कि उनको हम प्राईस प्रिफरेंस देंगे जो हमारे सरकारी विभागों में सामान की आवश्यकता होती है उसमें प्राइस प्रिफरेंस देकर उनके माल को प्रायोरिटी दी जायेगी लेकिन उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जायेगा। क्वालिटी में कोई कैप्रोमाइज नहीं किया जायेगा। जब अच्छी क्वालिटी का माल बनेगा तो वह ज्यादा बिकेगा।

हम उद्योग लगाने में भी सहायता करने जा रहे हैं। बहुत से लोग अभी आते हैं कि कौन सा उद्योग लगायें, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर उद्योग नहीं लग पाते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा उद्योग लग सकता है। पैसा उनके पास है लेकिन जानकारी न होने से वे उद्योग नहीं लगा पाते हैं। हमने निश्चय किया है कि हर डिविजनल हेडक्वाटर पर एक टेकनिकल इक्सपर्ट जिनको उद्योग लगाने की जानकारी है वह प्रोजेक्ट बनायेंगे और लोगों को सलाह देंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ लगाया जाय। इस प्रकार हर प्रकार की मदद हम करेंगे इससे काफी लोग आगे आयेंगे और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग लगाने के लिए सरकार ने बहुत सी छूट एनाउंस की हैं। जैसे बिक्री कर में छूट, पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की छूट, ट्रांसपोर्ट की छूट, बुंदेलखंड में बिजली की छूट ताकि जो हमारे पहाड़ी और बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र हैं तथा दूसरे पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा उद्योग लग सकें।

जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इसमें बहुत पिछड़ा है। हमारे यहाँ भदोही में कारपेट, मुरादाबाद में ब्रास वर्क तथा सहारनपुर में लकड़ी का काम बहुत अच्छा होता है तथा चमड़े का सामान भी हमारे यहां अच्छा बनता है जिसकी बाहर बहुत मांग है। इन सबको हम सहायता देना चाहते हैं जिनको अभी तक उतनी सहायता नहीं मिल पाती थी जितनी मिलनी चाहिए थी। इसीलिए हमने ब्रासवियर कारपोरेशन बनाया है उसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद में अच्छे किस्म के बर्तन बने उनको हम डिजाइन की सुविधा देंगे ताकि वह बाहर बिक सकें और भी जो उनको सुविधा दे सकते हैं दी जायेगी।

वहां पर बाहर से जो पीतल की शीट मंगाते थे उसमें शिकायतें आती थीं कि उनकी क्वालिटी खराब होती थी, यही कारण था कि बाहर जो सामान भेजते थे उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहती थी, इसलिये अच्छी चीजें बनाने के लिये ब्रास कारपोरेशन अच्छा काम कर रहा है और वहां प्लांट लगाकर पीतल की शीटें बनाकर काम में लगे लोगों को सुविधा और सहायता पहुंचा रहा है। मान्यवर, यह भी तय हुआ है कि पीतल बस्ती की मुरादाबाद में स्थापना की जाये क्योंकि जो अपने घर में रहकर उसी कमरे में अपना काम करते हैं तो उससे वहां का वातावरण, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, इसलिये प्रयास किया गया है कि पीतल बस्ती बनायी जायेगी जिसमें, जो गरीब लोग हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जायेगी, जो वातावरण की समस्या है, जो लोन और मार्केटिंग की समस्या छोटे लोगों को है, वह हल हो सकेगी और गरीब छोटे लोगों को काम मिल सकेगा एवं उनका माल बिकवाने में सुविधा रहेगी।

मान्यवर, शासन भदोही में कारपेट में लगे एवं बेरोजगार व्यक्तियों के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि भदोही के कारपेट और अच्छे बनें एवं उनको विदेशों में

हम भेज सकें। इसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों को काम मिल सकेगा और बेरोजगारी की समस्या वहाँ की हल हो सकेगी।

मान्यवर, हमारा इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में जो पहाड़ हैं, जहां मैन पावर अधिक हैं, उनका स्तेमाल छोटे-छोटे उद्योगों में इलेक्ट्रानिक का प्रयोग करके हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जापान ने तरक्की किया है वैसे ही हम इलेक्ट्रानिक का सामान बनाकर विदेशों में भेज सकते हैं जैसे कि टी0 वी0, कलर्ड टी0 वी0, व्हाइट एण्ड ब्लेक टी0 वी0 बनाकर विदेशों को भेज सकते हैं। मान्यवर, आज इलेक्ट्रानिक ने पूरे देश में अपना मार्केट बना लिया है और उसकी ख्याति बढ़ी है।

इसी प्रकार हमारा प्रयास होगा कि यह जो पिछड़े एरियाज हैं उनमें यह चीजें की जायं और उनकी खपत देश में की जाये एवं बाहर भी भेज सकें। मान्यवर, हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 82-83 तक 1600 लघु इकाइयों की स्थापना की गयी और 30 हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

मान्यवर, साथ ही साथ न्यू ओखला में इंडस्ट्रियल प्लाटस और हाऊसिंग की व्यवस्था की जा रही है और प्रयास हो रहा है कि स्पोर्ट औरिएन्टेड छोटे-छोटे उद्योग वहाँ लगाये और वहां काम्प्लेक्स बनाया जाये ताकि बना माल विदेशों को भेज सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। इसलिये कई दिशाओं में महत्वपूर्ण काम हो रहा है लेकिन हमारे पास साधन सीमित हैं और जो हम करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, लेदर कारपोरेशन आगरा में अच्छा काम कर रहा है, अच्छी क्वालिटी और डिजाइन के जूते, विदेशों में भेजने के लिये, क्या मार्केट है, इन सारी बातों की जानकारी वह कराता है और सहायता देता है। मान्यवर, तय किया है कि बस्ती और फतेहपुर में एक कारखाना खोला जायेगा और इसका काम्प्लेक्स बनाकर वहां के लोगों को रोजगार और सहायता देंगे। मान्यवर, आपने देखा होगा जो उद्योग विभाग यह सब काम कर रहा है वह काफी महत्वपूर्ण हैं।

मान्यवर, खादी के क्षेत्र में गतवर्ष सवा दो करोड़ रुपये से ज्यादा काम नहीं हुआ था, इस साल खादी बोर्ड कमीशन से 12 करोड़ रुपये मांगा था लेकिन नहीं मिल सका और 5 करोड़ रुपये मिलने की आशा है जिसका पूरा उपयोग होगा जबकि गतवर्ष के पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया है। जो पैसा पहले मिलता था वह खर्च नहीं कर पाते थे, इस साल पूरा पैसा हम खर्च करेंगे और प्रयास हो रहा है कि उसमें कोई गड़बड़ी न होने पाये।

खादी बोर्ड कमीशन के जो सचिव थे जिनके बारे में शिकायत थी। उनको हमने सर्विस से सस्पेंड भी किया है और उनकी पोस्ट पर यानी सचिव की पोस्ट पर हमने मुख्य

कार्यकारी अधिकारी की नियुक्त किया है, जो सीनियर आई० ए० एस० अफसर हैं। जो वित्तीय नियम हैं, जो वित्तीय कन्ट्रोल की बात है, जिसके सम्बन्ध में शिकायत आती है, उसके लिए हमने बड़े पैमाने पर जांच कराई है और यह देखा गया है कि एक पैसे का भी दुरूपयोग नहीं हुआ है। तो हमारे यहां हर क्षेत्र में काफी काम हुआ है। जितनी भी दिक्कतें थीं, उनको दूर किया गया है। इसके साथ ही जो लोग उद्योग लगाने के नाम पर पैसा लेते थे, सहायता लेते थे और उद्योग नहीं लगाते थे, ऐसे लोगों को निरूत्साहित किया जा रहा है और जो सही मायने में काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनको हर तरह से सहायता पहुंचाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे यहां उद्योग के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी, अब माननीय सदस्य उस पर अपने अच्छे अच्छे सुझाव देंगे उनको लेकर हम आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में और अच्छा कार्य करेंगे।

(1 बज कर 11 मिनट)

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की रीशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी उद्योग मंत्री जी ने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण औद्योगिक नीति पर दिया। मान्यवर, पूरे देश का यह गरीब पिछड़ा प्रदेश देश का 1/5 भाग है, 16 प्रतिशत आबादी है यहां पर और भारी उप उद्योग की संख्या यहां पर 4 प्रतिशत है। यह केवल हमारे मंत्रि मण्डल का नालायकपन और अफसरशाही की एक मिशाल है कि वह अपने आप काम न करके सिर्फ अफसरों पर निर्भर हैं। जो कुछ वह पेश कर देते हैं, वही आगे बढ़ा दिया जाता है। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार से हमें इसीलिए कम मात्रा में भारी उद्योगों के बारे में राशि मिली है। उद्योग के लिए, उद्योग लगाने के लिए मान्यवर, 5 चीजों की आवश्यकता होती है, बिजली, कच्चा माल, मार्केटिंग और उसके साथ-साथ कर्ज, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है।

दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जितनी भी संस्थायें इस प्रदेश में ऋण वितरण हेतु बनाई गयी हैं. उनमें भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि कोई भी उद्यमी के लिए वहां से कर्जा प्राप्त करना आसान नहीं है, बल्कि जो उद्यमी नहीं हैं वे हेर-फेर से पैसा वहां से अफसरों से मिलकर प्राप्त कर लेते हैं। वहां एक बंधा-बंधाया कमीशन है, उसी के कारण ही उद्यमियों को छोड़कर कर्जा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि यह देखें कि उन वित्तीय संस्थाओं में जहाँ कर्जा दिया जाता है, सैंक्शन में कितनी देरी लगती है, उसके उपरान्त कानूनी कार्यवाही करने में कितनी देरी लगती है, उसके बाद डिस्बर्समेंट में तीन वर्ष लग जाता है, जब वह उद्योग बीमार हो जाता है, उसके बाद उसको डिस्बर्स किया जाता है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है।

मान्यवर, वह जो नीति है, यह बड़ी दुखदाई है। इस नीति को सरल बनाया जाना चाहिए और यह सरल तभी बन सकती है, जब आप उनके ऊपर कोई बंधन लगायें कि एक उद्योग 6 महीने के अन्दर लग जायगा। उसको सारी सुविधायें एक ही खिड़की पर मिलेंगी। मिसाल के तौर पर एक उद्यमी दरख्वास्त देता है ऋण के लिए, उसको प्लाट का एलाटमेंट होता है, ऋण सैंक्शन होता है, 6 महीने लगता है, सीमेंट कहीं से मिलती है, बिजली कहीं से सैंक्शन होती है, लोहा कहीं से मिलता है। जो आज इंडस्ट्रियल कम्पलेक्स बनाये गये हैं, उनमें इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल यू0 पी0 डी0 आई0 आफिस जो है प्लाट काट-काट कर एलाटमेंट कर देता है, उसके बाद न सड़क होती है, न बिजली होती है, न कच्चे माल की सप्लाई होती है, न पानी की व्यवस्था होती है। यही कारण है कि हमारे गरीब प्रदेश में उद्योग नहीं हैं और प्रदेश में उद्योग न होने के कारण से ही गरीब तर गरीब होता जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जितने भी कम्पलेक्स 10 वर्ष से लगे हैं, उनमें से 10 प्रतिशत इण्डस्ट्री कामयाब नहीं हुई हैं, चाहे गाजियाबाद का सैदाबाद हो, चाहे गाजियाबाद की बुलंदशहर रोड ही, चाहे बुलंद-

शहर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे उन्नाव हो, कहीं भी आज यह आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जहां पर हर चीज की व्यवस्था हो। तो यह मान्यवर, आपस में सामंजस्य नहीं है, यह मंत्रि मण्डल का नालायकपन है। मान्यवर, अफसरशाही इतनी बढ़ गयी है कि मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं होता है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जितनी भी वित्तीय संस्थायें हैं, उनकी ओर ध्यान दें और यह भी चाहूँगा कि हर क्षेत्रीय कार्यालय पर और मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनायें, जो उनके कामों की देखरेख करे। मान्यवर, आज अफसरशाही का इतना जोर हो गया है कि पूरे 57 की 57 कारपोरेशन में सभी जगह अफसर बैठे हुए हैं।

मान्यवर, उनके चचा, भतीजे, भांजे, फूफा, मौसा उनके सभी रिश्तेदारों में ऋण वितरण किया जाता है। मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश में सूत की दर हरियाणा और पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात इन सबसे अधिक है और हम बहुत बातें करते हैं औद्योगिक नीति विस्तार की। मान्यवर, वित्तीय संस्थायें उद्योग लगाने के लिये कर्जा देती हैं लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक इस बात के लिये मजबूर नहीं किये जाते कि वह वर्किंग कैपिटल दें। तरह-तरह की तकलीफें वर्किंग कैपिटल मिलने में होती है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और हमारी वित्तीय संस्थाओं में सामंजस्य नहीं है। आज लगभग 5 वर्ष हो गये हैं, भारतीय स्टेट बैंक का ट्राई पारटाइट एग्रीमेंट लीगल डिपार्टमेंट में पड़ा है। ट्राई पारटाइट एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है।

मेरे कहने का भाव यह है कि अगर आपने प्लाट दे दिया तो वित्तीय संस्थाओं से कर्जा नहीं मिल पाया। अगर कर्जा मिल पाया तो बिजली का कनेक्शन 3 साल तक नहीं मिल पाया। कनेक्शन जुड़ा तो बिल्डिंग के लिये सीमेंट नहीं है। सीमेंट मिल गयी तो वर्किंग कैपिटल न मिलने के कारण वह उद्योग 3 साल में बीमार हो जाता है। और वित्तीय संस्था का रुपया भी वाजिब हो जाता है और उद्यमी का उत्पीड़न शुरू हो जाता है और उद्योग नीलाम कर दिया जाता है। रि-शेड्यूलमेंट की व्यवस्था है। परन्तु रि-शेड्यूलमेंट में इतना लंबा दौड़ना पड़ना है कि उद्योगपति या उद्यमी उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। बजाय इसके कि हमारी वित्तीय संस्थायें उद्यमी से जाकर कहें कि आपका उद्योग बीमार हो गया है आप हमारे पास आयें और हम दोबारा किश्त कर देंगे, बजाय इसके/उसके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू हो जाती है और उद्योग नष्ट हो जाता है।

यही कारण है कि जितने हमारे उत्तर प्रदेश के कांपलेक्स हैं चाहे न्वायडा हो या और कोई हों वह सब फेल हैं। उन्नाव में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने एग्रीमेंट किया एक भारी उद्योग लगा तो ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने उस उद्योग से कोई पुर्जा नहीं खरीदा और उसकी जगह पर दिल्ली में जो उद्योग लगा है उसी के द्वारा सामान खरीदा जाता है। भारी उद्योगों की जहां तक बात है तो आबादी के हिसाब से 10 परसेंट मिलना चाहिये लेकिन उसकी जगह पर 4 परसेंट वित्त केन्द्रीय सरकार से मिल सका है। जब लघु उद्योगों की बात आती है तो आपने उसके लिये जितने भी कांपलेक्स बनाये हैं वह सभी फेल हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास असंभव हो गया है। उसका कारण यह है कि बिजली उपलब्ध नहीं है। बिजली का मुहकमा अलग है उस पर उद्योग मंत्री जी का कोई अधिकार नहीं है और न दायित्व है। बिजली मिले या न मिले इससे उनको

मतलब नहीं है। यह बड़े कष्ट की बात है कि आज कृषि उत्पादन के लिये, बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में 3, 4 घंटे मिलती है। जो स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न था वह पूरा नहीं हुआ है। उनकी आत्मा आज इनको धिक्कार रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई कुटीर उद्योग नहीं पनप रहा है, कोई लघु उद्योग नहीं पनप रहा है, कारण उसका यह है कि न वहां सड़कें हैं, न पुलियां हैं, न ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, न वहां पर बिजली की व्यवस्था है और न वहां पर तालीम का इंतजाम है, यह दुर्भाग्य की बात है आज मंत्री जी ने कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, भदोई, आगरा, और प्रदेश के कई बड़े-बड़े शहरों और जगहों का नाम लिया, जिसमें बहुत अरसे से कुटीर उद्योग चले आ रहे हैं उसमें इनको कोई श्रेय नहीं है। मुरादाबाद का कुटीर उद्योग चरमरा रहा है। वहां इन्होंने पीतल नगरी बनायी, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वहां उल्लू बोल रहे हैं, पीतल नगरी बरबाद हुई पड़ी है, आपके अफसर जो हैं, वे लिफ्ट नहीं देते हैं।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

बनी नहीं है, बन रही है।

श्री धरमपाल—

अंधेरे में गये होंगे।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

लेकिन, उसको बनाने में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। कानपुर में इन्होंने लेटर कारपोरेशन के बनाने की बात कही, उसके साथ साथ आगरा में लेदर कारपोरेशन की बात कही, लेकिन जो वायदा उद्यमियों से कानपुर लेदर कारपोरेशन काम्पलेक्स में किया गया था, वह आज तक पूरा नहीं किया गया, कच्चा माल केमिकल्स और सप्लाई सरकार की ओर से नहीं दी जाती, मान्यवर बिजली तो यह दे ही नहीं पा रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि कोयले की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोयले का आबंटन जितना हुआ है, उसका 1/3 ही उत्तर प्रदेश में आ पाया है, यह है आपके मंत्रिमंडल के नालायकपन का सबूत।

श्री धरमपाल—

कोयला डि-कंट्रोल हो गया।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या अपनी तारीफ कर रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

आप पहले सुनने का कष्ट करें। टैक्सटाइल की बाबत स्पिनिंग मिल्स की बात कही गयी, जहाँ पर विचार है, कानपुर, मेरठ लेकिन जिस जगह हमारे जुलाहे भाई, बुनकर भाई हैं, वहां स्पिनिंग मिल नहीं लगायी जायेगी। स्पिनिंग मिल कहां लगेगी रायबरेली

में, जो माननीय प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र है, स्पिनिंग मिल कहां लगेगी काशीपुर में, जहां इन्डस्ट्रियल मिनिस्टर का क्षेत्र है। मान्यवर, जहां पर कच्चे माल की खपत है, वहां कच्चा माल बनाने का कारखाना नहीं है इसी प्रकार से खनिज कारखाना रायबरेली में, लेकिन इसके लिए खनिज कहां से आयेगा, वह आयेगा अल्मोड़ा से, तो क्या ही अच्छा होता, अगर अल्मोड़ा में ही लगाते।

इस प्रकार से आपकी जो औद्योगिक नीति है, वह फेल हो गयी है, मरने जा रही है, इस तरह से उत्तर प्रदेश की गरीबी और बढ़ेगी इसकी क्या वजह है? आज से बीस साल पूर्व हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात हमारे से पीछे थे, तो यह आपकी कार-गुजारी, आपके नालायकपन का सबूत है कि आज इन सब राज्यों से हम पीछे हैं। अभी मुझे कानपुर जाने का इतफाक हुआ, पता चला कि कई उद्यमी यहां से छोड़कर महाराष्ट्र चले गये, गुजरात चले गये। कलकत्ता में, बंगाल में जब स्थिति खराब हुई, तो बहुत सारे उद्यमी गाजियाबाद, कानपुर तथा अनेक शहरों में आये और उन्होंने अपने-अपने प्लाट भी लिये, लेकिन यहां की औद्योगिक नीति के कारण, यहां के भ्रष्टाचार के कारण, यहां की बिजली की कमी के कारण और मंत्रिमंडल के सोने को देखकर वे फिर वापस बंगाल चले गये, महाराष्ट्र चले गये, गुजरात चले गये, यह बड़े दुख का कारण है मान्यवर आज प्रशासनिक खर्चे जो हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे वे 57 कारपोरेशन हैं, अगर 57 कारपोरेशन्स के प्रशास-निक खर्चे देखे जायं, तो ज्ञात होगा कि अगर एक कारपोरेशन का खर्चा 10 रुपए है, तो दूसरे का 10 हजार रुपए है कोई तालमेल नहीं है। मैं चाहूँगा मंत्री जी प्रशासनिक खर्चों पर बन्धन लगाये। किसी भी इकाई का 2 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक खर्च है तो वह इकाई कभी कामयाब नहीं हो सकती है।

मान्यवर, यह जो वित्तीय संस्थाओं में नफा दिखाने की बात है यह उद्यमियों का गला काट कर नफा हो रहा है। सूद दर दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यह वित्तीय संस्थायें जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है उद्यमियों को खाये जा रही है। जो उद्यमी है उसको तो वित्तीय संस्थायें फाइनेंस करती नहीं है जो उद्यमी नहीं है उनकी यह वित्तीय संस्थायें सहायता करती हैं। उनको इनसे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। नतीजा यह होता है कि साल 2 साल में वह बीमार हो जाती है क्योंकि जो 10 या 15 प्रतिशत धन लगाने की बात है और बाकी ऋण मिल जाता है। तो 10-15 प्रतिशत अफसर मिलकर समा-योजित बिल से कर देते हैं जैसे एक लाख की मशीन है तो वह डेढ़ दो लाख की दिखाई जाती है, 4 लाख की है तो 10 लाख की दिखाई जाती है। 15 प्रतिशत समायोजन करने के उपरान्त सारे रुपये को अफसर और नकली उद्यमी मिल कर खाते हैं। तो मैं यह मांग करता हूँ कि मंत्री जी इसकी जानकारी अपने विजीलेंस विभाग से कराये कि कितने उद्योग लगाये गये और कितने उसमें से बीमार हुए। इसका वितरण इस किताब में नहीं दिया गया है।

मेरा यह दावा है कि जितने उद्योग लगाये जाते हैं उससे अधिक बीमार हो जाते हैं। तो क्या यह औद्योगिक विकास है या विनाश है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से औद्योगिक असन्तुलन है, और यह बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ लेबर है वहाँ उद्योग नहीं है कारखाने नहीं हैं, जहाँ कारखाने हैं, वहाँ लेबर नहीं हैं। मैं निवेदन करूँगा कि जो असन्तुलन है इसको सन्तुलित करें, हर जगह

आबादी के लिहाज से औद्योगिक नीति होनी चाहिये। औद्योगिक नीति का निर्धारण होना चाहिये। जहाँ श्रम है वहाँ उद्योग होना चाहिये, जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ उद्योग लगाना चाहिये। हर शहर में उद्योग होना चाहिये, हर जिले में उद्योग होना चाहिये। यह गरीबी तभी ठीक हो सकती है जब यह असन्तुलन खत्म हो। मै मंत्री जी से चाहूँगा कि आप अपने जवाबी भाषण में इस प्रकार की बात कहें, आश्वासन दे कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो असन्तुलन है इसको समाप्त करके सन्तुलित नीति अपनाई जायेगी। हर जिले में जहाँ श्रम है, खेती कम है वहाँ अधिक उद्योग लगाये जायेंगे।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, जो भी उद्योग इकाईयाँ बनाई जायँ उनकी प्लाटों का वितरण तभी होना चाहिये जब सारी सुविधायें मिल जाय। क्योंकि उद्यमी के अन्दर बड़ी इच्छा होती है उद्योग लगाने की प्लाट मिलने पर वह तुरन्त अपना रुपया लगा देता है और फिर मारा-मारा फिरता है। हमारी वित्तीय संस्थायें, जब उसका धन उद्योग में लग जाता है तो उत्पीड़ित करती है और भ्रष्टाचार के तरीके से उससे पैसा ऐंठती हैं, तब वित्तीय संस्थायें ऋण देती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अगर किसी एक लाख के उद्योग में उद्यमी 10 हजार लगाता है तो उसके साथ ही 85 हजार रुपया वित्तीय संस्थायें लगाये और उसके बाद यदि वह कामयाब नहीं होती है तो वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी फिक्स करें कि यह क्यों फेल हो रही है। 6 महीने के अन्दर प्रोडक्शन में आना चाहिये। यह सामन्जस्य बहुत जरूरी है।

एक सुझाव यह है कि पावर का एलाटमेंट, ऋण या अन्य जो चीजें भी उद्योग के लिये जरूरी हैं, उन सभी का एलाटमेंट एक जगह से होना चाहिये जिस प्रकार की व्यवस्था महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि प्रदेशों में है। हर काम के लिये आज आपके यहां अलग अलग विभागों में उसे दौड़ना पड़ता है। इसी कारण से आपके यहां उद्योग पनप नहीं रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में आपके यहां बहुत सी चावल मिलें हैं, पर किसी को एक्सपोर्ट का लाइसेंस प्राप्त नहीं है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिल्ली के उन पूंजीपतियों को मिलता है जो अधिकारियों से मिले रहते हैं। आपको अपने प्रदेश की छोटी-छोटी इकाइयों को चावल के एक्सपोर्ट का लाइसेंस देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया 5 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

बिजली हमारे यहां सभी प्रदेशों से महंगी है। यदि उद्योगों को बढ़ावा देना है तो सभी उद्योगों को, कुटीर और लघु एवं मध्यम उद्योगों को, सब्सीडाइज्ड रेट्स पर आपको

बिजली देना चाहिये। इन्डस्ट्रीयल इस्टेट्स में स्वतंत्र बिजली के जेनरेटर्स होने चाहिये। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इन जेनरेटर्स के लिये जो ऋण और सब्सीडी के रूप में पैसा दिया जाता है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2-2, 3-3 सालों में स्वीकृत होने के बाद मिलती है। स्वीकृति होने में भी 2-2 साल लग जाते हैं। मंजूर होने पर भी यह कह कर पैसा नहीं मिलता कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। यह कह कर उद्यमी को परेशान किया जाता है और इस तरह से भ्रष्टाचार का रास्ता निकाला जाता है। जब कुछ परसेन्टेज अधिकारियों और कर्मचारियों का तय हो जाता है, तभी वह पैसा मिल पाता है। इसलिये आप यह आदेश दें कि जिस दिन पैसा स्वीकृत हो, उसी दिन वह मिल जाये और ब्याज भी उसी दिन से लिया जाना चाहिये जिस दिन से उसे पैसा मिले। जेनरेटर लगाने के लिये जो आप सब्सीडी दें उसे ब्याज से मुक्त रखा जाये। सब्सीडी समय से मिल जाये। अगर यह आप कर दें तो उत्पीड़न कम हो सकता है।

स्पीनिंग मिल की बात आयी और कहा गया कि बुनकरों को तागा सप्लायी किया जायेगा। मान्यवर, एक वर्ष में 6-6 बार, जो वहाँ की टेक्सटाइल मिले हैं तागा बनाने वाली, अपने रेट बढ़ाये। यह दुःख की बात है। मंत्री जी कहते हैं कि वे इकाइयाँ नफे में हैं। बुनकर मजबूर है उसी को खरीदने के लिए क्योंकि कोई दूसरा इंतजाम नहीं। तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी अपने विचार जाहिर करें।

उद्योग बैन कर दिये जायें इस एरिया में, उद्योग न लगें। और जब कोई भाई-भतीजा या जिसमें जाति विशेष की दिलचस्पी हो, बैन खोल दिया जाये। मंत्री का हो, किसी प्रबन्धक का हो या इंजीनियर का हो, इसमें एक नीति निर्धारित होनी चाहिए। यदि कोई इण्डस्ट्री बैन है तो उसे खोलने का अधिकार केवल शासन के पास ही हो, कोई वित्तीय संस्था बैन को नहीं खोल सकती। अभी उत्तर प्रदेश में अल्यूमिनियम बेस इण्डस्ट्री बेन थी लेकिन उसको कुछ जाति विशेष के उद्योगपतियों के लिए खोला गया बनारस में और उसका एक कारखाना 3 हजार टन का लगाया गया लेकिन एक छोटा उद्यमी अल्यूमिनियम बेस दस्तकारी लगाना चाहता है तो उसको दुत्कार दिया जाता है और कह दिया जाता है कि यह बैन है। तो मंत्री जी इस चीज को देखिये कि कारण क्या है? क्या छोटा उद्यमी इस प्रदेश का नागरिक नहीं? उसे क्या नागरिक अधिकार नहीं? तो इस तरह का भ्रष्टाचार जो आपकी वित्तीय संस्थाओं में है उसको मिटाना चाहिए।

पेपर मिल, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लगायेंगे। उनको लाइसेंस 5 टन का नहीं दिया गया, कह दिया कि 10 टन का लगाओगे तभी वित्तीय संस्था आपको ऋण देगी। छोटा उद्योग जिसमें इन को कम मिलता है, वह स्कीम ही फेल कर दी और यह कह दिया कि यह अनइकानॉमिक है। हमारे रामपुर जनपद में घास, फूस, पुआल, भूसा, नाना प्रकार के कागज, गत्ते बनाने की चीजें हर समय उपलब्ध हैं। कम दाम पर उपलब्ध हैं। तो 5 टन के उद्योग को रिजेक्ट करने का क्या कारण है? केवल यही कि अनइकानामिक है? जिसने रुपया खर्च कर दिया, मजबूर हो कर उसे 10 टन का उद्योग लगाना पड़ा। जहाँ छोटे उद्योग हैं, कहते हैं बड़ा लगाओ और जहाँ बड़े उद्योग हैं, कहते हैं छोटा लगाओ। तो किसी भी उद्योग पर बैन लगाने का अधिकार केवल शासन को हो और बैन हटाना भी शासन के अधिकार में हो, ये वित्तीय संस्थायें इसे न कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—

30 मिनट होने जा रहे हैं, बल्कि हो गये हैं। अगर दूसरों को थोड़ा समय आप दे सकें तो.....

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

बाकी जो रह गया है, बाद में बोलूंगा। आज जो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बखान बघारा है वह सत्य से परे है, आंकड़े झूठे हैं, कागजी हैं। सारी वित्तीय संस्थाओं को जाकर देखें, वहाँ पर ऋण के लिए कितने-कितने दिन से प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं, कब सेंक्शन हुई, कब उसका डिस्बर्समेन्ट हुआ, कब कानूनी कार्यवाही हुई। हर फाइल को मंगा कर देखें, एक उसका स्टेटमेन्ट बनायें। मान्यवर, कच्चे माल की पूर्ति जब तक नहीं होगा तब तक उद्योग नहीं बढ़ पायेंगे। पिछले ढाई सालों में औद्योगिक नीति के निर्धारण में तीन मंत्री बदल गये लेकिन वह भ्रष्ट अधिकारी नहीं बदला। इस प्रदेश का क्या हाल होगा। अधिकारी अपनी जगह पर बैठा है। वह कहता है कि कोई मंत्री आये मुझे परवाह नहीं है, मेरा प्रतिशत बंधा है, मैं मौज मार रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री धरमपाल—

मैं आपका आभारी हूं। आपने उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले पूर्वान्चल के योग्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये उनको बधाई देता हूं। साथ ही कटौती का प्रस्ताव जो हमारे मित्र ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 3-4 साल पहले किसानों की हिमायती जनता सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि उत्तर प्रदेश से उद्योगों का पलायन शुरू हो गया। इनके जमाने में इनके आदेशों से उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बिजली काटी गयी। इससे बड़ी कलंक और शर्म की बात क्या हो सकती है। उद्योगों की दुहाई देने वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने उद्योगों को लगवाया। इनके जमाने में उद्योगों का पलायन प्रारम्भ हो गया।

एक सदस्य—

आप अपना पलायन रोकिये।

श्री धरमपाल—

उद्योग लगाना, उसके बारे में सोचना इनकी बात नहीं है। उद्योगों के बारे में वही सोच सकता है जिसके दिल और दिमाग इकट्ठे हों। वह कतई नहीं सोच सकता जिसका दिल यहां हो और दिमाग नागपुर में हो। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में उद्योगों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में सुझाव देना चाहता हूं। बुन्देलखंड शहीदों की बहादुरों की धरती है। उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राप्त होने वाले खनिजों में से 60 प्रतिशत से अधिक बुन्देलखंड की धरती में होते हैं। वहां प्राप्त खनिजों के आधार पर बुन्देलखंड में उस तरह के उद्योगों की स्थापना की जाये। बाक्साइड, प्लाइटस, यूरेनियम, तांबा आदि तमाम प्रकार के खनिज वहां प्राप्त हो रहे हैं। (शोर)

विद्युत विभाग के बारे में मा0 मंत्री जी से कहना चाहूँगा। पिछले वर्ष राजा साहब के जमाने में नीति तय की गयी थी कि प्रदेश के अन्दर बिजली उत्पादन प्राइवेट सेक्टर से कराया जायेगा। परन्तु इस पर कार्यवाही नहीं की गयी। मैं निवेदन करूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दें। इससे बिजली की कमी के कारण जो उद्योग नहीं आ पा रहे हैं वह आ जायेंगे। मिर्जापुर में कालीन उद्योग है। बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। विश्व के अन्दर 20 हजार करोड़ रुपये की कालीन खरीदी जाती है जिसमें 200 करोड़ रुपये की कालीन भारत से खरीदी जाती है। 200 करोड़ में से बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश से जिस तेजी से उद्योग का पलायन हो रहा है इसको रोका जाना चाहिये। पूर्वान्चल के बारे में कहना चाहता हूं। पूर्वान्चल में पिछड़े हुये जनपद हैं। बहराइच में उद्योगों की कमी है, रा मेटीरियल की कमी नहीं है। केवल एक चीज की जरूरत है, एक निगाह की जरूरत है और आपके नजरों की इनमायत की जरूरत है। यदि आपकी थोड़ी इनायत हमारे उस पूर्वांचल की तरफ हो जायेगी तो उसका बड़ा भला हो जायेगा और हमारे उस पूर्वांचल का कल्याण हो जायेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से थोड़ी चीजें और कहना चाहता हूँ। मान्यवर, पहली चीज है--उद्योग के बारे में। महाराष्ट्र सरकार की तरह उद्योग की नीति होनी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार एक ऐसी सरकार है जहाँ उद्योग के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसकी इकाईयों की जाँच कर ली जाती है कि वाकई में यह लाभप्रद है या नहीं और यह उचित स्थान पर है या नहीं। और जिस समय योजना स्वीकार हो जाती है तो उसे समय से पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है।

मान्यवर, बुनकरों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बहराइच से जुड़ा हुआ जिला सीतापुर है बुनकरों को रा-मैटीरियल देने की योजना है इसके लिये मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ। मान्यवर, पिछले साल हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय निगम ने जो हमारे बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराया है वह भी एक सराहनीय कार्य है। साथ ही इस संबंध में ट्राई-सम योजना के अंतर्गत जितने लोगों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य था उससे भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है यह भी हमारी सरकार का एक सराहनीय कार्य है। और इसके लिये मैं अपनी प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योग का क्षेत्र काफी फलेगा और फूलेगा और उनका नाम उद्योग इकाईयों के क्षेत्र में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप सभी माननीय सदस्य बैठ जायँ। मैंने माननीय श्री सत्यपाल सिंह जी को बुला लिया है। आप यह न सोचें कि आपको नहीं बुलाया गया आपको भी बुलाया जायेगा।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, मुझे कोई आलोचना नहीं करनी है बल्कि माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव देने हैं और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी उन पर विचार करेंगे। मुझे आपके बृहद और मध्यम के बारे में विशेष कुछ नहीं कहना है। मुझे कहना है आपसे लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में। पहली बात तो लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में आपको क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिये क्योंकि आप इस विभाग के एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं तथा आपको इसका अनुभव भी है इसलिये मैं समझता हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे तो निश्चित ही इस प्रदेश का भला होगा और इन लघु एंवम् कुटीर उद्योगों के माध्यम से आप कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को व्यवसाय दे सकेंगे।

मान्यवर, लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में विशेष बात यह है कि देहाती अँचल हमारे प्रदेश का मुख्य अंग है और देहाती अँचलों में लोग कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर में जनपद शाहजहाँपुर आता है इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कालीनों का जो लघु उद्योग है यह काफी मूल्यवान है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रदेश में कालीन बनते हैं चाहे वे इलाहाबाद में बनते हों, मिर्जापुर में बनते हों, भदोही में बनते हों और चाहे शाहजहाँपुर में बनते हों, उनका निर्यात होता है उस निर्यात में माननीय मंत्री जी आपको मालूम होगा कि हम कम्पटीटिव मारकेट में दूसरे देशों से पीछे रह जाते हैं। 1981-82 में पाकिस्तान ने 160 करोड़ रुपये के कालीन का निर्यात किया जबकि हमारे देश में केवल 110 करोड़ रुपए के कालीन का निर्यात हुआ। उसका कारण यह है कि जो छोटे-छोटे उद्योग लोग चलाते हैं उनके लिये जो आप पैसा कर्जे पर देते हैं उस पर इन्ट्रेस्ट 20 परसेन्ट लेते हैं।

इस प्रकार विदेशों में जो कालीनें हमारे प्रदेश से जाती हैं और बाहर के लोग उनको खरीदते हैं तो वे आर्डर देते हैं बल्कि तैयार माल चाहते हैं। और हमारे जो छोटे उद्योग वाले हैं कारपेट बनाने वाले, उनके पास पूंजी बहुत कम होती है जिसके कारण वह इतनी बड़ी तादाद में कालीनें नहीं बना सकते हैं। साथ-साथ में सूती और ऊनी धागे हैं, इसमें 30 से 35 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इस कालीन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिये आप कुछ इस बात का प्रयास करें कि लोग अधिक से अधिक संख्या में इस काम में लग सकें। इसके लिये कम से कम इण्ट्रेस्ट पर रुपया कज दें ताकि यह लोग दूसरे मुल्कों के कम्पेटीशन में आगे आ सकें और प्रदेश का लाभ हो सके। हमारे जिले शाहजहांपुर में,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, उसमें शाहजहांपुर के कालीन उद्योग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। शाहजहांपुर में न कहीं सूती कपड़ा बनता है न और कोई उद्योग है, केवल कालीन बनता है, उसके लिये सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, मेरा अनुरोध है कि आप इसे देखें।

इस पुस्तिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में दो-दो लाख रु0 के लघु उद्योग लगाने जा रहे हैं, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। अगर प्रत्येक ब्लाक में एक-एक लघु उद्योग खोल दें तो सारे ब्लाकों में जो जनता रहती है, उसे रोजगार मिलेगा। एक चीनी मिल में 10-15 करोड़ रु0 खर्च होता है और उससे मुश्किल से 400-500 आदमियों को व्यवसाय मिलता है लेकिन 15 करोड़ रु0 से अगर लघु उद्योग खोल रहे हैं तो एक करोड़ लोगों को रोजगार आप दे सकेंगे। आपने पश्चिम में जिला शाहजहांपुर के तिलहर, रोजा, पुवायां और जलालाबाद का नाम छपा है। यह पुस्तक आपके काबिल सेक्रेटरीज ने तैयार की होगी, लेकिन उन्होंने तैयार करते वक्त यह नहीं देखा कि रोजा नामक कोई ब्लाक शाहजहांपुर में है ही नहीं। इसके स्थान पर भावलखेड़ा होना चाहिये, जिसे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसे सम्मिलित कर लें।

हड्डी से खाद बनाने की योजना के अन्तर्गत कांग्रेस (आई) के जिला अध्यक्ष श्री अली जहीर साहब थे, उन्होंने 5 साल पहले एक-डेढ़ लाख रुपया लिया है कि हड्डी से खाद बनायेंगे। यह मेरी कांस्टीटुएन्सी के अन्दर है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी कांस्टीटुएन्सी के अन्दर जो खाद का कारखाना बनाने की बात कही थी, आज एक फिट दीवाल के अलावा और कुछ नहीं बना है। जो जिला उद्योग केन्द्र हैं, उन पर जो निरीक्षक हैं, वे या तो उनका काम करते हैं जो लम्बी रकम देता है, गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपके दिल में इच्छा है कुछ करने की जिला उद्योग केन्द्र पर अच्छे निरीक्षकों की नियुक्ति करें। आप इस रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगायें ताकि वे बेईमानी न कर सकें। अगर इस प्रकार की बेईमानी वे करते रहे तो लघु उद्योग लगाने वाले व्यक्ति की सारी सम्पत्ति नीलाम हो जायगी। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। लखनऊ से कानपुर तक 6 कारखाने आपने लंबे सड़क लगा रखे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द––

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब विधान सभा चल रही हो तो विधान सभा की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई सदस्य कोई चीज नहीं पढ़ेगा। आप जब सदस्यों को बुलवाने के लिये इंगित करेंगे तो आप अपने विवेक पर बुलवायेंगे लेकिन आज देख रहा हूँ कि लिस्ट से आप बुलवा रहे हैं। दूसरी मैं यह व्यवस्था चाहता हूँ कि अधिकांश रूप से जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनके.....

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है? जहाँ तक आपने जो पहली बात कही, उसके बारे में मैं बता दूं कि जो लोग खुद से लिखकर पर्ची यहाँ पर रख जाते हैं, उसका मैं क्या करूँ, वैसे मैं अपने विवेक से ही बुलवा रहा हूँ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। अधिष्ठाता महोदय, दोनों हाँ और नहीं पक्षों की हाजिरी की संख्या को देखते हुए 2 और 1 के अनुपात से बुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और 2 और 1 के अनुपात से बोलने वाली बात को मत उठाइये।

*श्री कैलाश टण्डन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस उद्योग के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में उद्योग विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर मैं बनारस को चुनकर आया हूँ, वह बुनकरों का शहर है और माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में बुनकरों के वास्ते और काम में आने वाले रेशम के वास्ते काफी टैक्स की माफी कर दी है। बनारस में प्राचीन उद्योगों में सबसे पहले साड़ी उद्योग, लकड़ी की नक्कासी का उद्योग, हाथी दाँत के नक्कासी का उद्योग, पीतल के बर्तन तथा उसमें नक्कासी आदि के उद्योग रहे हैं और नये उद्योग भी सार्वजनिक क्षेत्र में तथा प्राईवेट क्षेत्र में शामिल हुए हैं। मान्यवर, कुटीर उद्योग में आज बड़ी दयनीय स्थिति है।

इसी सिलसिले में मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, परन्तु अब यह वुड्स उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सारे रोजगार मंद पड़े हुए हैं और इससे करीब 10 हजार आदमी बेरोजगारी के शिकार होंगे। जारी के क्षेत्र में रेशम के वास्ते हमारा उद्योग बेंगलौर पर आश्रित है। बीच में माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इसकी कितनी किल्लत पड़ गयी थी, परन्तु शासन के इस ओर काफी प्रयास रहे और यह स्थिति तब जाकर सुधरी। मान्यवर, इसी तरह जरी का काम भी सूरत, गुजरात पर आधारित है। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कुछ भूमि सारनाथ के पास खरीदी थी, जिस पर केन्द्रीय मंत्री मनु भाई ने उस पर कुछ रोक लगा दी और इस जरी के काम में जितना गोल्ड मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है, इसका सारा कोटा सूरत और पूसा वाले ले जाते हैं। पीतल के काम का जहाँ तक सवाल है, इस ओर बहुत उपेक्षा हो रही है। स्किल और अनस्किल तौर पर काम करने वालों पर (व्यवधान) ब्याज की राशि सेल्सटेक्स पर नहीं लगेगी, ऐसा निर्धारित है। परन्तु इसका पालन हमारे यहां नहीं हो रहा है। जबकि मुरादाबाद में सेल्सटैक्स नहीं लिया जाता है, इसे कृपया देखें। यह बात सही है कि यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिक्री कर का मामला है और संस्थागत वित्त में आता है। लेकिन यदि किसी उद्योग को जीवित रखना है तो आपको बनारस के कारखानों को मदद देनी पड़ेगी। बनारस में पीतल का उद्योग अनेक प्रकार का होता है जिसके कारण आज बनारस विश्वविख्यात है।

इसके अतिरिक्त बनारस में कालीनों का भी बहुत बड़ा उद्योग है। पहले इस पर भारत को 20 परसेन्ट लाभ मिलता था परन्तु आज वह काफी घट गया है और 17 1/2 परसेन्ट ही रह गया है। आज जर्मनी, हालैण्ड और अमेरिका को यह माल जाता है। जितनी हमको जानकारी है करीब 80 करोड़ का माल जर्मनी के पोर्ट पर पड़ा हुआ है उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसको आप जरूर देखें कि इस उद्योग में जो गिरावट आयी है इसको कैसे 20 और 25 परसेन्ट तक पहुंचाया जाय।

बनारस का पीतल का तार-जाली का उद्योग अपने आप में यूनीक है। आज उसकी भी मांग विदेशों में ज्यादा है परन्तु उसे आप आज रा-मेटिरियल नहीं देते हैं और न बिजली ही पा रहे हैं। बिजली का कनेक्शन आपने उसके लिये रूरल एरिया से जोड़ रखा है जिसके कारण उनको समय पर बिजली नहीं उपलब्ध हो पाती है और रामनगर और लहरतारा के उद्योग सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं।

इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर बिक्री कर के रूप में जो पैसा लिया जाता है, जैसे अन्य प्रदेशों में है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो यहां उस प्रकार से इस मामले में समानता नहीं है। जगाधरी में बर्तन पर 8 परसेन्ट टैक्स है और आपने अपने यहां इससे ज्यादा लगा रखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक उद्योगों में एकरूपता नहीं आप लायेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं चल पायेगा।

एक हथकरघा आपने बनारस में बनारसी साड़ियों के परचेज के लिये एक कमेटी बना रखी है। आपको इस परचेज कमेटी को भंग करना चाहिये और इनकी जगह पर जो कि बनारसी साड़ियों के जानकार लोग हैं, बुनकर हैं, उनको आप साड़ियों के सेलेक्शन के लिये रखिये तो इस तरह से काम में आसानी हो जायेगी और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बुनकरों के पैसे का जो ब्याज है, वह उन्हें वापस मिलना चाहिये। जब आप आगे उनका ब्याज माफ करने वाले हैं तो उन्होंने, जिन्होंने ब्याज दिया है, उनका ब्याज का पैसा एडजस्ट हो जाना चाहिये। इसी के साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री यदुनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपको इस जबाबी कीर्तन के लिए धन्यवाद।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन आप क्यों शामिल हो रहे हैं?

(हंसी)

श्री यदुनाथ सिंह--

अभी माननीय मंत्री जी सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट लगा कर बोल रहे थे।

श्री धरमपाल--

आप क्या लेकर बोल रहे हैं ?

*श्री यदुनाथ सिंह--

श्री बलवीर सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी तमाम अनाप-शनाप बोले। लेकिन कहता हूं कि इण्डस्ट्रीज के मामले में एक पालिसी तय है। अब इस 35 करोड़ के बजट पर खर्च करने के लिये मंत्री जी को एक पालिसी तय करनी पड़ेगी कि पहला रा-मैटिरियल, दूसरा कर-भार और तीसरा रनिंग। इन तीनों चीजों के मामले में पहले चाहे जो मंत्री रहे हों चाहे अब्दुल रहमान अन्सारी हो, चाहे नियाज हसन खां हों या आज वीर बहादुर सिंह हों, ये तीनों मंत्री फेलियोर रहे हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं।

मुरादाबाद में ब्रास उद्योग, चुनार में मिट्टी के बर्तन का उद्योग, फरीदाबाद में चूड़ी उद्योग आदि के बारे में आप कुछ नहीं कर पाये हैं। उत्तर प्रदेश में इन्डस्ट्री लगें चाहे छोटी हों या बड़ी हों लेकिन आपको यह तय करना होगा कि वे कहां पर लगायी जायं। चुनार की सीमेन्ट फैक्ट्री पर 72 करोड़ रुपये के स्थान पर एक अरब रुपया खर्च हो रहा है लेकिन उत्पादन 40 परसेन्ट ही है। आपको इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए कि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े। डाला और चुर्क में सीमेन्ट का उत्पादन होता है। यहां पर जो सीमेन्ट की फैक्ट्रीज है उनका संचालन एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी करता है, जिसे उद्योग के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। यह लोग वहां पर डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी अख्तियार करते हैं, और कुछ नहीं करते।

इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उद्योगों में आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है वहां पर तो इन्जीनियरों की आवश्यकता है, जो उनके बारे में ज्ञान रखते हैं। जहां पर जो फैक्ट्री है उसी से सम्बन्धित दूसरी एन्सीलरी फैक्ट्रीज को स्थापित करना चाहिए। जैसे सीमेन्ट फैक्ट्री है, मथुरा में रिफाइनरी है तो उसके बगल में केमिकल इन्डस्ट्री आपको स्थापित करना चाहिए। चुनार में सीमेन्ट फैक्ट्री है लेकिन जिस पहाड़ी से पत्थर आता है वह बहुत दूर है उसकी दूरी लगभग 60 मील है। इस प्रकार से इसमें खर्चा अधिक आता है। सीमेन्ट का दाम जो तीस रुपये होना चाहिए वह आज बढ़कर 65 रुपये हो गया है। कहना चाहता हूँ कि सीमेन्ट की कमी लोगों को नहीं महसूस होनी चाहिए। मिर्जापुर में बहुत सा रा-मेटीरियल और खनिज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पदार्थ हैं। वहां वाक्साइड की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है विद्युत की कमी नहीं है परन्तु मिर्जापुर जैसे जिले को उद्योगों में पिछड़ा हुआ जिला नहीं घोषित किया गया है। वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और मिर्जापुर को उद्योग के मामले में पिछड़ा जिला घोषित करें।

मैं तो कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता था। पाँच मिनट में मैं सारी बात नहीं कह पाऊँगा। मैं मा0 उद्योग मंत्री जी से कई बार मिला और अपने जिले की समस्याओं को रखा। मा0 मंत्री जी गोरखपुर में रहते थे तो वाराणसी आते थे तब वहां पर उनसे मुलाकात होती। मेरा कहना है कि जो टेक्निकल और अनुभवी व्यक्ति हैं उनको उद्योगों में लगाया जाना चाहिए। अब मैं ग्रामीण उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूँ खेती के आधार पर बहुत से उद्योग चलाये जा सकते हैं। उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसे भूसी से दफ्ती, पुवाल से पेपर मिल की स्थापना की जा सकती है। डालमिया और हिन्डालको को खाद के कारखाने बनाने के लिए देते हैं। आपके जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं आपके पास बहुत से ऐसे इन्जीनियर (केमिकल) हैं जो खाद के कारखाने को चला सकते हैं। आपके तमाम इन्जीनियर बेरोजगार हैं लेकिन आप किसी भी इन्जीनियर को इलेक्ट्रिक ट्रांन्सफार्मर बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। सिविल इन्जीनियर इलेक्ट्रिक इन्जीनियर बेकार घूम रहे हैं। उनको आप उद्योगों में प्रोत्साहन नहीं देते हैं। जो आई0 ए0 एस0 सचिव हैं वह आपको गुमराह करते हैं और सारी गड़बड़ी करते हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियों के बारे में आपने क्या किया ? मुरादाबाद के बारे में आपने क्या किया ?

मैं कहना चाहता हूँ कि चुनार सीमेन्ट परियोजना के लिये आपने जिन लोगों से जमीन ली थी, उनको वहाँ से निकाल दिया था। जिस दिन संजय गांधी का निधन हुआ था। सारा देश शोक मना रहा था उस दिन वहाँ के लोगों की जमीन ली गई और कार्यरत लोगों को घरों से पकड़-पकड़ कर आपने उनको जेल में 107/17 में डाल दिया। आजतक उनको नौकरी नहीं दी गई। आज तक से तीन-तीन मंत्री बदल गये। प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था और यह सरकार की पालिसी भी है कि जिन लोगों की सीमेन्ट परियोजना के लिये जमीन ली जायेगी उनके परिवारों को नौकरी दी जायेगी किन्तु अभी तक उन लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया गया।

मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी की बगल में जो 95 एकड़ जमीन इन्डस्ट्रीज की है वह जयगुरुदेव को दे दी, जिनका नाम तुलसीराम मौर्य है वे मेरे साथ बरेली में जेल में मीसा में रहे हैं। उन्होंने 95 एकड़ जमीन इन्डस्ट्रीज की ले ली।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जितने इन्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं वे आज बीमार पड़े हुये हैं। मैं चाहता हूं कि उनके निश्चित रूप से लाइसेन्स जब्त कर लिये जांय। बनारस में, गाजीपुर में और दूसरी जगहों पर जितने बड़े-बड़े इन्डस्ट्रिय लिस्ट हैं वे जितना कोयले का लाइसेन्स लेते हैं वे रा मेटीरियल लेकर उसे बाजार में बेच लेते हैं। रायबरेली में ऐसे कई प्लान्ट हैं। मैं चाहता

हूं कि आप इस पर विजीलेन्स से इन्क्वायरी करायें । अन्त में मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे सुझावों पर अमल करेंगे ।

*श्री कमला प्रसाद सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जनपद में उद्योग लगाने के लिये जो कार्यक्रम शुरू किये हैं, वह सराहनीय हैं। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बंधाई देना चाहता हूं कि मेरे जनपद जौनपुर जो कि पिछड़ा हुआ है वहाँ पर उन्होंने एक उद्योग लगाने की घोषणा सदन में आज की है । इसके लिये मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री कमला प्रसाद सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी चाहते हैं चाहे, वे छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, कि जनता को लाभ मिल सके, उसके लिये वे हर प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारा जनपद जौनपुर पूरे प्रदेश में वाराणसी डिवीजन में सबसे पिछड़ा हुआ है। हमेशा कभी-न-कभी वहाँ बाढ़ अथवा सूखा पड़ता है। वहाँ पर एक फैक्टरी कताई मिल की दी गई है। मैं चाहता हूँ कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो।

मान्यवर, मैंने इस उद्योग पुस्तिका में देखा जिसमें कहा गया कि उसके लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जमीन अधिग्रहण का कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। वर्षों से वह मिल स्वीकृत है। वहां एक अधिशासी अभियन्ता, एक लिपिक तथा एक चपरासी बैठा रहता है। कार्यशाला पर कताई मिल का बोर्ड भी लग चुका है। 94 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को लेनी है और वह भी निश्चित कर ली गई है। वहाँ 100 फीसदी लोगों ने जिनकी जमीन है, ग्राम समाज की जमीन को छोड़कर सभी ने जिलाधिकारी को लिखकर दे दिया है कि हम अपनी जमीन देने के लिये सहमत हैं। मान्यवर, मुझे पता लगा है कि अधिग्रहण के लिए जो उद्योग विभाग ने फाइल विधायिका विभाग भेजी थी वहां से लिखकर संस्तुति के साथ उद्योग विभाग में आ गयी है। मैं चाहूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाय क्योंकि हमारा जनपद इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पर कोई दूसरा जरिया नहीं है, वहां छोटे मोटे किसान हैं जो खेती करते हैं इसके अलावा कोई उद्योग नहीं है। अगर इस उद्योग का काम जल्दी शुरू हो जायेगा तो वहां की गरीब जनता की रोजी रोटी का सहारा हो जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जो इस देश की प्रधान मंत्री हैं उनके दिल में भी इस बात की पीड़ा है और वह इस बात को चाहती हैं कि प्रत्येक जनपद में छोटे-बड़े उद्योग लगाये जायँ ताकि वहाँ की जनता का कल्याण हो सके। इसी के तहत हमारे माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी ने हमारे जनपद में जाकर जनता के सामने इस बात की घोषणा की थी कि वहां पर कताई मिल हम ही रहे हैं इसके बाद कोई बड़ा उद्योग भी देंगे। इस घोषणा से वहाँ की जनता बहुत खुश है। अगर इस कताई मिल के बाद वहाँ कोई बड़ा उद्योग मिल जायेगा तो निश्चित रूप से वहाँ की 26 लाख जनता खुशहाल होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह फाइल यों ही दौड़ रही है कभी कहा जाता है कि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, कभी 40 परसेंट अधिग्रहण होने की बात कही जाती है कभी 10 परसेंट अधिग्रहण होने की बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे यहां कताई मिल स्वीकृत हुई है, इसमें अधिग्रहण करने के लिए फाइल दौड़ाई जा रही है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसको देखें। मैं जानता हूं कि उनके दिल में चिंता है कि जौनपुर जिला पिछड़ा हुआ है वहां जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय और उसका शिलान्यास करके काम शुरू कर दिया जाय ताकि वहां के लोगों की परेशानी दूर हो सके। वहां पर बहुत से शिक्षित बेरोजगार पड़े हुए हैं तथा और जो भी जिस लायक होगा वहां पर लोग हैं। इसको शुरू कर दिया गया तो उनकी रोटी रोजी का सहारा होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर जौनपुर में यह फैक्ट्री लगाने का काम शुरू कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी से कहूंगा और मुझे भरोसा है कि वह बहुत कर्मठ और लगनशील हैं उनके आदेशों का पालन होगा जैसा हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि उनके आदेशों का पालन नहीं होता वह गलत है। उनके जो आदेश होंगे उनका निश्चितरूप से पालन होगा। मैं चाहूंगा कि वह आदेश देकर उस मिल का शिलान्यास करायें और काम शुरू कर दें। इन शब्दों के साथ जो उद्योग मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका हृदय से समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और जो कटौती का प्रस्ताव उद्योग विभाग के बजट पर रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश की औद्योगिक बनावट को देखता हूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है जहां उद्योगों के साथ नहरें भी हैं, कैनाल भी हैं ट्यूबवेल भी हैं। और उसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वह सूखा है, वहां बेकारी है, भुखमरी है। इस प्रकार जब मैं देखता हूं तो लगता है कि पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है एक तरफ भूखों को कम्बल बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों व उद्योगों की योजना बनाने का काम किया जा रहा है। श्रीमन्, एक नया तजुर्बा इन्होंने निकाला है कि पश्चिम और पूर्वी उ0 प्र0 के मध्य जिले सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली जो सरकारी पार्टी का नैहर है, इसलिये वहां सारे संसाधन सरकार लगा रही है और अपने नैहर को विकसित करने के लिये सरकार तेजी से वहां काम कर रही है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जनता पार्टी की सरकार थी श्री-

मोहनसिंह जानते हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने 100 से ऊपर वस्तुओं को बड़े उद्योगों को बनाने से बाहर निकाल दिया था कि यह वस्तुयें बड़े उद्योगों में नहीं बनायी जायेंगी और उनको छोटे एवं कुटीर उद्योगों से बनाया जायेगा लेकिन उसको इस सरकार ने निरस्त कर दिया जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि टाटा यदि खुरपा बनाने लगेगा तो लोहार का लड़का खाने के बिना रह जायेगा और इसी तरह बाटा यदि जूतों का काम करेगा तो चमार का लड़का मरेगा। इसलिये जो वस्तुयें कुटीर उद्योग में बन सकती हैं उनको बड़े उद्योगों को बनाने से रोकना चाहिये जिससे आम जनता को रोजगार मिल सकेगा और वह ऊंचा उठ सकेगा आपकी जो इच्छा है छोटे लोगों को ऊपर उठाने की वह पूरी हो सकेगी। जैसे साबुन बनाने का काम गांवों में हो सकता है, लिपिस्टिक का काम गांवों में हो सकता है। इसलिये यह चीजें कुटीर उद्योगों में बना सकते हैं और इनको बड़े उद्योगों से निकाल देने की बात पर आपको ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, इंजीनियर जो बेकार हैं उनके बारे में सरकार नियोजित नीति बनाये। मेरा सुझाव है कि जो डिग्री लेकर बेकार हैं और वह यदि उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनकी डिग्री के आधार पर सरकार को ऋण देना चाहिये और बैंकों से चूंकि ऋण लेने में उनको अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ता है और जमानत देने का झंझट रहता है। इसलिये डिग्री, डिप्लोमा के आधार पर 50-60 हजार रुपये जो आप मापदंड बनायें उसके अनुसार उनको ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनायें जिससे बेकार नवजवानों को रोजगार मिल सकें। तीसरी चीज उद्योग लगाने में पूर्व और पश्चिम की बात छोड़कर आपको गरीबी और बेकारी, पिछड़े इलाकों के आधार पर उद्योग लगाने की बात सोचना चाहिये और जितने प्रदेश के जिले हैं जहां बड़े बड़े उद्योग लगे हैं वहां बड़े उद्योग न लगाये जायं चूंकि उनका विकास हो चुका है अतः सारे संसाधन वहां लगाने चाहिये जो आर्थिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हों।

मान्यवर, हमारे जिले में किस तरह नियोजित विकास की श्रृंखला रही है उसको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां रसड़ा में को आपरेटिव चीनी मिल है और उसी के पास एक ही स्थान पर चीनी उद्योग, सूत उद्योग और उद्योग का कांम्प्लेक्स बना दिया जबकि पूर्व में और जगहें थीं जहां अलग-अलग स्थानों पर यह काम किये जा सकते थे, इस तरह क्षेत्रीय विषमता आपने पैदा किया है।

मान्यवर, बलिया जिले में सुरहा ताल है जहाँ जलकुंभी है और वहां जो चीनी मिल हैं उनकी खुइया उपलब्ध होती है, तो जलकुंभी और खुइया से वहां कागज बनाने की मिल स्थापित की जानी चाहिये। और मेरा सुझाव है कि जहाँ कच्चा माल जिस चीज का उपलब्ध हो उससे संबंधित ही वहाँ उद्योग लगाया जाना चाहिये, इसलिये उद्योग लगाते समय ध्यान में रखें कि जिले में जो कच्चा माल उपलब्ध हो उसी के आधार पर वहाँ उद्योग लगायें।

मान्यवर, गोरखपुर में नाइलोन का कारखाना, आप मंत्री हैं, लगा देंगे लेकिन वहां बम्बई और कलकत्ते से कच्चा माल उठायेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ही उद्योग लगाने चाहिये और पूर्वी उ० प्र० में कहां क्या कच्चा माल उपलब्ध है इसका मंत्री जी को सर्वे कराना चाहिये और कहां कौन सा उद्योग इस आधार पर लगा सकते हैं इसका सर्वे कराना चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में उद्योग के संबंध में आपकी कोई नीति नहीं है। मैं इस आधार पर इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपकी जितनी योजनाएं हैं और उद्योग हैं वे सारे के सारे सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली चले जाते हैं, वहीं आप ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि अगर पांच मिनट का समय रख लिया जाए तो सबको अपने अपने क्षेत्र की बात कहने का थोड़ा अवसर मिल जाएगा (व्यवधान) समय बहुत कम है, इसलिए यह मेरा आपसे सुझाव है।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने उद्योग विभाग के बजट पर, माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रेषित बजट पर बोलने का अवसर दिया और कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करती हूं, क्योंकि मैंने उसको शुरू से आखिर तक सुना, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया। केवल एक नालायकी शब्द मेरे कान में बराबर खटकता रहा, लगता है कि उन्हें नालायकी शब्द से ही ज्यादा प्रेम है। यह विभाग प्रदेश को उद्योग की चोटी पर, विकास की चोटी पर पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही परिश्रमी और लगनशील हाथों में विभाग का कार्यभार है।

साथ ही मैं अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने जिले की तरफ से, मंडल की तरफ से राज्य सरकार को बधाई देना चाहती हूं और केन्द्र की उन नेता को बिना नाम लिए ही उन्हें भी बधाई देना चाहती हूं, जिनके नाम लेने से ही यह लोग कुर्सी पर बैठे हुए कांप जाते हैं। राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर ऊंचे स्वरों में ली गई शपथ को झुठलाने वाले यह लोग ,उनके पहले सिद्धान्त 'सत्य' को झुठलाने वाले ये लोग न मालूम किस अधिकार से बार-बार गांधीवाद का नाम लेते हैं? जबकि अहिंसा का कदम उनके अहिंसा के सिद्धान्त के लिए व्यवहारिक ठोस कदम, विश्व को चकाचौंध करने वाला कदम--"निर्गुट देशों का सम्मेलन" इनको दिल्ली में जवाब दे चुका है। पर पता नहीं 'गांधी' फिल्म का क्षणिक आवेश इनके दिमाग से उतरा नहीं है। हमारे क्षेत्र में जो एरोनाटिक्स काम्पलेक्स है, मुझे उसके बारे में कुछ बातें कहनी हैं। उसके शिलान्यास के पहले यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जिनकी जमीन जा रही है उनको मुआवजा का धन मिल जाए, उनके जीवनयापन की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। इस सबंध में मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन भेंट किया गया है। उस पर जरूर अमल हो जाना चाहिए। ऐसा न हो कि बहुत से परिवार जो जमीन चले जाने के कारण प्रभावी हैं, बेकार हो जाएं और भुखमरी के शिकार हो जाएं तथा शिलान्यास के समय दुखी मन लेकर रहें, यह सब लोग मेरे से मिल चुके हैं और बहुत खुशी से अपनी जमीनें और जायदाद देने को तैयार हैं, लेकिन इनकी जो सही मांगें हैं उनकी पूर्ति कर दी जाए।

परिवार के लोगों को उनकी संख्या के अनुसार और योग्यता के अनुसार नौकरी देने या किसी भी रूप में उन्हें सहायता देने की ओर सरकार का ध्यान अवश्य होना चाहिए।

एक बात और है, जो कि इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन प्रदेश की प्रगति से सम्बन्धित है वह यह है कि इसमें हमारे यहाँ के लोगों को केवल चतुर्थ श्रेणी में क्लर्की में और मजदूरी में रोजगार मिलेगा। इसलिए वहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेन्टर खुलवा दिया जाए, हाथरस में जो पालीटेक्निक सेन्टर है और आगे नहीं है जिसके कारण जो लोग बाहर जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग वहीं पर हो जाए। आज उनका वहीं पर प्रशिक्षण कार्य किया जा सकता है। क्योंकि इस लाईन में जो कार्य करने वाले लोग आयेंगे, जो इंजीनियर आयेंगे, वह बाम्बे और बड़ौदा से आयेंगे। उससे हमारे प्रदेश के लोगों को फायदा नहीं होगा। इसके अलावा हमारे प्रदेश के इन लोगों को जो बाहर गये हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वहाँ नियुक्त किया जाए। जो लोग मजबूरी में बाहर गये हुए हैं, उनको उनकी इच्छानुसार बुलवा लिया जाय। मान्यवर, मुझको यही कहना है कि मैं किन शब्दों में बार-बार बधाई दूं और किन शब्दों में अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से बधाई दूं कि जिन्होंने एक कृषि प्रधान क्षेत्र को, इतने औद्योगीकरण के दृष्टिकोण से सोचा और वहाँ के लिए इतना बड़ा कार्य किया और इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के लिए मैं आभारी हूँ। मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं, कि गलत आंकड़े हैं, मान्यवर, मैं कहती हूँ कि अगर गलत आंकड़े हैं, तो माननीय नेता विरोधी दल से मैं आग्रह करती हूँ कि वहाँ पर वह जाकर देख लें, मान्यवर, वह आंखों से देखें कि आंकड़े कितने सही हैं या गलत? मान्यवर, इन्होंने अपनी सरकार में कौन-सी एक खिड़की खोल दी थी, जहां पर एक ही खिड़की से उद्योग मिलता था, बिजली भी मिलती थी, पानी भी मिलता था और सीमेंट भी एक ही खिड़की से मिलता था। मान्यवर, यह अलग-अलग विभाग हैं।

मान्यवर, यह तो बड़े व्यक्तित्व की बात है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया इस सदन में कि वे अपनी कार्यप्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। मान्यवर, जो उठना चाहता है, वही इस तरह की असंतुष्टि जाहिर करके अपनी क्षमता को प्रकट करता है। इसलिए मैं मान्यवर, उनकी इस भावना का सम्मान करती हूँ। मान्यवर, जो कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, उससे जनता लाभान्वित होगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूँ और साथ ही यह कहती हूँ कि वह ऐसे कुछ सुझाव दिया करें, जिससे कि इस सत्ता पक्ष को कुछ हासिल हो। मान्यवर, अन्त में मैं इन शब्दों के साथ माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करती हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं सदस्यों की राय से सहमत हूँ कि सरकार की उद्योग लगाने की जो नीति है उसका आधार-क्षेत्र का पिछड़ापन नहीं है बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ एवं प्रभाव है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं कांग्रेस में आ जाऊँ ? मान्यवर, मैं अपने दल का अकेला व्यक्ति हूं, मुझे अभी तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मान्यवर मैं क्या कांग्रेस में आ जाऊं ? तब मुझे बोलने का अवसर दिया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--

आप कहीं पर भी बैठें, आपको मौका मिलेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, केन्द्र की सूची में चमोली एवं पौड़ी टेहरी, उत्तर काशी के जो जिले हैं औद्योगिक दृष्टि से सब पिछड़े जिले हैं किन्तु वहां पर कोई भी उद्योग नहीं स्थापित किया गया है और न प्रस्तावित है। मैं सरकार को इसलिए बधाई दूं कि कुमायूं में उन्होंने उद्योग लगाया है। मान्यवर, किसी क्षेत्र में जब उद्योग लगता है, तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को एक आशा लगती है कि उनको वहाँ पर नौकरी मिलेगी। मान्यवर, कुमायूं में फोटो फिल्म उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ पर सरकार ने किसी भी आदमी को ट्रेंड नहीं किया, न वहाँ पर पोलिटेक्निक और न आई0 टी0 आई0 में कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है, कि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती, ताकि वहां के लड़के ट्रेनिंग करके उस उद्योग में नौकरी पाते। मान्यवर, वहाँ के लड़कों को निराशा का सामना करना पड़ेगा।

मेरा अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हैं तो वहां यह व्यवस्था कर दें कि उस क्षेत्र के लोगों को उस उद्योग के अनुसार आई0 टी0 आई0 और पालीटेक्निक में इस प्रकार की ट्रेनिंग मिल जानी चाहिये। मान्यवर, पहाड़ के मामलों में पर्वतीय क्षेत्र के मामले में मेरा एक सुझाव है। वहां पर पर्यटक बहुत जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, मसूरी बहुत से पर्यटक जाते हैं, यात्री जाते हैं, सैलानी जाते हैं और पर्वतारोही भी जाते हैं। वहां पर होटल व्यवसाय की गुंजाइश है। परंतु खेद की बात है कि केन्द्र सरकार ने तो होटल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने होटल को उद्योग का दर्जा नहीं दिया है। इसलिये पिछड़े जिलों में उद्योगों को दी जाने वाली सुविधायें होटल व्यवसाय को नहीं मिल रही हैं। उद्योगों के लिये मोटा ऋण जिला उद्योग केन्द्र से मिल जाता है परंतु होटल व्यवसाय के लिये ऋण लेने के लिये वित्तीय संस्थाओं के पास जाना पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि वहां पर होटल को उद्योग का दर्जा दिया जाय। एक बात और है जिसके संबंध में वहां पर दिक्कत आ रही है। शहरी इलाकों में, बाजारों में लोगों ने सड़क के किनारे की जमीन लीज पर ले रखी है। वित्तीय संस्थायें कहती हैं कि लीज की जमीन पर हम ऋण नहीं देंगे, जब कि वहां पर परपीचुअल लीज है। मैं अनुरोध करूँगा कि लीज वाली जमीन पर होटल या उद्योगों के लिये ऋण देने की व्यवस्था करें। मान्यवर, कुछ वर्ष पहले वहां पर ऋण लेकर लोगों ने वनों पर आधारित उद्योगों को लगाया था लेकिन वर्तमान समय में वन संरक्षण अधिनियम की वजह से वनों के कटान पर रोक लग गयी है। इस वजह से उद्योगपतियों को उद्योगों को चलाने के लिये कच्चा माल नहीं मिलता

है। लोगों ने ऋण लेकर उद्योग लगाये हैं लेकिन सरकार की नीति के कारण कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि सरकार को चाहिये कि या तो उनको मुआवजा दे या उनके उद्योगों को अधिकृत मानकर उनका अधिग्रहण कर ले। हमारे यहां कोट्द्वार में इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिये बल्लभद्रपुर में जमीन ली गयी। लेकिन वर्षों बीत गये हैं अभी इंडस्ट्रियल इस्टेट नहीं बनी है और जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी थी उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाय। मान्यवर, पहाड़ों में सीमेंट के छोटे-छोटे कारखाने लग सकते हैं। इलेक्ट्रानिक्स के कारखाने, जड़ी बूटियों पर आधारित उद्योग लग सकते हैं। फलों के जूस बनाने के कारखाने लग सकते हैं। परंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण कराकर इस ओर ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

श्री प्रियदर्शी तेतली--

अधिष्ठाता महोदय, आपके निगाहे करम के लिये आपका शुक्रिया। इसी सदन में हमारे माननीय सदस्य मोहन सिंह ने.....

श्री विशन लाल---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कल भी 20 दफे खड़ा हुआ था और आज भी कई दफे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपने मौका नहीं दिया। मैं बीमार आदमी हूँ कुछ मुझे भी कहने की इजाजत दी जाय। मेरा नाम विशन लाल है, नगीने से प्रतिनिधि हूं।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्यों को 5, 5 मिनट बुलवाने की बात है।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे माननीय मोहन सिंह जी ने इसी सम्मानित सदन में सिंचाई के बजट पर बोलते हुए कहा था कि माननीय मंत्री जी न तो वीर हैं, न बहादुर हैं, न सिंह हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि वे सिंह तो हैं ही, वीर भी हैं और बहादुर भी हैं। और हमारे राज्य मंत्री गरीब परवर हैं, जिल्ले इलाही हैं, जिल्ले सुभानी भी और नारे सिरहरा भी हैं। मान्यवर, मैं यह समझता हूँ कि इस देश की अर्थ व्यवस्था जो अब तक कृषि पर आधारित थी, अगर इसको उद्योग पर आधारित अब नहीं किया गया, तो इस देश की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए खेत, इस देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा देंगी।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, उद्योग विभाग इस देश के भविष्य बनाने के लिए एक अहम विभाग है, जिसमें जितना भी काम किया जाय, वह कम होगा। मान्यवर, हमारे विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने निराशावादी विचार रखे हैं। चूंकि उनका जीवन निराशावाद में ही गुजरा है जो वे स्वयं नहीं कर सके हैं वे दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे, यह इनका विचार है, जिसको इन लोगों ने व्यक्त किया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ आपके इस उत्तर प्रदेश में 1979-80 में जहाँ 275 औद्योगिक इकाइयाँ थीं, वहीं 1981-82 के अन्त तक 12685 इकाइयाँ हो गयी हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम्पोजिट योजना में 1981-82 दिसम्बर तक 1593 इकाइयों की स्थापना की गयी, 31 मार्च, 1982 तक 2742 बुनकरों को 137.71 लाख रुपया दिया गया। मान्यवर, इसके बाद भी इनको अगर अंधेरा ही अंधेरा नजर आये तो क्या कहें, ये जन्मान्ध हैं इनका क्या इलाज है।

मान्यवर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, अपने मंत्री जी से कि आपकी जो पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें जो लेरित औद्योगिक विकास प्राप्त है, उसमें आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया, उसमें आपने फैजाबाद को काट दिया। फैजाबाद रामनगरी है, उद्योग का केन्द्र रहा है, लाखों इन्सान वहां देश-विदेश से जाते हैं, लेकिन आपने उसका नाम ही उड़ा दिया, यह आपने क्या अन्याय कर दिया है इसको फिर से जोड़ने की कृपा करें। मान्यवर अब मैं गरीब परवर, जिल्ले इल्लाही, जिल्ले सुमानी, वालियान मुल्क, नारे सिरारा राज्य मंत्री जी से, जो बुनकर बिरादरी से आते हैं, कहना चाहता हूँ कि अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, भूलेपुर, मुंडेरा, इल्फातगंज यह बुनकरों के मुख्य केन्द्र हैं। अकबरपुर में जो कताई मिल लगी थी, उस मिल की स्थापना स्ट्रेपुल बनाने के लिए हुई थी, वहां स्ट्रेपुल बनी भी है, इसीलिए मशीनों में आवश्यक परिवर्तन भी किया जा चुका है, लेकिन आज वहां के बुनकर जो उस मिल के बगल से गुजरते हैं, तो बड़ी हसरत भरी निगाह से यह सोचते हैं कि वह दिन कब आयेगा जब फिर यह इस मिल में स्ट्रेपुल बनना शुरू होगा।

इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यान से दरख्वास्त है कि उसमें जल्द से जल्द स्ट्रेपूल का उत्पादन शुरू करा दें, जो उन बुनकर की मुस्तकबिल, किस्मत को बदल देंगे। दूसरी बात मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि फैजाबाद उद्योग विभाग में बहुत गड़बड़ी है, किस स्तर पर है, मैं यहाँ नहीं छेड़ना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से कह भी चुका हूँ, उसमें जरा देखें, कहीं ऐसा न हो कि उनके हिस्से मनवा सलवा और मेरे हिस्से दर का जलवा हो जाये। यह आपके समय में भी हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्पिनिंग मिल्स अर्थात् यू0 पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन में बड़ी गड़बड़ी है, उनकी तमाम समस्याओं पर विचार के लिए, उनके समाधान के लिए, एक राउंड टेबिल कांफ्रेंस बुलाने की कृपा करें, क्योंकि मैं उन समस्याओं को यहां नहीं रख रहा हूँ, समस्यायें गम्भीर हैं जिससे कि श्रमिकों में बड़ा ही असन्तोष है। अकबरपुर में बुनकरों के लिए, जैसा कि मैं माननीय मंत्री जी से कह भी चुका हूँ, उनके जो केमिकल्स, तथा जो अन्य चीजों का इस्तेमाल होता है, उनको वहाँ पर शुरू करवायें, उसके लिए वहां एक काम्पलेक्स तैयार करवायें, जिसके माध्यम से वह तमाम चीजों को, जो वे कलकत्ता, दिल्ली से मंगवाते हैं, उनको बनाकर इस्तेमाल कर सकें इससे उन्हें यह चीजें कम कीमतों

पर मिल सकेगी और इससे बेरोजगारों को रोजी भी मिल सके, ये आप अकबरपुर में स्थापित करने की कृपा करें। मैं समझता हूँ इससे स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं धन्यवाद देते हुए विरोध पक्ष से कहना चाहता हूँ कि

नाव बढ़ती जाती है गो की मौजे
दरिया कम नहीं, हम को फिक्रे आबरू है
डूबने का गम नहीं

इन अल्फाज के साथ माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूँ।

(श्री दलगंजनसिंह अपने गले में एक बोर्ड लटका कर अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप इस प्रकार का पट लगाकर सदन में न आयें। जब आपका नम्बर आयेगा, बुलवाऊंगा। आप इसको उतार लें।

(व्यवधान)

आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

दादा खाज की दवा बेंच रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसे आप उतार लें।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

यह किस कम्पनी की दवा बेचते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसको उतार लें।

श्री दलगंजनसिंह--

मैंने अपनी भावना से सदन को.....

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सुन लिया आप इसको उतार दें।

(मा0 सदस्य ने उस पट को गले से उतार लिया)

एक सदस्य—

इनका उद्देश्य अखबार में नाम प्रकाशित कराना है वह पूरा हो गया।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् उद्योग के ऊपर हमारे देश की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। 3 तरह के उद्योग हमारे यहाँ हैं। हैवी उद्योग, स्माल स्केल इन्डस्ट्री और कुटीर उद्योग। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्री जी को आपके द्वारा यह बतला दूं कि जो हैवी इन्डस्ट्री से मुतालिक लोग हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि इस प्रकार के पटों का प्रदर्शन न करें और इसे बाहर ले जायँ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह कह रहा था कि बड़े-बड़े घराने जो हैवी इन्डस्ट्री में ताल्लुक रखते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है। टाटा इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। 1951 में उसके एसेट्स 100 करोड़ के थे और इस वक्त 1980 में वह बढ़कर 1 हजार 530-97 करोड़ हो गया। बिड़ला का सन् 64 में 292-92 करोड़ था जो बढ़कर 1,431-99 करोड़ हो गया। इसके साथ ही जो हमारी मल्टी नेशनल कम्पनियाँ हैं अशोका ली लैन्ड यू0 के0 की और ब्रुकबाण्ड। अशोका ली लैन्ड की सन् 64 में 10-65 करोड़ था और अब 1980-81 में वह बढ़कर 236-33 करोड़ हो गया। ब्रुकबाण्ड का जो यू0 के0 की है सन् 64 में था 14-68 करोड़ और अब बढ़कर 80-81 में हो गया 75-41 करोड़। इसलिये मैं कह रहा हूँ कि उद्योग के जरिये से हमारे प्रदेश में जो कृषि से सम्बन्ध रखते हैं। आपके आंकड़े अनुसार 87 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं यह गरीबी रेखा के नीचे क्यों है इसलिये कि हमारे यहाँ जो कृषि का पेशा करते हैं उन लोगों के पास कोई दूसरा आमदनी का जरिया नहीं है। इस वक्त केवल कृषि की आमदनी पर कोई आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। जब तक कोई साइड इन्डस्ट्री न हो चाहे कुटीर उद्योग ही हो।

श्रीमन् हमारे प्रदेश में देहात में 87 प्रतिशत लोग बिलो पावरटी लाइन हैं। आपने खुद कहा है कि जो 77 हजार स्माल स्केल यूनिट्स हैं उनमें अधिकतर सिक हैं। यह सिक क्यों हैं? यह इसलिये हैं कि उनको भिन्न-भिन्न विभागों से जो सहायता मिलती है उनमें आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। बैंक से लोन लेने का विभाग अलग है, चीजों की सप्लायी का अलग है, बिजली की सप्लायी का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, अब अगर किसी को कोई उद्योग स्थापित करना है तो उसे कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर रुपया मिल गया तो बिल्डिंग बनवाने के लिये मैटीरियल नहीं मिला, बिल्डिंग बन गयी तो बिजली नहीं मिली, माल अगर बन गया तो उसके लिये मार्केट की सुविधा नहीं मिली। चूंकि हर विभाग का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है इसलिये यह आपकी अधिकतर यूनिट्स सिक पड़ी हुई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब जानते हैं कि जब कारखाने लगेंगे तो जो बुनकर भाई हैं उनमें बेरोजगारी फैलेगी। कुटीर उद्योगों को राहत देने के लिये आपने यह निर्णय लिया है कि जो कर्जा सरकार ने दिया है उस पर उनसे इन्टरेस्ट और पेनल इन्टरेस्ट नहीं लिया जायेगा। आपने उसे माफ किया इसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। पर जिस वक्त लोगों को यह लोन दिया गया उस समय उनको यह नहीं बताया गया कि यह उनको लोन दिया जा रहा है और उनको उसे वापस भी करना है। उस समय बहुत से बुनकर भाइयों ने यह समझ कर कि यह हमें सरकार से मदद मिल रही है उसको ले लिया। उन्होंने समझा कि इसको वापस नहीं करना होगा। अब जब बाद को रिकवरी का सवाल हुआ, तब उनको पता चला कि वह लोन है। जिस चीज के लिये उस वक्त उन्होंने वह लिया उसमें उसको लगाया ही नहीं, वह चीज उन्होंने स्थापित ही नहीं की। इसलिये उनसे इन्टरेस्ट और पेनल इन्टरेस्ट लेना शुरू हो गया। ...मेरा सुझाव है कि आप उसको माफ करें, एग्रो बेस इण्डस्ट्री जब तक हम कायम नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जो आप पेमेन्ट करते हैं, स्ट्रिपिल देते हैं, बुनकर भाइयों को न तो अच्छा सूत मिलता है न अच्छी क्वालिटी का, नतीजा यह है कि.....

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं खतम कर रहा हूँ। पीतल नगरी, चूंकि बड़ी इम्पार्टेन्ट चीज है, लेकिन आज परसों तक की हालत, कल क्या डेवलेपमेन्ट हो गया, नहीं मालूम लेकिन, केवल जमीन एक्वायर की जा रही है और जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं उसमें अन अथाराइज्ड कान्स्ट्रक्शन होता जा रहा है, उसमें मुकदमे बाजी होगी क्योंकि शहरों के पास की जमीन है, और जो 20 प्रतिशत जमा करने की बात करते हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रियासत हुसैन—

कोयले का मामला है, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को देते हैं? उन इण्डस्ट्रीज को देते हैं जो इस्तेमाल नहीं करते और वही कोयला ब्लैक में भट्टों में चला जाता है, फिर कीमत बढ़ा दी जाती है। इसलिए जिस इण्डस्ट्रीज में जरूरत हो वहीं आप को देने की जरूरत है।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

जो बजट मंत्री जी ने रखा है, उसके समर्थन में खड़ी हूँ। उद्योग के रास्ते में सरकार की प्रगति जरूर है, हर दिमाग वाला इसको कहेगा। प्रदेश के पिछड़े जिलों में औद्योगिक प्रगति के अभाव के कारण पिछड़ापन जरूर है। कृषि और उद्योग दोनों में मंत्री जी ने कहा रिश्ता है, कृषि उत्पादन से हम लोग कुछ इण्डस्ट्रीज यहाँ शुरू कर सकते हैं, उद्योग

को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका एक उदाहरण बस्ती को ही ले लें। वहाँ 5 चीनी मिलें हैं, लेकिन अब तक केवल गन्ने से चीनी बनायी जाती हैं, और उसकी खोई और मैला जला दी जाती है, मैं कहना चाहूँगी कि उस चीनी मिल की खोइया का इस्तेमाल कागज, अखबारी कागज का कारखाना शुरू करने की एक पद्धति रखें अपने मन में। मा0 उद्योग मन्त्री दयालु हैं, दिमागी हैं, बस्ती जिले का जरूर ध्यान देते हैं लेकिन कागज का कारखाना आप शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत काम मिलेगा, हम लोग प्रोडक्शन भी बढ़ायेंगे और विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी।

अब जब नई इण्डस्ट्रीज के लिए कुछ सोचेंगे तो कुछ पुरानी बात भी कहूँगी कि हमारे यहाँ 50 आदमी कार्य कर रहे हैं यू0 पी0 पाट्रीज में। मंत्री जी जानते हैं, वह दो साल से बन्द पड़ी है। 49 प्रतिशत शेयर प्राइवेट होल्डर्स और 51 प्रतिशत सरकार के हैं। तो मैं मा0 उद्योग मन्त्री जी से अनुरोध करूँगी कि इन लोगों के झगड़े निपटायें लेकिन 50 परिवारों को भुखमरी से बचावें। बस्ती में स्वर्गीय के0 डी0 मालवीय जी की मेहनत से प्लास्टिक काम्प्लेक्स शुरू हुआ। कच्चा माल नहीं है लेकिन उद्योग मंत्री जी ने परसों कहा है और हम को आशा दिया है कि उस को ले कर चलायेंगे, मैं इससे बहुत खुश हूँ, सरकार की आभारी हूँ, बस्ती की जनता बहुत आभारी है। हमारे यहाँ प्लास्टिक काम्प्लेक्स में कच्चा माल देना शुरू कर दें और बिजली भी देंगे और भी छोटी-छोटी मांगों को पूरा करेंगे।

बस्ती जिले में पिछड़ापन आज भी है। इसको दूर करने के लिए व्यापक रूप से कुटीर उद्योग को स्थापित करें और उससे हमारा कुछ तो पिछड़ापन दूर हो जायेगा और कुछ गरीबी भी दूर हो जायेगी। धान का उद्योग, सुतली का उद्योग भी स्थापित करें। कच्चा माल है लेकिन उस छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए हमको टेक्निकल नालेज भी दीजिये, उसका भी इंतजाम करें और उसके लिए जो जो सामान बनाते हैं, उसकी मार्केट, बाजार भी सरकार ढूंढ़ कर दे। मगहर में एक सूती मिल बनाये बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन बस्ती के लोगों को उसके अन्दर घुसने का मौका नहीं मिला। उसका कारण है कि हमारे पास टेकनिकल प्रशिक्षण नहीं रहता। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगी कि पहले हम लोगों को उसमें लें। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि लेदर काम्प्लेक्स (Complex) शुरू करने के लिये उन्होंने कहा, मुझे खुशी है। पहले प्रशिक्षण के लिये बाम्बे, कलकत्ता, कानपुर कहीं भेज दें। प्रशिक्षण मिलने के बाद उसी में भर्ती कर लें। ताकि बस्ती की जनता की बेकारी तथा गरीबी दूर हो जाय। धन्यवाद।

*श्री रामस्वरूप निम––

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी अपनी नीति और नियत को अगर एक कर लें तो हो सकता है कि इस विभाग का कुछ कल्याण हो जाये। इनकी नीति और नियत में फर्क है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं जिसकी वजह से प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ता चला जा रहा है। अभी रियासत हुसैन जी आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने यह साबित किया कि यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है। करोड़ों रुपये एलेक्शन के लिये इकट्ठा किया, उन्हें लाइसेन्स दिये।

लघु उद्योग की बात करते हैं। उद्यमी इनके पास तक भटकने की कोशिश ही नहीं करते। इन्डस्ट्रीज के बारे में लोगों का मत है कि अगर मकान बना लेगें तो बिजली नहीं मिलेगी, बिजली मिल जायेगी तो पानी नहीं, पानी मिलेगा तो कोयला नहीं। कोई न कोई चीज रह जरूर जायेगी। इस वजह से उद्योग चला नहीं पाते। लाइसेन्स उन्हीं को दिये जाते हैं जो पैसा खर्च करता है, अधिकारियों को खुश करता है। उसे बिजली, पानी लाइसेन्स, रा-मेटीरियल हर चीज मुहैया हो जाती है। कैसे उम्मीद की जाये कि कुटीर उद्योग को इस प्रदेश में मुहैया करा पायेगें।

जिला सहारनपुर के अन्दर लकड़ी का अच्छा काम होता है। विदेशों तक लकड़ी की बनी हुई सामान भेजी जाती है। नगरपालिका सहारनपुर ने लकड़ी का काम करने वालों के लिये कोई भी प्लान नहीं बनाया कि जो लोग यह काम करते हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिस हालत में वह लोग रहते हैं। पानी भरा रहता है, गन्दगी रहती है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेन्स देती है। प्रदेश की जनता का हित नहीं चाहती। मेरे क्षेत्र में एक डिस्टिलरी है। उसका गन्दा पानी निकलता है, प्रदूषण होता है, उस एरिया का पानी खराब हो गया है, पानी पीने के बाद जनता बीमार हो जाती है, इस पर भी मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी। डिस्टिलरी ने नाले को निकालने की परमीशन मांगी जिससे गन्दे पानी को नदी में डालकर बाहर कर सकें। आजतक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। पूरे क्षेत्र के सारे इलाके को खराब कर दिया जिससे वहां का पानी नहीं पिया जा सकता।

मान्यवर, ठीक यही स्थिति सहारनपुर से 4-5 किलोमीटर दूर फारमोसा डेरी की है और वहाँ सड़क पर गन्दा पानी है। यह मेन रोड है जो सहारनपुर, देहरादून तथा हरिद्वार को जाती है। इस गन्दे पानी की वजह से वहाँ के नलों व ट्यूबवेलों का पानी भी खराब हो गया है और उस पानी को पीने से बीमारियाँ बढ़ने लगी है लेकिन माननीय मंत्रीजी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। हम इण्डस्ट्रीज खोलना चाहते हैं ठीक है आप खोलें। जहाँ तक माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है यहाँ कि जितनी इण्डस्ट्रीज हैं वे सब कृषि पर आधारित हैं। चाहे वह तेल पिराई का काम हो, चाहे तिलहन का काम हो और चाहे दलहन का काम हो।

मान्यवर, सहारनपुर में गन्ना बहुत पैदा होता है वहाँ एल्कोहल, शीरा और गत्ता का काम होता है लेकिन इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई भी नीति नहीं बताई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता

हूँ कि यदि वे इस प्रदेश का भला करना चाहते हैं तो एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाये। जैसे सहारनपुर में 15 आदमियों को फैक्टरियाँ चलानी है, लोन दिलवाना है तो इस तरह से एक समय के अन्दर उनको लोन मिल जाय और वह फैक्ट्री चालू हो जाय। और यदि किसी कारणवश वह फैक्ट्री चालू नहीं होती है तो जो अधिकारी या विभाग दोषी हो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। तभी आपका यह कदम निश्चित रूप से कारगर होगा और इण्डस्ट्रीज के बारे में जो आपका उद्देश्य है वह कुछ कारगर सिद्ध होगा।

श्री विशन लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। यह ऋषि भूमि है। जहाँ पर भरत जी ने जन्म लिया है। और जिस जन्मस्थली के नाम से इस सारे हिन्दुस्तान का नाम पड़ा है। श्री तेज-बहादुर सप्रू तथा श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम जी ने वहाँ जन्म लिया है और जिन्होंने स्वतत्रता संग्राम में काफी भूमिका अदा की है। वैसे तो मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ लेकिन उनकी निगाह उस जिले की तरफ नहीं जाती है। आज मेरे जिले में एक भी इण्डस्ट्री नहीं है। सिर्फ एक सूती मिल है जो ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर रही है।

मान्यवर, नगीना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रा-मेटीरियल काफी होता है पेपर मिल सहारनपुर को रा-मेटीरियल वहाँ से जाता है बिमको बरेली को वहाँ से रा-मेटीरियल जाता है लेकिन बिजनौर में अभी तक कोई भी इण्डस्ट्री नहीं लगायी गयी है न पेपर न माचिस की माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े अफसोस के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे कोई-न-कोई इण्डस्ट्री हमारे क्षेत्र नगीना में, जिस क्षेत्र को मैं रिप्रिजेन्ट करता हूँ, लगायें। इसी के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आपके सामने हैं, इस डिपार्टमेंट में भी करोड़ों रुपये खर्च होता है। खादी कमीशन भी देता है। अभी हाल ही में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो गया है मैं चाहता हूँ कि इसका पुनर्नगठन किया जाय। खादी बोर्ड इस समय 17 साल से चल रहा है और सरकार का भी करोड़ों रुपया खर्चा होता है लेकिन वे इकाईयां कागजों पर ही रह जाती हैं, जिन लोगों की सेवा में ये बनायी गयी थीं। स्वर्गीय श्री गाँधी जी की स्कीम थी, यह उन लोगों के लिये हो जो मजदूर लोग हैं उन लोगों को दिया जाय जिनसे उन लोगों की आमदनी बढ़ जाय। लेकिन देखा यह जाता है कि खादी बोर्ड के जरिये जो कुटीर उद्योग लगाये जाते हैं वे बिलकुल निरे कागज पर रह जाते हैं। इसके अंदर आपकी कोई भी रुचि नजर नहीं पड़ रही है।

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस बोर्ड को रिवाइज्ड किया जाय ताकि यहाँ जो छोटी-छोटी चीजें बनती हैं जिससे किसानों और मजदूरों को लाभ होगा तथा उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, जब आप अपनी योजना को धरती पर उतारेंगे। अभी तक इसमें एक बात और है कि जो सीमेण्ट का, कोयले का और लोहे वगैरह का काम होता है इसका कोटा अलग फिक्स किया जाय और इसके जरिये से जो उत्पादन होता है उसका बिक्री केन्द्र भी हर

जिले में होना चाहिये। हर जिले में कमेटी होनी चाहिये जिसके जरिये से रुपये का वितरण हो। इसकी देखभाल के लिये काम किया जाय हमारे लखनऊ केन्द्र के अन्दर 200 अथवा 250 आदमी हैं, जहां कि मैं समझता हूँ कि 100 आदमियों का काम है, बाकी सब बेकार पड़े हुए हैं। जिलों की हालत यह है कि वहां पर केवल दो अधिकारी हैं एक ग्राम उद्योग अधिकारी और एक ए0 डी0 ओ0, वे सारे जिले का काम करते हैं। मेरी मांग है कि जिले के अन्दर पूरा स्टाफ दिया जाय। इस इण्डस्ट्री डिपार्टमेण्ट के अन्दर भी केवल 4 प्रतिशत का सूद है। लोगों ने व्यवसाय बना लिया है कि रुपया लेकर बैंक में जमा किया जाय और 9 प्रतिशत का सूद लिया जाय और उसके कमीशन से घर का काम करें। इस पर आपके अधिकारियों की यह रिपोर्ट है कि काम सुचारु रूप से चल रहा है। इसके साथ ही मैं मा0 मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

दोहरी व्यवस्था से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जितने भी बड़े उद्योग मुल्क में आजादी के बाद लगे, उसकी वजह से सारे छोटे उद्योग समाप्त हो गये हैं, और जो कुछ बकाया है वे भी समाप्ति की हालत में हैं क्योंकि बड़े उद्योगों में बड़े यन्त्र लगते हैं और आधुनिक यन्त्र लगते हैं, उसमें बहुत कम आदमी काम करते हैं। उससे उत्पादन ज्यादा होता है और माल साफ होता है, लेकिन कुटीर उद्योग में न तो उतना उत्पादन होता है और न उतनी सफाई होती है और न उनका माल बाजार में अच्छे भाव से बिकता ही है। इसी कारण हमारे सारे गृह उद्योग चौपट हैं।

पर्वतीय अंचल में खनिज भण्डार बहुत हैं लेकिन उनका लाइसेंस पूना, कलकत्ता और कानपुर के उद्योगपतियों को मिलता है। जैसा कि मा0 सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी सुझाव दिया सरकार को, इस बात को सभी मानते हैं कि जहाँ पर कच्चा माल पैदा होता है वहीं पर फैक्ट्री लगानी चाहिये, लेकिन हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। हमारे यहां जो खनिज हैं, खड़िया है मैग्नेसाइट है, इसके उद्योग बाहर फैले हुए हैं। पर्वतीय अंचल में खड़िया के उद्योग का लाइसेंस वहीं के लोगों को दें और पक्का माल बनाने के लिये उद्योग वहीं पर लगायें। वहां पर एक कुमार ब्रांज फैक्ट्री थी रानीखेत में, जिसमें 500 आदमियों को रोजगार मिलना था। उद्योगपति कुमार फैक्ट्री वाले ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया बैंकों से और सरकार से कुल मिलाकर पौने दो करोड़ रु0 लगाया फैक्ट्री पर और उसके बाद भाग गया। जब मजदूरों ने कहा कि फैक्ट्री को चालू करिये और आन्दो-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लन किया तो सरकार ने मजदूरों पर ही डंडों का प्रहार किया और उनको जेल में बन्द कर दिया। जहां आप उद्योग खोलने की बात कहते हैं वहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि एक तो वह कारखाना बन्द न हो और दूसरे जो मजदूर हैं उनको बराबर रोजगार मिले। तो इस बात का माननीय मंत्री जी ध्यान रखें दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ पर्वतीय क्षेत्र में एक बाँस का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से टसर का उद्योग पनपता है, इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए ध्यान दिया जाए। दूसरे पर्वतीय क्षेत्र में चाय और काफी के बागान अंग्रेजों के जमाने में लगाये थे, परन्तु इस ओर भी अब बड़ी सरकार की ओर से उपेक्षा हो रही है, मान्यवर इस ओर भी ध्यान दिया जाए, इससे विदेश से काफी मात्रा में धान प्राप्त होता है, इसलिए इस उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री श्रीनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज की इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी का बजट हर दृष्टि से सराहनीय है। मैं जिस वाराणसी जनपद से आता हूँ उसी जनपद की बात करना चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह चिरई गांव है। जहाँ पर जरी का उद्योग होता है, यह एक ऐसा उद्योग है जिससे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का एक दिन अवश्य ताल्लुक पड़ता है। यह कार्य मान्यवर, रेशम से ताल्लुक रखता है। बनारस अपने जिन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें बनारस की साड़ी का नाम भी आता है। सन् 1981-82 में रेशम में बड़ी क्राईसिस आयी थी। इसका कच्चा माल बनारस में नहीं होता है, उस समय वहाँ पर उपलब्ध भी नहीं था इसलिए माननीय मंत्री जी के प्रयास से विदेशों से प्राप्त कर लिया गया था और इस प्रकार इस बड़ी समस्या से छुटकारा बनारस के कारीगर लोग पाये थे।

मान्यवर, इसका कच्चा माल बंगलौर से प्राप्त होता है, जिससे यह पूरा उद्योग कर्नाटक पर आश्रित है हो सकता है भविष्य में वह इसे उपलब्ध न करा सके, इसलिए आपसे अनुरोध करूँगा कि इस ओर हमें आत्म-निर्भर होने के लिए अपने यहाँ इसकी व्यवस्था अवश्य करनी पड़ेगी। वैसे देहरादून में इसकी एक फैक्ट्री है, जो यहाँ की मांग का 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाती है, अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इसकी व्यवस्था यहाँ पर कराएं। सहतूत के पेड़ अधिक से अधिक लगवाएं जाएं और उसकी पत्तियों में कीट पाले जाएं, जिससे अधिक से अधिक रेशम प्राप्त हो सके। दूसरा उद्योग है पीतल तांबे का मुरादाबाद में इसकी एक ब्रास उद्योग के लिए एक ब्रास वेयर कारपोरेशन खोली गयी है, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि बनारस भी मुरादाबाद से कम प्रसिद्ध नहीं है इस कार्य में, इसलिए यहाँ पर भी एक ब्रास वेयर कारपोरेशन खोला जाए तीसरा उद्योग मान्यवर, जो दुनिया में प्रसिद्ध है कारपेट का बिजनेस भदोही करीब 100 करोड़ की पूंजी का निर्यात यह करता है। लेकिन इन दिनों इसमें कुछ रुकम्प आ गया है इसके माल को निर्यात कराने में जो परेशानी है कि विदेशों में जो यह सप्लाई की जाती हैं वह उस सेम्पुल के अनुसार कारपेट सप्लाई नहीं हो पाती हैं जिसके कारण विदेश में दुबारा इनको नहीं छुड़ाया जाता है और वे वहीं पड़ी रह जाती हैं जिसके कारण देश का पैसा बरबाद हो जाता है और इस तरह से बैंक-भार बढ़ता है।

बनारस में हथकरघा का भी बहुत बड़ा काम होता है। हथकरघा का माल जिसमें तरह तरह के कपड़े हैं जैसे बेडशीट और तौलिया जो हथकरघा से बनती है उसकी डिमाण्ड बहुत ज्यादा है मिलों के कपड़े के मुकाबिले में सस्ती आकर्षक एवं टिकाऊ होती हैं। इस उद्योग में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। उनकी सुविधा के लिये हमारा विभाग भी लगा हुआ है लेकिन उन्हें जितनी सुविधायें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही हैं।

हम जब कारपेट की बात कर रहे थे उसके संबंध में मुझे यह भी कहना है कि भदोही में ऊलन मिल है। जिससे फाईबर कच्चा माल तैयार होता है उसमें जो मैनेजर श्रीवास्तव है वह डेढ़ साल से वहां पर है वह अनेकानेक घपले कर रहा है। जो मान्यता प्राप्त डीलर हैं उनको वह समान न देकर जो लोग उद्योग में लगे नहीं हैं उन लोगों को वह माल देता है। इसलिये वहां लगभग 7 लाख रुपए का घपला हुआ है। कर्मचारियों में असन्तोष भी है इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री दलगंजन सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ऐसा है कि बजट में प्रत्येक सदस्य को भाग लेने का अधिकार है और यह नियमावली जो कि सदन के संचालन में मार्ग-दर्शन करती है उसके अनुसार भी सदस्य का संवैधानिक अधिकार है कि प्रत्येक सदस्य बजट पर बोल सकता है और अपने क्षेत्र की समस्या को यहां बतला सकता है। इतने दिन बजट सत्र के चलते हुए हो गये परन्तु आज मैं पहली बार खड़ा हुआ और वह भी इसलिये कि आज मेरा बोलने का मन हो गया क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री दलगंजन सिंह—

क्या सदस्य का बोलने का अधिकार होना चाहिये या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—

हर सदस्य का बोलने का अधिकार है इसमें कोई दो राय नहीं है परन्तु जैसे-जैसे समय मिलता है, माननीय सदस्यों को बोलने के लिये बुलाया जा रहा है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन् मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री बिहारी लाल--

अरे, कभी-कभी तो समर्थन में भी बोल दिया करो।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

वह भी दिन दूर नहीं, आप के मुंह में घी शक्कर जबकि मैं बजट के समर्थन में भी बोला करूंगा। धन्यवाद।

मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव पेश न होता तो सत्ता पक्ष के विधायक जो आज बोल रहे हैं, यह बोल ही न पाते, इनकी बोलती ही बन्द हो जाती। जब माननीय मंत्री जी का भाषण हो रहा था तो मान्यवर, मैं उस समय इंस्पेक्टर्स की लिस्ट बना रहा था। यह इंसपेक्टर्स भी एक बीमारी है, इनकी लिस्ट मैंने बनाई है कि ये कितने तरह के होते हैं फैक्ट्री इंसपेक्टर, सेल्स टैक्स इंसपेक्टर, एक्साईज इंसपेक्टर, इनकम टैक्स इंसपेक्टर, वाटर इंसपेक्टर,

श्री अधिष्ठाता--

यह उद्योग का बजट है, आप कृपया उद्योग के संबंध में ही कहें।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

सप्लाई इंसपेक्टर, वेट एण्ड मेजरमेन्ट इंसपेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इंसपेक्टर, पुलिस इंसपेक्टर इत्यादि-इत्यादि यह 19 तरह के इंसपेक्टर्स हैं, आफिसर्स इनसे अलग हैं, ये लगातार फैक्ट्रियों के चक्कर लगाया करते हैं जिस दिन उसको माहवार, या तिमाही नहीं मिलती है उसी दिन फैक्टरी का काल मंडरा जाता है और फैक्टरी बीमार घोषित कर कर दी जाती है। बड़ी मुश्किल से फैक्टरी खोली जाती है। मैं इस तरह की इन्डस्ट्रीज को जानता हूं, कि उसको 5 साल तक लगातार बिजली नहीं मिली। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा कि बिजली दे दी जाये, बिजली मंत्री ने लिखा कि बिजली दे दी जाये, परन्तु नीचे के अधिकारी और कर्मचारी उसको नहीं देना चाहे तो उसको बिजली नहीं मिल पायी। उसने नीचे के कर्मचारियों को चुंगी नहीं दी, यही एक कारण था। वह लोग फैक्टरी पर हावी हो जाते हैं।

मान्यवर, पहाड़ों पर खनिज पदार्थों की बात कही गयी, पहाड़ों पर बहुत सा खनिज पदार्थ उपलब्ध है, परन्तु हमारी सरकार ने वहां पर कोई खनिज विशेषज्ञ नहीं रखा है। मान्यवर, हम देखते हैं मसूरी के जो पहाड़ हैं वह नंगे हो गये हैं, सारे पेड़ काट लिए गए हैं, उनकी हरियाली समाप्त हो गयी है, लेकिन उनसे जो उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। आपको बुनियादी काम करना चाहिए, चाहे खर्च ज्यादा ही क्यों न हो।

मान्यवर, पहले तिब्बत से व्यापार होता था और वहां से ऊन आता था जिसको पशम कहते हैं। अब वह बन्द हो गया है और इंगलैंड में उसका कारखाना लगा है, तिब्बत से पशम वहां जाता है और वहां पर पशमीना बनाया जाता है तब हमारे देश को भेजा जाता है। ऊन के उद्योग पर ध्यान दें, यह पहाड़ों पर अधिक सुगमता से किया जा सकता है। वहां पर ऊन का माल बनाया जाता है, परन्तु वह आकर्षक नहीं होता है, आप इस उद्योग को बढ़ावा दें और सहायता दें तो यह ऊन का उद्योग पहाड़ों पर विकसित हो सकता है। आप वहां के लोगों को ट्रेनिंग दें जिससे यहां का बना हुआ माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम्पीट कर सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब (देवली, साढ़पुर गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहां पर 100 करोड़ का कारखाना लगायेंगे, लेकिन अभी तक वह नहीं लगा है। इसलिए मैं इसको गम्भीरता से लेता हूं। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि अगर उद्योग विभाग की ओर से आप गांवों में सिलाई की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करें तो स्त्रियां कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह टेहरी गढ़वाल में दर्शन दें, वहां पर मैं सारी बात उनके सामने रख सकता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मेडेन स्पीच है।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

ऐसी बात नहीं है। तो मा0 उद्योग मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मैं विशेष रूप से जो राजकीय मुद्रणालय हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए द्वितीय वेतन आयोग बना था। उनकी सिफारिशों को मानकर 1005 लाख से बढ़ाकर 1535 लाख रुपये का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है परन्तु इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेषरूप से जो राजकीय मुद्रणालय महिला शाखा राजापुर इलाहाबाद में है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस महिला मुद्रणालय में कार्य करने की जो व्यवस्था है वह आज भी 30 वर्षों से पुरानी है। वहाँ केवल 9 या 10 कमरों में जहाँ पहले 200 महिलायें बाइंडिंग का काम करती थी आज भी उन्हीं कमरों में 1 हजार महिलायें काम कर रही हैं। किसी भी प्रकार की व्यवस्था उस राजकीय मुद्रणालय में महिला कर्मियों के लिये नहीं की गई है। उन्हें आज भी कोई सुविधा नहीं दी गई है।

साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान हर वर्ष भांति इस वर्ष भी उस ओर दिलाना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट के आधार पर किसी भी प्राइवेट प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी टेक्निकल माने जाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी राजकीय मुद्रणालय हैं उसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको टेक्निकल नहीं माना जाता है जिससे उन्हें धन के रूप में बोनस आदि नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरोध करूंगा कि जितने भी राजकीय मुद्रणालय हैं और उनमें जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको टेक्निकल माना जाय और इसकी वे घोषणा करें। इसके साथ ही जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिए वे उन्हें दी जायँ।

जहां तक राजकीय मुद्रणालय का सवाल है, पिछले कई वर्षों से जो नीति छपाई की वहां पर पालन की जा रही है। उसके माध्यम से इलाहाबाद में जो प्रिंटिंग का उद्योग है वह लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद तथा राजकीय मुद्रणालय लखनऊ में हर 6 महीने में सरकार अपनी नीति बदलती रहती है उससे कोई भी छोटा उद्यमी न तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा सकता है और न उसके पास इतना पैसा ही है। जिसने लगाया भी है तो वह कर्ज से इतना दब चुका है कि आने वाले दिनों में उसे किसी प्रकार की सुविधा मिलने की उम्मीद नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से लगभग 300 करोड़ के लाइसेन्सेज की व्यवस्था की है और उत्तर प्रदेश में यद्यपि हमारा बजट केवल 35 करोड़ का ही है फिर भी इस वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये की पूंजी नये उद्योग में लगायी जायेगी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से इलाहाबाद जिले में स्थित शंकरगढ़ क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जहां प्रदेश की सबसे बड़ी मात्रा में सिल्का सैन्ड मौजूद है। जैसा कि मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं कि 1 लाख 50 हजार टन सिल्का सैंड वहाँ पर उपलब्ध है फिर भी माइनिंग कारपोरेशन के कार्यरत होने के बावजूद वहां पर 35 हजार टन सिल्का सैन्ड का ही टारगेट रखा गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस वर्ष ऐसा क्यों किया गया है। इसके साथ ही फ्लोटिंग ग्लास टेक्नोलोजी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। इसको लगाने के लिये उड़ीसा के उद्योगपति की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह बात समझ में नहीं आती। यदि इलाहाबाद में सिलकासेंट और शीशे के व्यापार को बचाना है तो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को फ्लोट ग्लास टैकनलाजी देने का प्रयत्न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री दलगंजन सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में शायद पहला सदस्य हूंगा जिसके निर्वाचन क्षेत्र में छोटा, बड़ा मझोला किसी प्रकार का उद्योग न हो। मैं जालौन के माधवगढ़ क्षेत्र से चुन कर आया हूं। इस क्षेत्र में बुंदेलखंड विकास निगम ने एक मिनी शुगर प्लांट लगाया था चार साल हो गये उसको बंद कर दिया गया है। यहां नियम 301 में उसको उठाया गया था तो उसका जवाब यह आया कि यहां गन्ने की पैदावार कम होती है तथा गन्ना खराब किस्म का है इसलिए इस मिल को बंद कर दिया गया क्योंकि इसको घाटा हुआ।

मान्यवर, गलत आरोप लगा कर और गलत बयानी करके अपने दोषों को छिपाने के लिए निगम के अधिकारियों ने गन्ना मिल को बंद कर दिया। मेरी सरकार से प्रार्थना है, मंत्री जी से अपील है कि मेरे क्षेत्र में इतना गन्ना होता है कि वहां पर दो शुगर मिलें आसानी से चल सकती हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में आलू पैदा होता है। उमरी, माधव-

गढ़ और रामपुरा यह तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां इतना आलू पैदा होता है कि दो शीतग्रह आसानी से चलाये जा सकते हैं। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्रि-मंडल की मीटिंग झांसी में हुई थी और कैबिनेट का निर्णय हुआ था कि माधवगढ़ में एक शीतग्रह कायम किया जायेगा लेकिन सरकार उस निर्णय पर कायम नहीं रही।

अब एक दूसरी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बुंदेलखंड विकास निगम हमारे यहां एक गुम्मे का भट्टा चला रहा था। चाहे मेरा दुर्भाग्य कहिये, चाहे मेरे क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य कहिये या इस सरकार का दुर्भाग्य कहिये वह गुम्मे का भट्टा बंद कर दिया गया।

यह जो बजट सरकार ने उद्योग का सदन के सामने प्रस्तुत किया है इससे प्रदेश के उद्योगीकरण का निदान नहीं हो सकता है। इस प्रदेश की बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, असमानता इस बजट से दूर नहीं हो सकती है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी जरा ध्यान दें। इस प्रदेश का बजट वास्तव में मंत्री जी के हाथ में नहीं है जिस तरह से हिन्दुस्तान की उद्योग नीति इंदिरागांधी के हाथ में नहीं है बल्कि टाटा बिड़ला और मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में है। आज माननीय मंत्री चाहे अमीनाबाद में चले जायं चाहे हजरत गंज में चले जायं या हमारे जनपद में उरई में चले जायं बाजारों में मल्टी नेशनल कंपनीज का सामान भरा पड़ा है। आप यहां पर बात करते हैं कि छोटे कारखाने लगायेंगे, मीडियम कारखाने लगायेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि जब सनलाईट या रेक्सोना साबुन मल्टीनेशनल कंपनी बनायेगी, या सरदर्द की टिकिया मल्टीनेशनल कंपनी बनायेगी, सुई टाटा बनायेगा, कपड़ा टाटा बनायेगा, तेल टाटा बनायेगा, साबुन टाटा बनायेगा तो इस कंपिटीशन में छोटे कारखाने या मध्यम कारखाने कहां से टिक पायेंगे। एक ओर सरकार फैशन वाली चीजों के उद्योग लगा रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को यदि सही दिशा में आप ले जाना चाहते हैं तो फैशन परस्ती चीजों के उद्योगों पर आपको बमबारी कर देना चाहिये और उनके स्थान पर जैसे कीट नाशक दवाइयों एवं खाद के कारखाने सरकार को लगाने चाहिये। मान्यवर, यदि सरकार प्रदेश को सही दिशा में ले जाना चाहती है तो यह बड़े-बड़े उद्योग जो बीमार हो गये हैं जैसे चीनी मिलें, कपड़े की मिलें जिनपर अरबों रुपया उनके इलाज में आपका जाता है तो सरकार हिम्मत करके उनको धराशाई का उद्योग नीति को आप सही बनायें जिससे देश, प्रदेश का भला हो सके और जो असमानता है वह दूर हो सके।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने उद्योग विभाग के बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि यह उद्योग क्यों

पनप नहीं रहे हैं। इसमें दोनों पक्षों के मा0 सदस्यों के जो सुझाव आये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोगों का दामन साफ नहीं है चूंकि यहां बैठे हैं लेकिन आपका दामन तो बड़ा साफ है, आपने यह लांक्षन लगाया कि बड़े-बड़े साहूकारों और पूंजीपतियों से सरकार इलेक्शन के लिये पैसा लेती है, इसलिये उद्योग नहीं पनप रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने समय में जब इधर या उधर थे आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपकी गाड़ियां क्या पानी से चलती हैं, एरोप्लेन पानी से चलते हैं, आपके सदस्य पानी खाते हैं और हवा पीते हैं, वह रुपया मैं मानता हूँ कि आप लोग देवता हैं, आप, वर्षगांठ पर रुपया जो लेते हैं उससे चलते हैं। विडम्बना की बात है, भगवान ने आपको इधर बैठने का मौका दिया था लेकिन उस समय आपने क्या रुपये का प्रबन्ध किया।

मान्यवर, एक आदरणीय सदस्य ने इंस्पेक्टरों की धांधले बाजी के संबंध में कहा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप मिनिस्टर थे तो क्या उस समय यह इंस्पेक्टर गायब थे या अंडमान गये थे, क्या उस समय यह इंस्पेक्टर के पद नहीं थे और अब हुए हैं। अब इस संबंध में मान्यवर, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह 36वाँ या 34वाँ उद्योग का बजट पेश किया जा रहा है, जाल में जनता को फंसाने के लिए जब जरूरत होती है तो डिशमल में बांट दिया जाता है, वरना लाखों में बताया जाता है, तो जनता कुछ समझती है। उद्योग मंत्रीजी उद्योग से आने वाले किसी सामान की कीमत क्या इस साल पारसाल से एक पैसा भी कम है नहीं तो इसका एक कारण यह है कि उद्योग मंत्री के चारों तरफ 'ठग', असंसदीय हो तो आप कलाकार कह दीजिए, बैठे हुए हैं। जब तक उद्योग मंत्री जी इन कलाकारों को काटकर अपने से दूर नहीं कर देंगे, उद्योगों का पनपना बहुत दूर की बात है (व्यवधान) इस संबंध में मैंने पूछा है कि क्या किसी वस्तु की कीमत कम हुई है, तो मंत्री जी इसके बारे में कृपापूर्वक बताएं। इसके साथ मैं क्षमा चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री खैरुल बखर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे कटौती के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसका शुक्रिया। आज कार्लमार्क्स की हन्ड्रेथ एनिवरसिरी मनाई जा रही है, काश वह आज जिन्दा होते, जब उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था अपनी मौत की ओर बढ़ रही है और आज मंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है, यह पूंजीवादी बजट मंत्री जी का उस समय पेश हुआ है, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनी मरण शैय्या पर पड़ी हुई है। यह मंत्री जी एक विभाग की समाप्त कर, दिवालिया करके भागकर इधर आए हैं, ऐसे भगोड़े मंत्री को अब हम लोग वीर कहें या बहादुर कहें, उन ऐसे मंत्री की कृपा अब इस विभाग पर हो गई है। इसलिए इस विभाग का अब भगवान ही मालिक है।

उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में आपने स्वयं स्वीकार किया कि बीमार उद्योग हैं। तो यह बीमारी फैल गई है, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह संक्रामक बीमारी है और इससे हमारा उद्योग जीवित नहीं बच सकता है। एक बात की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा कि इन मंत्री जी को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भेजा है, जो उनके कोष को थोड़े दिनों में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरा कर देंगे, इतनी आप में कला है या गुण है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर अगर देखी जाए कि उसमें उद्योग धंधों की क्या हालत है, तो आप देखेंगे कि मेरठ का उद्योग, मुरादाबाद का उद्योग ब्रासवेयर का उद्योग, अलीगढ़ का ताला का उद्योग—यह सारे के सारे उद्योग आज संकट के कगार पर खड़े हैं। हिन्दुस्तान में खेती-बारी के बाद सबसे मुख्य काम काटेज इंडस्ट्री है और वह उसमें हैण्डलूम इंडस्ट्री है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के लाखों आदमी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आप देखें कि उसकी आज क्या हालत है। भारत में आई ब्रिटेन की साम्राज्यशी ने उस को नष्ट-भ्रष्ट करने का, नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन हमने उस साम्राज्याशाही को ही मिटा दिया। लेकिन आज कांग्रेस सरकार, जो पूंजीवादी संस्था पनप रही है, वह पुनः उस काटेज इंडस्ट्री को हैण्डलूम उद्योग को समाप्त करने पर लगी है।

रियासत हुसैन जी ने कहा कि टाटा की इस समय टोटल असेट्स 2200 करोड़ रुपया है, बिड़ला की असेट्स 2100 करोड़ रुपया है। इस तेजी से हिन्दुस्तान के पूंजीपति बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज पावरलूम और हैंडलूम इण्डस्ट्रीज की क्या हालत है? मऊनाथ भंजन जो प्रदेश में सबसे बड़ा केन्द्र है, वहां एक तिहाई पावर लूम बन्द हो गया, बिक गये, इसलिए कि आप न बिजली दे रहे हैं और न कच्चा माल मिल रहा है और न मार्केट दे रहे हैं, कहां से वह चलेगा? यही हालत है हैंडलूम की, 50 नम्बर का सूत 1960 में सवा सौ रुपया उसका दाम था, आज पौने तीन सौ उसका दाम है, कहां से बुनकर इन्डस्ट्री चलेगी। हमारे माननीय मंत्री जी अमीन अंसारी साहब मऊनाथ भंजन गये, और उन्होंने खरीदारी का आदेश दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप आयें, एक रात में 30 हजार आर्डर्स लिये गये और दूसरे दिन खत्म हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है। 1976, 77, 78 की बात करता हूं, हैंडलूम के बुनकरों को रिबेट मिलता है, 1977-78 के रिबेट सारे बुनकरों को मिल गये, लेकिन आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन के बुनकरों ने क्या कसूर किया कि आज तक उनको रिबेट नहीं दिया गया। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे गये इस उद्योग के बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आप सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, दोनों ही पक्षों के सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा मिला है। उद्योगों की स्थापना बढ़ी है तथा उद्यमियों को लाने के लिए यहां उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्य रूप से उद्योग विभाग ने भरसक प्रयास किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में देश के कोने-कोने से छोटे, मध्यम, बड़े हर प्रकार के उद्योगपति आज प्रयास कर रहे हैं कि हमको अवसर मिले और हम यह उद्योग लगायें ।

मान्यवर, किसी देश और प्रदेश के लिए जहां कृषि, विद्युत आवश्यक है, वहीं उद्योग का भी स्थान उतना ही आवश्यक है, तभी जो है हमारी व्यवस्था हर प्रकार से सर्वांगीण रूप से चल सकती है । आज यहां पर उद्योग बंधुओं की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से उद्यमियों की कठिनाइयां दूर की जा रही हैं, तो अन्य प्रकार की व्यवस्था करके यहां जो बुनकर के उद्योग हैं, ब्रास के या अन्य लघु उद्योग हैं, उसके बारे में बड़ी तेजी से उद्योग विभाग आज कार्यरत है । मान्यवर, समय बहुत थोड़ा है, मैं आपका ध्यान खासतौर से निर्यात निगम की तरफ आकर्षित करता हूं । मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह वाराणसी जनपद का भदोही क्षेत्र है, वहां पर कालीन उद्योग, कुटीर उद्योग का बड़ा प्रचलन है और लगभग 1 अरब रुपये का इस क्षेत्र से निर्यात होता है । मान्यवर, दुनिया के बहुत से लोग कालीन का निर्यात करते हैं, लेकिन भारत के उन मजदूरों की यह कार्य-कुशलता है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी, लेकिन इस देश का यह सौभाग्य रहा है कि भारत में वह अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है । हमारे गांवों के वे लोग बुनकर, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए उनको कहीं विदेश नहीं भेजा जाता है, लेकिन तब भी दुनिया के 10 और 5 डिजाइनों के कारपेट बनाये जाते हैं, हमारे यहां के जो बुनकर हैं, गांवों में, नई 100 तरह की डिजाइनों के कालीन बनाते हैं ।

मान्यवर, उन लोगों से नयी डिजाइनें ईजाद करके इस कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया है । मैं उनके लिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी सुख सुविधा का अधिक ध्यान दिया जाय । डिजाइन में सुधार के लिये और उसके उत्थान के लिये वहां पर प्रशिक्षण देने की बात की गयी थी । तो इस तरफ ध्यान दिया जाय जिससे कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाय । साथ ही साथ वहां पर जो 5 लाख लोग इस उद्योग में लगे हुये हैं उनके सामने आर्थिक कठिनाई है जिसकी वजह से वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं । उनका बच्चा लगभग 15, 20 रुपये प्रतिदिन कमाता है । उनका कहना है कि अगर बी0 ए0 और एम0 ए0 करायेंगे तो भी आप 10 रुपये रोज की नौकरी नहीं दिला सकते हैं । ऐसी स्थिति में उनमें शिक्षा की कमी आ रही है । बच्चों को शिक्षा के लिये स्कूल भेजना कम हो रहा है । 1976-77 में जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने निश्चय किया था कि यहाँ स्कूलों में जूनियर हाई स्कूलों और हायर सेकेंड्री स्कूलों में प्रशिक्षण केन्द्र लगायें जायें और विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ-साथ कार-पेट बुनाई का काम भी सिखाया जाय और उनको उनके काम के अनुसार 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से जो काम वह 2, 3 घंटे करें वह उनको दिया जाय ताकि उनको आर्थिक सहायता मिलती रहे और वह शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ अपनी आर्थिक कठिनाई को भी दूर करते रहें ।

मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को पुन: स्थापित किया जाय । मैं इसके साथ-साथ दो तीन बातों को और कहना चाहता हूँ । हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम है । उसकी

एक शाखा भदोही में है। पिछले दिनों वहाँ पर काफी माल एकत्रित हो गया और कई करोड़ का घाटा हो गया। मैं मंत्रीजी से चाहूँगा कि उसको पुनः सुदृढ़ रूप से गठित करें और वहाँ पर कोई टेक्निकल व्यक्ति या विशेषज्ञ बैठायें जो अच्छे माल को खरीद सके और अच्छे प्रकार से व्यवस्था कर सके। मान्यवर, वहाँ पर 1977 में प्रधान मंत्री जी ने भदोही ऊलेन मिल की स्थापना की ताकि वहां कालीन के लिये ऊन मिल सके। लेकिन विडंबना की बात है कि वहां का ऊन अन्य जगह से आने वाले ऊन के मुकाबले में मंहगा पड़ता है। जो वहां के प्रबंधक हैं और जिनके हाथ में उद्योग मंत्री जी ने 35 लाख रुपया फैक्टरी में सुधार करने के लिये दिया लेकिन उसके बावजूद वहां पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है जो बड़े खेद की बात है।

अंत में मैं एक चीज कहकर समाप्त करूँगा। हमारे यहां विद्युत का अभाव है। विद्युत की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पाती है। इसलिये वहां पर ठीक तरीके से बिजली सप्लाई की जाय और बिजली सप्लाई के समय में बढ़ोत्तरी की जाय। मान्यवर, कालीन उद्योग में लगभग 20 करोड़ रुपये का सूत लगता है। 12 सूती मिलें लगायी जा रही हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम एक सूती मिल और बढ़ा दी जाय। तो उसको बहुत कम खर्च पर 20 करोड़ रुपये का माल बेचने का अवसर मिलेगा। उद्योगों के सभी साधनों को एक जगह पर एकत्रित कर दिया जाय तो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इन शब्दों के साथ हमारे उद्योग मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और आपके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, आपने उद्योग विभाग के बजट पर मुझको बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ और इस बजट का स्वागत करती हूँ और जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करती हूँ। मान्यवर, उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं। बहुत बड़े उद्योग होते हैं और बहुत छोटे उद्योग होते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े-बड़े उद्योग लग चुके हैं और इन उद्योगों की वजह से उत्तर प्रदेश की ख्याति बढ़ी है, घटी नहीं है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ।

मान्यवर, छोटे उद्योग भी पनप रहे हैं। लेकिन, कुछ के सम्बन्ध में विशेष रूप से, जैसा कि मैंने कई सम्मानित व्यक्तियों की वार्ता सुनी, छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये गये, उन प्रश्नों की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया, मैं भी एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ। वह यह कि उद्योग खुल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मान्यवर, समस्याओं से जुड़कर अगर उद्योग खुल जाय, समस्याओं के निदान के लिए, तो उन उद्योगों का अपना महत्व होता है। जैसा कि आप जानते हैं गांवों में ट्यूब-वेल भी हैं, गांवों में ट्रैक्टर भी चलते हैं। लेकिन, जब ट्रैक्टर बिगड़ जाता है, तो मान्यवर, वहां के किसान को उस ट्रैक्टर को लेकर, उसे ठीक कराने के लिए, शहर की ओर भागना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सुझाव है कि ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना वे गांव स्तर पर करें, जिसका सम्बन्ध गांवों की चीजों से हो, वे अगर खुल जायँ, तो उससे कुछ लाभ भी हैं, लाभ की बात जब मैं कहती हूँ, तो उसमें यह है कि वहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं, वे शहर की ओर भागते हैं, जब वे शहर की तरफ भागते हैं, तो उनके सामने अनेक समस्यायें आती हैं, रहने के लिए मकान चाहिए, और सारी चीजें चाहिए, रोजी और रोटी चाहिए, रोजी उन्हें गावों में नहीं मिलती है, भागकर वे शहर नौकरी के लिए आते हैं, तो उनके निवारण के लिए, मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ माननीय उद्योग मंत्री जी प्रभावी प्रयास कर रहे हैं, छोटे स्तर पर छोटी-छोटी इकाइयाँ गांव से सम्बन्धित कार्यों के लिए अगर खोल देंगे, तो नौजवान हमारा वहीं का वहीं रह जायेगा, वे वहीं खप जायेगा, शहर की तरफ नहीं आयेगा।

मान्यवर, एक दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, मुझे एक दफा अवसर मिला था कहने का, फिर आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ, जो महिलाओं से सम्बन्धित है। आज महिलाओं का जहां मैं प्रश्न करती हूँ तो लगता ऐसा है, जैसे विषय से हटकर बात कह रही हूँ, लेकिन यह विषय से हटकर बात नहीं है। 50 प्रतिशत महिलाओं को जरूरत है आज रोजी की गांव की और शहरों की भी, मान्यवर, शहर की तो पढ़ने लिखने और आफिस आदि में सर्विस मिल जाती है, काम मिल जाता है, लेकिन जहां तक गांवों की औरतों का सवाल है, उनके सम्बन्ध में रोजी का कोई भी ठिकाना नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि, जहाँ उनका ध्यान चतुर्मुखी विकास की तरफ है, वहीं कम से कम हम महिलाओं का भी ध्यान उन्हें रहे, उनकी भी रोजी का इंतजाम गांव के अंदर होना चाहिए, छोटी जगह के अंदर होना चाहिए। यह बात जब मैं आपसे कह रही हूँ, उसके पीछे एक दर्द है, वह यह दर्द है कि आज के युग में, मुझे क्षमा करेंगें, हम तो छोटी संख्या में, अल्पमत में हैं, आज जिस तरह से दहेज के रूप में, या किसी तरह से महिलाएं जो उपेक्षित कर दी जाती हैं, तिरस्कृत हो जाती हैं, मान्यवर, उनका तिरस्कार तब और बढ़ जाता है, जब उनके सामने कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं होता है। वे इधर-उधर मारी-मारी घूमती हैं। उस दर्द को लेकर मैं आपके माध्यम से, माननीय उद्योग मंत्री जी से, जो कि गांव से ही सम्बन्धित हैं, छोटे-छोटे लोगों के बीच से आये हैं, उन लोगों का उन्हें दर्द मालूम है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ, उनके सामने कोई विशेषण नहीं लगा रही हूँ इस वजह से कि वे माननीय मंत्री जी हैं, बल्कि वास्तव में उनकी यह एक भावना है कि गांव में रहने वाले छोटे-छोटे लोगों को उठाया जाय।

कहना चाहूँगी कि महिलाओं के कार्यक्रम के लिए गांव से लेकर, न्याय पंचायत से लेकर ब्लाक स्तर, से लेकर छोटे-छोटे नोटिफाइड एरिया तक इस चीज का प्रयास करें ताकि वे भी आत्म निर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सकें। मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी, मैं उसका सम्मान करती हूँ। एक सीमित समय के अंदर आपसे पुनः एक बात कहना चाहती हूँ कि यह जो अपट्रान टी0 वी0 है, जो सरकार के एवं एक उपक्रम से सम्बन्धित है, उसमें कुछ महिलाओं को भी काम मिला हुआ है, कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन वह नहीं के बराबर है, मुश्किल से 7 महिलाओं को यह दी जा रही है, जोकि ज्यादातर शहरों की हैं, गांव की औरतों का कोई स्थान नहीं है....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं आपके माध्यम से फिर इनके बजट का स्वागत करते हुए, इनकी प्रशंसा करते हुए कहना चाहूँगी कि इस उद्योग विभाग में विशेष रूप से महिला कार्य-कर्ताओं को गांव की महिलाओं को समय देने का कष्ट करें मौका दें ताकि वह आर्थिक रूप से खड़ी होकर समाज में सम्मान का जीवन जी सकें। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और बजट का समर्थन करती हूँ।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मैं बलवीर सिंह द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ। पता नहीं सरकार की औद्योगिक नीति किस प्रकार की है कि बिजनौर जिले को आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील घोषित कर रखा है जबकि मुरादाबाद जिले को जो पिछले दिनों 80 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा कमाता था उसको औद्योगिक दृष्टि में पिछड़ा घोषित किया है। लेकिन आपकी कृपा से 80 करोड़ से यह घटकर 10 करोड़ रह गया है। बिजनौर तो औद्योगिक दृष्टि से उन्न है और मुरादाबाद पिछड़ा है। मैं निवेदन करूँगा कि इस परिभाषा को बदलिये और मैं मांग करता हूँ कि बिजनौर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने का कष्ट करें।

मान्यवर, आप विभाग के असन्तुलन को देखें। कृषि विभाग के साथ तो पानी की आवश्यकता है, सिंचाई हो सकता है लेकिन सिंचाई मंत्री के पास उद्योग रहे यह विरोधाभास जोड़ रखा है। सिंचाई विभाग इतना पिछड़ा है कि उसमें बहुत समय देने की आवश्यकता है। उद्योग मंत्री क्या समय दे पाते होंगे। एक बात की ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूँ छोटे उद्योग की इकाई हमारे बिजनौर के शेरकोट में है जो ब्रुश बनाने का काम करते हैं। यह ब्रुश बनाने का उद्योग वहाँ पर घर-घर में है । यह कुटीर उद्योग के रूप में है । इसकी एक डेढ़ हजार इकाईयाँ हैं। महिलायें और बच्चे जो बाहर काम नहीं कर सकते वह घर में बैठकर इसके द्वारा अपनी रोजी और रोटी कमाते हैं। इसका कच्चा माल हमारे बिजनौर में मिलता है। जैसे लकड़ी, बाल जो ब्रुश में लगता है। यह सुअर का बाल है यह भी उपलब्ध है। लेकिन इसका शोधन बाहर होता है और वहाँ से आता है तब यह बाल ब्रुश में लगाया जाता है ।

मैं निवेदन करूँगा कि सरकार वहाँ पर जो कच्चा माल प्रयोग होता है उसके लिये जिले में एक डिपो या एजेन्सी कायम करें। ताकि उनको वह माल उचित मूल्य पर मिल सके। उसके शोधन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से शोधित किया जाता है तब वह ब्रुश में प्रयोग किया जाता है। हमारे जिले से यह कानपुर जाता है वहाँ पर इसका शोधन होता है उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोग उस कच्चे माल को सस्ते दाम पर बेचने के लिये मजबूर होते हैं क्योंकि इसको इकट्ठा करने वाले विमुक्त जाति के लोग हैं जो थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। अगर इस प्रकार का एक केन्द्र वहाँ स्थापित कर दें तो लोगों के बीच का मुनाफा बचेगा।

मान्यवर, यह छोटे-छोटे यूनिट है मेरा अनुमान है मंत्री जी को पता नहीं होगा, उन्हें फुरसत कहाँ है। मुख्यमंत्री बनने के लिये दिल्ली की भागदौड़ से कहाँ इनको फुरसत है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि लगभग 3 करोड़ का ब्रुश शेरकोट में बनता है और विदेशों में जाता है। रूस में जाता है इसका तो मुझे पता है। जो रूस के वाणिज्य दाता हैं वह शेरकोट गये थे उस उद्योग को चलते देखने के लिये चाहे आपके अधिकारी न गये हों लेकिन विदेश के लोग गये हैं। उन्होंने देखा है श्रीमन हमारे प्रदेश का इतना बड़ा उद्योग है लेकिन उसको कोई सहायता नहीं मिल रही है। उसके लिये आपने इन्सपेक्टरों को जरूर बिठा रखा है, सेल्सटैक्स आफिसरों को बिठा रखा है, जो उनको निचोड़ते रहते हैं, उनसे नाजायज पैसा वसूल करते हैं, अपनी कमाई उनसे करते हैं, लेकिन उनको सहायता कोई नहीं देते। छोटे उद्योगों को जीवित रखने के लिये यह जरूरी है कि इन बिचौलियों को आप हटा लें ताकि यह लोग उनका शोषण न कर सकें और छोटे-छोटे उद्योग पनप सकें। ऐसा होने पर प्रदेश के छोटे उद्योगों का विकास होगा और प्रदेश की भी प्रगति होगी।

* श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी का निदान उद्योगों से ही सम्भव है। जब हम अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर निगाह डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां बेरोजगारी और गरीबी अपनी चरम सीमा पर है। अब गेहूँ के कटने का समय आया है, आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर पेशा लोग पंजाब, बिहार, हरियाणा और नेपाल की तराई में जाते हुये मिलेंगे। ट्रेनों की छतों पर यह लोग बैठे हुये मिलेंगे। यह लोग वहां मजदूरी करने के लिये जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में जाकर गरीब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोग रिक्शा चलाते हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि वहां गरीबी अधिक है, रोजगार के साधन नहीं हैं। शिक्षा अगर किसी को मिली है तो उसके मुताबिक उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती।

बेरोजगारी के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में जा रहा है और वहां पर जाकर मजदूरी कर रहा है। यह दुर्भाग्य ही रहा है कि पूर्वी जिलों के विकास के लिये बजट में बहुत कम धनराशि रखी गयी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुआ है। बजट का अधिकांश अंश बड़े-बड़े उद्योगपति ही ले जाते हैं। हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री भी बैठे हैं, इनके समय में हमारे जिले को केवल आटा चक्की के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन अब सौभाग्य की बात है कि यह विभाग ऐसे मंत्री के पास हैं जिनके हृदय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये दर्द है और वे वहाँ के विकास के लिये कुछ कर रहे हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के विकास के लिये जो पुस्तक मिली उसमें कुछ पढ़ने को मिला और जिससे आभास हुआ कि वहां का भी विकास होगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का विकास तभी सम्भव है जब कि वहां गांव-गांव में कुटीर उद्योग धंधे लगाये जायें ग्रामीण विकास बोर्ड और खादी बोर्ड द्वारा भी जो विकास के काम किये जा रहे हैं वह सराहनीय हैं। उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं।

ट्राइसम योजना भी एक बड़ी अच्छी योजना है। इसके द्वारा बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वे ट्रेनिंग पाकर काम करने के योग्य हो सकेंगे। यह भी सौभाग्य की बात है कि जहां पर अन्य कारपोरेशन्स घाटे पर चल रहे हैं वहीं यह निगम लाभ पर चला रहा है। मान्यवर, इन सब बातों के अलावा आप के माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान अपने बस्ती जिले की शोहरतगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हालाँकि यह हमारा सौभाग्य है कि अभी कुछ दिन पहले नौगढ़ तहसील में मंत्री जी गये थे और उसे औद्योगिक इकाई बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इस पुस्तक को पढ़ने से भी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारे नौगढ़ तहसील में चमड़ा, का उद्योग आसानी से लग सकता है क्योंकि वहाँ का चमड़ा कानपुर आदि नगरों को जाता है। बोन का कारखाना लग सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूँगी कि वह बस्ती जिले के उत्तरांचल की तरफ ध्यान दें। मंत्री जी इस अच्छे बजट के लिए बधाई के पात्र हैं और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(श्री बलबीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

ठीक है सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं बलवीर सिंह जी से प्रार्थना करुँगा कि वह माननीय सदस्यों को थोड़ा समय और दे दें।

(व्यवधान)

(इस समय 4 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष--

बैठिये आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने जो पद्धति बना रखी है कि 5 बजे तक बजट समाप्त हो जाये, इसलिए 5 बजे समाप्त होगा। आप लोग अपनी बात दो-दो मिनट में समाप्त करें।

(व्यवधान)

(श्री धनी राम वर्मा शोर के मध्य लगतार बोलते रहे)

आप लोग क्यों खड़े हैं। राय साहब, आप बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

आप मन्त्री जी से कहें कि आप को समय नहीं मिला। (पुनः कुछ कहने पर) नहीं, आप बैठिये।

(व्यवधान)

*श्री धनी राम वर्मा--

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कुटीर उद्योग धन्धों की तरफ विशेष ध्यान दें। मेरा सुझाव है कि हथकरघा उद्योग, जैसे इटावा, फफूंद रसा, इंग्लैंड अमेरिका में बहुत अच्छी तरह के उद्योग हैं, बहुत बड़ी मांग है, इस तरफ ध्यान दें। इसी तरह से धान की फसल बहुत होती है उसकी भूसी से तेल निकाल कर साबुन बनाया जा सकता है। इसका अन्वेषण भी हुआ है। प्याल से कागज और दफ्ती बनायी जा सकती है। इसी तरह से यूकिलप्टस से कागज बनाया जा सकता है। अखबारी कागज और तेल निकाल कर जो विदेशों में मांग होती है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी तरह से मान्यवर, प्रदेश में उद्योग का निर्यात निगम है। खासतौर से आगरा मंडल निर्यात निगम वह वहां के रहने वालों से चीजें बनवाकर 15 प्रतिशत मुनाफे में बेचते हैं फिर भी घाटा दिखाते हैं। नीम की नियोली जो बेकार चली जाती है तेल बनाकर साबुन तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार से फर्रुखाबाद जिले में आलू से चिप्स बनाने का उद्योग लगाया जा सकता है। चावल से चूरा बनाने का उद्योग लगाया जा सकता है। छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करें, लाइसेन्स दें। जिससे प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 बृजकिशोर मिश्र—

माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का आपने जो मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, एक शेर है—

हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो
चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो।

आज उद्योग मंत्री जी ने निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है। बजट के माध्यम से, इस पुस्तिका को देखने से निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि उद्योग मंत्री ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। कभी विरोध पक्ष में बैठे हुए मोहन सिंह जी भी उद्योग विभाग के मंत्री थे। विरोध पक्ष में बैठे हैं। देवरिया जिले में बरहज एक नगरी है जो पुरानी उद्योग नगरी थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने उस समय देवरिया में कोई भी उद्योग लगाने का प्रयास नहीं किया। पढ़े लिखे, होशियार आदमी हैं। प्रदेश के लिये किया, परन्तु अपने क्षेत्र देवरिया में कुछ नहीं किया। मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने रेशम उद्योग की स्थापना देवरिया, बस्ती, बहराईच, लखीमपुर, पीलीभीत जैसे तमाम जनपदों में किया। मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर भारत में उत्तर प्रदेश लघु कुटीर के माध्यम से हथकरघा को बढ़ावा दिया है। मंत्री जी ने हथकरघा की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। इससे गरीबों को हथकरघा उद्योग से रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ हजारों गरीब एवं निर्बल वर्ग के लोगों को इसके उत्पादन से वस्त्र भी मिलेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से थोड़ी ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे माननीय मंत्रीजी गौर से सुनें। मान्यवर, हम देवरिया के पूर्वांचल उत्तरांचल से आते हैं जहाँ की मेन फसल कटहल और धनिया है। मान्यवर, कटहल और धनिया जो करोड़ों रुपए का होता है उसे ऐसे मौसम में कुछ ऐसे व्यापारी उठा कर ले जाते हैं जिससे वहाँ के किसानों की कमर टूट जाती है। मान्यवर, वहाँ पर कई मिटिंगें हुईं, उद्योग विभाग की भी मिटिंगें हुईं लेकिन उन मिटिंगों में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया कि वहाँ पर कोई ऐसी इण्डस्ट्री लगाई जाय जिससे कटहल को प्रिजर्व किया जा सके। उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि कटहल और धनिये के लिये कोई ऐसा उद्योग लगायें वहाँ पर जिससे कोई काम हो सके।

मान्यवर, एक मिनट और दे दीजिये। मान्यवर, माननीय श्री खैरुल बशरजी कुछ बोल रहे थे। वे उस मुल्क की कल्पना कर रहे थे जिस मुल्क में समाजवादी की उत्पत्ति न हुई हो लेकिन वे समाजवादी मुल्क चीन की बात कर रहे थे। मान्यवर, आज हिन्दुस्तान में श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी के नेतृत्व में जहाँ समाजवाद के साथ-साथ औद्योगीकरण हो। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि इन उद्योगों को शहरों से गाँवों की तरफ भी

भेजने की कृपा करें। मान्यवर, महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसमें सब लोग साझीदार हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें वे ही लोग रहें जो धनी हैं बल्कि वे लोग भी रह सकते हैं जो 5 परसेन्ट हैं। मान्यवर, सिर के वगैर पैर नहीं और पैर के वगैर सिर नहीं। दोनों चीजों का होना जरूरी है। बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योग भी लगाने चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से अभिवादन करता हूँ और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ बुद्धिहीन गद्दराज ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री कुबेर भण्डारी---

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि देश में बेरोजगारों की जो पलटन खड़ी हुई है यदि उसको आप उद्योग में नहीं करते हैं तो देश में एक ऐसा भूचाल आने वाला है उसमें हम सारे लोग और आपकी पलटन फँस जायेगी। यदि उद्योग नीति में आपने सुधार नहीं किया तो आप इस भू-चाल से बच नहीं पायेंगे।

आज देश में बेरोजगारी काफी बढ़ रही है साथ ही साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है। आज 36 साल आजादी मिलने के बाद भी, जिस देश में नदियाँ, पहाड़ तथा जन-शक्ति मौजूद है, इन सबके होते हुए भी हम उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। आज उद्योग नीति ठीक न होने के कारण हमारे देश से जनशक्ति बाहर जा रही है विदेशों में। आज हमारे पास उद्योग चलाने के लिये पहाड़ हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम उद्योग में पिछड़े हुए हैं। आज हमारे देश से जन-शक्ति की विदेशों में जाने की लाइन लगी हुई है। देवरिया जिले में 14 शुगर मिल हैं। और दो गोरखपुर में गन्ना देकर चलाते हैं। आज तक कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है वहाँ पर। जहाँ गन्ना पैदा होता है, जहाँ कागज बन सकता है। गन्ने से खूदर पैदा होता है और पत्ती पैदा होती है जिससे पेपर मिल लगाया जा सकता है। लेकिन एक भी कोई नया उद्योग देवरिया में नहीं खुला है। जैसा कि वी0 के0 मिश्रा जी ने बताया कि हमारे यहाँ कटहल काफी होता है। माननीय मंत्री जी भी बगल के रहने वाले हैं। बड़े-बड़े उद्योगों के साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करें ताकि वे भी अपना कारोबार कर सकें। जो उद्योग नीति उद्योग विभाग में आपने आई0 ए0 एस0 लगा दिया है, वह वहां क्या करेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें और गांधी जी के सपनों को साकार करें।

(श्री सुन्दर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रभू नारायण सिंह---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब से उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं मा0 अधिष्ठाता महोदय को अपना नाम देकर लगातार उठक-बैठक कर रहा हूं लेकिन.....

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

व्यवस्था का यही प्रश्न है कि कोई क्राइटेरिया बनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

(व्यवधान)

सब लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

*श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

हमारे इस उद्योग के बजट में पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में लाखों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने की व्यवस्था की गयी है। माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिये उद्योग विभाग ने 50 हजार दस्तकारी इकाइयों को स्थापना का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 30 हजार इकाइयों की स्थापना करायी है। यह एक क्रान्तिकारी बजट है। अभी जो मेरे साथी बोल रहे थे, उन्होंने कार्ल मार्क्स की दुहाई दी थी। जब जनता पार्टी का शासन था, तब कार्ल मार्क्स की दुहाई देने वाले भूल गये थे कि यह गांधी का देश है। हमारे उद्योग मन्त्री महोदय ने ग्रामीण जनता की तरफ बहुत ध्यान दिया है। जैसा मेरे साथी डा0 मिश्रा ने कहा कि आज उद्योग शहरों की ओर न जाकर गांवों की ओर बढ़ रहा है।

आज आवश्यकता है ऐसे वातावरण की एक ऐसे माहौल की कि जो हमारी मानसिकता है शहरों की ओर भागने की, वह गांवों की ओर हो जाय। जब तक गांव में उद्योग नहीं लगेगा तब तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीब किसानों की भलाई नहीं हो सकती। मेरे बहराइच जिले के अन्दर, जो प्रदेश का पिछड़ा जिला है, उसके अन्दर उद्योग स्थापित किये जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने उधर रहकर भी मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है, उनका भी आभारी हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ बातें इस प्रकार की रह गयी हैं जो मा0 मन्त्री जी को बताना जरूरी है। मथुरा रिफाइनरी चालू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो उसका "बाई प्रोडक्ट" निकल रहा है, वह बेकार जा रहा है। उस पर सैकड़ों की तादाद में नये किस्म के उद्योग लगाये जा सकते हैं, जिसमें हजारों उद्यमी खपाये जा सकते हैं, और लाखों की तादाद में श्रमिक काम कर सकते हैं। जो कमेटी बनायी गयी है, धीमी गति से काम कर रही है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जाय ताकि प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है और जो गरीबी है, उसको दूर किया जा सके।

चीनी उद्योग की तरफ आता हूं। लगभग 100 प्रकार के उद्योग, चीनी उद्योग के बाई प्रोडक्ट्स पर लग सकते हैं। पावर अल्कोहल जैसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। चीनी उद्योग को बाई प्रोडक्ट को काम में लाकर इसे आगे बढ़ाया जाए। रामपुर जनपद सन् 75 से पिछड़ा घोषित जिला है, जहाँ पर कैपिटल सब्सीडी की घोषणा नहीं की गयी है और जो वहाँ पर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेण्टर बनाये गये हैं, न तो उनमें बिजली व्यवस्था सही है और न ही ऋण वितरण प्रणाली सही है और जब यह चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तब तक विकास सम्भव नहीं है। इसलिए जनपद रामपुर में जितने भी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेण्टर हैं, वहाँ पर कैपिटल सब्सीडी व्यवस्था, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था तथा ऋण वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए।

मान्यवर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, परन्तु हमारा जनपद रामपुर 5 वर्ष बाद आजाद हुआ। पाँच वर्ष तक वहाँ के स्टेट के अंतर्गत रहा। स्टेट्स के समय में वहाँ पर 5 बड़े उद्योग थे, जिनमें से अब केवल 3 उद्योग ही रह गये हैं। दूसरे रामपुर जनपद में इन भारी उद्योगों को पुनः उभारने के लिए सरकार से माँग करता हूँ। उसके साथ ही साथ रामपुर में 25 राईस मिलें हैं, जिनमें धान पेरा जाता है, लेकिन उनको बिजली केवल 5, 6 व 8 घंटे ही दी जाती है, इसलिए इन मिलों को स्टैबलाईजर दिये जाएं और इस तरह पूरे प्रदेश में कम से कम 8000 स्टैबलाईजर मुहैया किये जाएं, जिससे यह उद्योग पनप सकें और प्रदेश का हर तरह से विकास हो सके। साथ ही खाने का तेल भी हमको मिले यदि यह व्यवस्था हो जाए, वैसे आज सिर्फ इस तेल से साबुन बनाने का काम लिया जाता है।

उसके साथ ही प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों के बारे जिन 9 जनपदों में जैसे बलिया, झाँसी, अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद तथा रायबरेली आदि में मई, 1982 में यह पारित हुआ था कि सेल्सटैक्स में नोटीफिकेशन डेट 27 जुलाई, 82 से छूट दी जायेगी, परन्तु अब विभाग वाले इस छूट को 1-10-82 से देने को कह रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि वे नोटीफिकेशन की तारीख 27 जुलाई, 82 से छूट को घोषित करें। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि बहराईच में काफी जंगलात हैं। नानपारा तहसील में वहाँ के उद्यमी एक कागज का कारखाना लगाना चाहते है, क्योंकि वहाँ पर कच्चामाल ज्यादा उपलब्ध है, उसके साथ ही एक्सपोर्ट कारपोरेशन उद्यमियों के कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा व महाराष्ट्र आदि के हैं, उसी प्रकार से यहाँ काम नहीं होते हैं इसकी आवश्यकता है। और मान्यवर, यहाँ पर ज्यादातर उद्योग फेल हो चुके हैं खाऊ अफसरों की वजह से, इस ओर भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सल्फर इण्डिया उन्नाव, अपार केमिकल उन्नाव, यू0 पी0 टायर ट्यूब रायबरेली आदि सब उद्योग पूरी तरह से फेल हो गये हैं। इसी के साथ ही डायरेक्टर आफ

इण्डस्ट्रीज को जो कार्य अपना करना चाहिए, वह नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उद्यमियों को परेशान किया जाता है। जो काम 10 दिन में आमतौर पर हो जाना चाहिए उसमें 10 माह लगाए जाते हैं।

मान्यवर, साथ ही एक सीमेंट कजरहट चुनार परियोजना है, जो करीब 100 करोड़ रु0 की योजना है। इसमें उन लोगों की जमीन सरकार ने ली थी उन 75 परिवारों को बेघर कर दिया गया और उनको कोई नौकरी भी नहीं दी गयी। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनको पुन: नौकरी पर लगाया जाय। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि विस्तारपूर्वक मंत्री जी, जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका आप उत्तर दें और भ्रष्टाचार जो कि आपके विभाग में आ गया है, उसको दूर करने का प्रयास करें।

*श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी जो दोनों पक्ष से माननीय सदस्यों के विचार आये उससे काफी बात सामने आयीं। यह भी मान्यवर, सही है कि आज उद्योग के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में जितना काम होना चाहिये था, उतना हमारे यहां नहीं हुआ है। यह बात मैंने पहले भी अपने भाषण में कही थी और फिर कह रहा हूं, इसको मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु माननीय सदस्यों को यह भी देखना चाहिये कि इन उद्योगों में क्या कारण है जो कि प्रत्याशित प्रगति नहीं हो पायी है। जब हम उद्योग लगाने की बात करते हैं और आप भी चाहते हैं कि पूंजीपति उद्योग न लगाये तो सोचना पड़ेगा कि फिर कैसे उद्योग को लगाया जाय? यह सोचना पड़ेगा कि हमको उद्योग लगाना है या नहीं? सरकार के पास यदि इतने ही साधन होते तो फिर उद्योग को लगा कर क्या होता?

मान्यवर, बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां कि उद्योग लगाने के लिये सुविधा प्रदान की जाती है, लोग उनको बुलाते हैं, उनको सम्मान प्रदान करते हैं, जहां पर उद्योग लगाने वाले का सम्मान न किया जाय, उनको भला बुरा कहा जाय तो फिर ऐसे उद्योग नहीं लग पायेगा। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इतनी हड़ताल हुई, कारखानों को बन्दी कराया जाता है जिसके कारण बेचारे लेबर मारे-मारे फिरते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कौन लोग इसे करा रहे हैं? यदि उद्योग लगाना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उद्योग में लगने वाले लोगों को सुविधा मिले, उनको रोजगार मिले लेकिन साथ ही साथ वह उद्योग चालू भी रहे। जो लोग लेबर के हिमायती बनते हैं वे सही मायने में उनके हिमायती नहीं बल्कि उनके दुश्मन हैं।

सरकार ने तो निश्चय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाये जायगे। यदि हम यहां उद्योग नहीं लगाते हैं तो हम उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पापुलेशन को किसी तरह से नहीं चला सकते हैं। उद्योग लगाने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमने यह भी देखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि जो हमने बजट पेश किया उसमें यह भी लिखा है ग्राम एवं लघु उद्योग के लिये 26,91,02,000 रुपए और भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिये 5,83,30,000 रुपए। मान्यवर, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि 3/4 हिस्सा सारे छोटे उद्योगों और ग्राम उद्योगों के लिये रखा गया है। हमारा ध्यान खासतौर से छोटे उद्योगों पर है। हम चाहते हैं कि घर-घर में उद्योग हों और जिसके जरिये से हर घर के लोग खुशहाल हों।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि हमारे यहां एक खादी ग्राम्योद्योग के नाम से एक संस्था थी जो कि अच्छा काम नहीं कर रही थी, उसको भी हमने बदला है। अब हमने ऐसी योजना बनाई है कि कम से कम हर ब्लाक में उद्योग धन्धे लगें। हमारे 886 ब्लाकों में उद्योग लगाये जायेंगे। आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत जो कि बिलो पावर्टी लाईन के लोग हैं, जो कि गरीबी को रेखा से नीचे के लोग हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। हम हर ब्लाक में कम से कम 100 उद्योग लगायेंगे जो कि गरीबी रेखा से नीचे को लोगों को दिये जायेंगे। हमने यह कर दिया है कि कम से कम 2 लाख का एक उद्योग जरूर लग जाये। ब्लाक में अगर लगेगा तो उसकी देखी देखा और भी लोग उद्योग लगाने के लिए उत्साहित होंगे हम प्रयास कर रहे हैं कि इस काम को कैसे किया जाये। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगें।

मान्यवर, कुछ बातें माननीय सदस्यों ने उठायी, उनको ओर मैं प्वाइन्ट आउट करना चाहता हूं। एक बात तो कोयले के वितरण की कही गयी, कि कोयले का वितरण जो होता है, ठीक प्रकार से नहीं होता है जिसके कारण उद्योग ठप हो जाते हैं। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोयले की कमी है। हमारे पास रेलवे का 90 हजार बैगन का मूवमेंट है जिसमें से 20-22 हजार बैगन मिलता है। हमने यह किया है कि जो उद्योग चल रहे हैं उन्हीं को दिया जाये। एक शिकायत यह की गयी है कि कोयला ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जो कोई उद्योग नहीं चलाते हैं उसका ब्लैक कर लेते हैं, तो मैंने इस चीज की व्यवस्था कर दी है कि कोयला उन्हीं उद्योगों को दिया जाये जो चल रहे हैं। उनकी सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको करेंगे। रामैटेरियल के बारे में कोई प्राब्लम नहीं है। श्री सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि उनके यहां पर कालीन उद्योग लगाया जाये।

मान्यवर, कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। डिजाइन सेंटर आदि खोले गये हैं, जिससे लोग डिजाइन के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और उसकी जानकारी उनको हो सके। इससे काफी सहायता मिलेगी। मान्यवर, बनारस में जरी उद्योग के बारे में कहा गया। सिल्क हमें बाहर कर्नाटक से मंगाना पड़ता है। एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमें रेशम न मिले तो उस समय हम कठिनाई में पड़ जायेंगे। इसलिए हम अभी से सजग और सतर्क हैं कि रेशम का उत्पादन हमारे प्रदेश में होने लगे। हम सेरीकल्चर को प्रोत्साहन दे रहे हैं। शहतूत के पेड़ लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिससे रेशम के कीड़े पाले जा सकें और रेशम हमें उपलब्ध हो सके। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के उद्योगों की ओर अभी ध्यान आकृष्ट किया गया, हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमें सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रानिक्स के उद्योग वहां पर चलाने का प्रयास किया जायेगा। बनारस में पीतल उद्योग की बात कही गयी है। वहां पर एक प्रशिक्षण

केन्द्र काम कर रहा है। भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां पर 6 डिजाइन एवं करनिशिंग केन्द्र प्रशिक्षण दे रहे हैं और भारत सरकार का एक संस्थान भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रानिक निगम भी काम कर रहा है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी ने महिलाओं के बारे में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि देहात में जो महिलायें हैं उनको काम देने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में महिलाओं को काम दिया गया है। जौनपुर में ऐसा ही हम सोच रहे हैं। जौनपुर में भी हम इसके बारे में सोच रहे हैं। मान्यवर, हमारा प्रयास है कि जहां पर जो भी उद्योग लगाये जा सकते हों, वहां वह लगाये जायं और विशेष रूप से गांव में रहने वाली महिलाओं को जो गरीब हैं बेसहारा हैं उनके लिये अम्बर चरखा और दूसरे और काम जो कि महिलायें कर सकती हैं, उनके लिये उद्योग लगाये जायेंगे। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा और लघु उद्योग के द्वारा हम महिलाओं को ऐसे कामों में वरीयता देंगे।

बिजली के बारे में कहा गया। यह बात सही है कि यहां पर बिजली की समस्या है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमने उद्योगों में बिजली की कटौती नहीं की है। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसा कि माननीय बलबीर सिंह ने कहा ग्रामीण लाइन पर जो उद्योग लगे हैं छोटे-मोटे उद्योग हैं, उनके लिये उद्योगों में कटौती नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी समय का ध्यान रखें।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूँ। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं जैसा कि माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि मंहगाई क्यों बढ़ जाती है। मान्यवर, जो सामान बनता है, लेबर की तनख्वाह उसमें शामिल है, वह बढ़ जाती है, रा-मैटीरियल और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज बढ़ जाते हैं इसलिये चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसको कोई बढ़ाता नहीं। स्थिति ही ऐसी पैदा हो जाती है।

मान्यवर, यह भी शिकायत आती थी कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उन लोगों की बात नहीं सुनते हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज कोई नहीं कह सकता है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उद्यमियों को प्रोत्साहन नहीं देते या उनकी सुनते नहीं हैं। जो कोई कहीं पर उद्योग लगाना चाहता है उसे हमारे अधिकारी अटेण्ड करते हैं और ध्यान देकर काम करते हैं। हमने विभाग में चुस्ती लाने के लिये काफी कठोर कदम उठाये हैं। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाये गये थे उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। 5 राजपत्रित अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। खादी ग्रामोद्योग के सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किया गया है और कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। कई मामलों में अभी जांच चल भी रही है।

इसके अतिरिक्त मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक भी आदमी गलत काम करते हुये पाया गया तो वह छोड़ा नहीं जायेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। हथकरघा निगम के अन्तर्गत 11 आदमियों की सेवायें समाप्त की हैं और 32 अधिकारी निलंबित किये हैं। बड़े पैमाने पर शिकायत की गई है उसके आधार पर हमने कार्यवाही की है। मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उद्योग के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कम बजट होते हुये भी हमने पूरा प्रयास उद्योग बढ़ाने के लिये किया है। माननीय सदस्यों को इस बात को देखना चाहिए कि इसके लिये बजट कम है इसे बढ़ाया जाना चाहिए। कटौती का प्रस्ताव इसमें नहीं करना चाहिए। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। बजट भी कम हो और कटौती का प्रस्ताव भी लायें। हर दिशा में उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी और उद्योग लगाये जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बजट को पास करें और कटौती का प्रस्ताव माननीय विरोध के साथी वापस ले।

श्री यदुनाथ सिंह--

सीमेन्ट के कारखानों के बारे में तो आप बोले ही नहीं।

श्री बलबीर सिंह--

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री खैरुल बशर--

आपने अपने लम्बे चौड़े भाषण में बुनकरों के विषय में कुछ नहीं कहा। स्पष्टीकरण उनके बारे में भी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम व लघु उद्योग) के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,91,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी व मध्यम उद्योग) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,02,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष ने अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ।

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अंतर्गत मुझे कुल 6 सूचनाएँ प्राप्त हुई जिनमें से श्री मित्रसेन, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री राम आसरे वर्मा, श्रीमसरूर जाफरी, श्री खैरुल बशर, श्री परमाई लाल की विष्णु स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री, मोतीनगर फैजाबाद के मजदूरों को निकाल दिये जाने के संबंध में है, को ही स्वीकार किया शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री यदुनाथ सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, दर्शक दीर्घा से सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाये गये उस पर क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं उसे देखूंगा।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983

*श्री रामगोविन्द---

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, यह जो अध्यादेश हुआ है और इसको आज जो सदन में लाया गया है यह सदन का अवमान करना है। इसके पहले भी इन्होंने इस अध्यादेश को इश्यू किया था और उसके बाद दोनों सदन चले थे लेकिन इनकी अकर्मण्यता के कारण लैप्स हो गया और पुनः जब विधान सभा का सत्र चल रहा था तो पुनः इसको इश्यू करने के लिये अध्यादेश लागू करने के लिये विधान परिषद् का सत्रावसान किया और फिर इन्होंने एक अध्यादेश लागू कर दिया, यह इनकी अकर्मण्यता की निशानी है। इसमें नगरमहापालिका, नगर पालिका, टाऊन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज में जितना धन खर्च होता था उसका आडिट यह अपने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से करवाते थे, जो विश्व बैंक इनको रुपया जिन योजनाओं पर खर्च करने के लिये दिया था उन योजनाओं पर उस रुपये को खर्च न करके इल्लीगल कामों में खर्च किया गया, बेकार के कामों में पैसा घोटाले में खर्च किया और वह पैसा इनके अधिकारियों की जेब में जा रहा है, इसलिये विश्व बैंक ने मना कर दिया कि जब तक आप महालेखाकार के अधीन संस्थाओं से आडिट नहीं करवायेंगे तब तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे। विश्व बैंक ने कहा कि हम आपको पैसा विकास की योजनाओं को लागू करने के लिये देते हैं और निरीक्षण करने पर पाया कि सारा पैसा घोटाले में चला गया और उससे कोई विकास का काम नहीं हुआ इसलिये जो विश्व बैंक के आधार पर योजनायें बनी थीं वह ज्यों की त्यों रह गयीं, इसलिये हम पैसा नहीं देंगे।

मान्यवर, विश्व बैंक से इन्होंने काफी पैसा लिया जैसे कि नगरों में सीवेज पाईप लाईन बिछाने के लिये जिससे नगरों में गंदे पानी का बहाव हो सके चूंकि गंदे पानी से बीमारियाँ फैलती हैं इसलिये दवा की व्यवस्था एवं सीवेज लाईन की योजना बनी थी, यह योजना टाऊन एरिया, नोटीफाइड एरियाज, नगर पालिका और नगर महापालिकाओं में सीवेज लाईन बिछाकर नगरों को स्वच्छ रखने की योजना थी लेकिन इस पर इन्होंने पैसा नहीं खर्च किया। 20 वर्ष पहले जो सीवेज की योजनायें बनी थीं वह कहीं भी पूरी नहीं हुई हैं और यहां तक कि—अब उन योजनाओं के नक्शे तक गायब हो गये हैं। इसलिये यह योजनायें बीच में ज्यों की त्यों पड़ी हैं, इसीलिये विश्व बैंक ने हस्तक्षेप किया और कहा कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, योजनायें रुकी पड़ी हैं और जो आडिट कराते हैं उस पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिये मैं तभी पैसा दूंगा जब ए0 जी0 के अधीन संस्थाओं से आप अपने एकाउन्टस का आडिट करवायेंगे।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में सीवेज पाईप लाईन बिछाने की योजना 10 वर्ष पुरानी है और आजतक वहां कोई भी काम नहीं हो पाया है। वहां का नक्शा तक नहीं मिल रहा है। यही हालत बलिया और गोंडा की है। बलिया में 8 वर्ष पहले यह योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन इनके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उस पैसे को दूसरे कार्यों में उपयोग करके सारा पैसा रख लिया और वह योजना ज्यों की त्यों है। नक्शे में जहां सीवेज लाईन की व्यवस्था थी वहां मकान बन गये हैं, अनाधिकृत कब्जा लोगों ने कर लिया है और अब वहां जगह नहीं है कि इनकी सीवेज लाईन योजना वहां बन सके। तो इसलिए महालेखा परीक्षक ने इनको जब चेतावनी दिया और धन न देने की बात कही, तब यह यहाँ पर उसमें एक संशोधन प्रस्ताव ले आए हैं कि अब हम आपके विभाग के माध्यम से आडिट करायेंगे। इससे बड़ी कोई और बेइज्जती उत्तर प्रदेश सरकार की हो नहीं सकती है। इस तरह से जो एजेंसी पैसा दे, उसके पैसे को खा जाना, बड़ी शर्मनाक बात है और उनका यह कहना कि आपका आडिट सेल अविश्वसनीय है, आपके लिए बड़ी-अपमानजनक बात है। इसलिए मंत्री जी इसको वापस ले लें और इसे जनता में भेजकर इसका परिचालन करवायें, इंजीनियरों और टेकनिकल आदमियों से आप इसमें राय लें। फिर उसको आप संशोधित रूप में यहां ले आवें, तब हम उसे पास कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

सदन की तरफ आप मान्यवर, अपनी नजर डालें, मैं व्यवस्था चाहता हूं, जो माननीय सदस्य यहां ज्यादातर बराबर बैठे रहते हैं उसको आपको बोलने का समय देना चाहिए। लेकिन और लोग बोल देते हैं और बोलने के बाद यहां से चले जाते हैं, इससे सदन की गरिमा गिरती है।

(कई सदस्य—बात बिलकुल सही है)

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, प्रवर समिति का प्रस्ताव रखेंगे।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

आवास एवं नगर विकास मन्त्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(इस समय 5 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफ़रान जाह्दी पीठासीन हुए)

मान्यवर, इसमें बहुत सीधी सी बात है, 22 में यह संशोधन हुआ है कि महालेखाकार इसका आडिट कर लें बजाए स्थानीय निकाय निधि लेखा परीक्षक के (व्यवधान) मैंने अब यह रख दिया है, इसमें आपकी बात भी आ जाएगी, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है और जहां तक इसका ताल्लुक है जो आपने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल होता रहा, तो यह ऐसी कोई बात नहीं है। आपने यह भी कहा कि विश्व बैंक ने यह कहा, तो यह भी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि आपके विभाग के बजाए कोई इन्डिपेन्डेंट अथारिटी हो। तो मैंने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि उसमें हमारी कोई बदनीयती नहीं थी। यह तो उसको बेहतर करने के लिए है, इसे हमने किया है, इसका आपको भी समर्थन करना चाहिए। गलत है तब तो आप आलोचना करें, लेकिन जब से सही कर लिया उसका तो आप समर्थन करें। और हमें आपको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इसके साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इसको आप पास करें और यह आगे चले।

(व्यवधान)

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय खन्ना जी ने जो संशोधन पेश किया है, जो आपने नीयत की बात कही है, तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि इसमें खन्ना जी की नीयत पर कोई शक की बात हो। प्रश्न आपके विभाग का है। विश्व बैंक ने यह कहा कि आपके विभाग के बजाए कोई स्वतन्त्र निकाय उसका आडिट करे, तो यह प्रश्न पैदा ही क्यों हुआ। यह तो शक और सन्देह आपके विभाग पर है। उसकी जो कार्य पद्धति रही है, स्थानीय लेखा निधि परीक्षक जो जांच करते चले आ रहे हैं, उसके कार्यकलापों और गड़बड़ियों के साथ मिलीभगत रहने की बात जब विश्व बैंक के सामने आई तो उन्होंने सोचा यह हम जो पैसा आपके विभाग को देते हैं, उसका परीक्षण यदि ए0 जी0 के द्वारा नहीं होता है तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि विश्व बैंक ने यह प्राविधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके आपके विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती सी दे दिया है। यह आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती है कि उन्होंने आपकी निधि लेखा परीक्षा पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको अगर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, तो कोई बहुत बड़ी अनुचित बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 22 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

लेखा और लेखा-परीक्षा

"22(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखा का एक वार्षिक विवरण-पत्र जिसके अन्तर्गत तुलना-पत्र भी है, ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकरण के लेखा का परीक्षण प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के स्थान पर या उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर जो उसके और राज्य सरकार के बीच तय पाये, सौंप सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार—

(एक) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जो उसे स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा के संबंध में होते हैं;

(दो) यथास्थिति, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जो उसे सरकारी लेखा की परीक्षा के संबंध में होते हैं; और

(तीन) किसी अन्य लेखा परीक्षक की स्थित में वही होंगे जैसा विहित किया जाय;

और विशेषतया, उसे बहियां, लेखा, सम्बद्ध वाउचर, कागज और अन्य दस्तावेज पेश किये जाने की मांग करने का और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) लेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण का लेखा तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष या ऐसे समय पर, जैसा उसके द्वारा निर्देश दिया जाय, भेजा जायगा। राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे और प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगा।

(5) लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षक को देय होगा।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 1982

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) यह 5 अक्टूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मंजूर अहमद को खण्ड 3 में संशोधन हेतु पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मद संख्या 13 के लिये नगर विकास मंत्री जी को पुकारा गया।)

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रार्थना करूँगा कि इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि मद संख्या 13 को स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

एक सदस्य—

मान्यवर, यह तो पास हो गया।

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने इसको स्थगित करने की मांग की। यह सदन का काम है कि माने या न माने।

श्री रियासत हुसैन—

आप 13वें आइटम को हाउस में लाते ही नहीं। यह सदन की प्रापरटी नहीं बनता।

श्री राम औतार दीक्षित—

13 को टेकअप ही नहीं किया गया। तो यह सवाल ही नहीं उठता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं। सोमवार को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 22 मिनट पर सोमवार, 21 मार्च 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
18 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्नसंख्या-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर।)

संख्या 987/दस--सं0 वि0-3(1)-82

प्रेषक,

जे0 एल0 बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय :--प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता।

महोदय, लखनऊ, दिनांक 20 मई, 1982

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राजकीय व्यय में यथासम्भव अधिकाधिक मितव्ययता करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्व में इस विषय पर प्रसारित आदेशों का अतिक्रमण करते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि गत वर्षों की भांति वर्ष 1982-83 में मितव्ययता के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएं :--

1--पदों का सृजन एवं नियुक्तियां :

(क) (1) यथासम्भव नये आयोजनेतर पद सृजित नहीं किये जाएं। आयोजनागत पक्ष में भी यथासम्भव प्राविधिक तथा परिचालन (टेकनिकल एण्ड आपरेशनल) पदों को ही सृजित किया जाए)। उक्त प्रतिबंध चतुर्थ श्रेणी के अधीन पदों के सृजन पर भी सामान्य रूप से लागू होगा। अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति आन्तरिक समायोजन से सुनिश्चित की जाय।

(2) यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन आवश्यक हो तो आदेश प्रशासकीय सचिव तथा वित्त सचिव की सहमति से जारी किये जाएं। जिन द्वितीय व प्रथम श्रेणी के पदों के वेतनमान की अधिकतम सीमा 2,000 रु0 से कम है उनकी स्वीकृति प्रशासकीय विभाग के सचिव/वित्त सचिव/मुख्य सचिव के अनुमोदन के पश्चात दी जाए और जिन पदों के वेतनमान की सीमा 2,000 रु0 से अधिक है उनके सृजन के प्रस्तावों पर वित्त मंत्री जी/मुख्य मंत्री जी की भी अनुमति प्राप्त की जाए।

(ख) राजकीय निगमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि में भी जिन पदों का वेतनमान 2,000 रु0 मासिक की सीमा से अधिक हो उनका सृजन अथवा उन पर नियुक्ति

शासन की पूर्व अनुमति के बाद ही की जाए और जिस प्रस्ताव में शासन पर वित्तीय भार डालने का प्रश्न हो उसे बगैर शासन की पूर्व अनुमति के न कार्यान्वित किया जाए और न ही उसके लिये कोई वचनबद्धता की जाए।

2--रिक्तियों की पूर्ति :

(क) आयोजनागत योजनाओं की पद रिक्तियों की पूर्ति यथासम्भव आयोजनेतर पक्ष के स्टाफ को स्थानान्तरित करके ही की जाएतथा इस प्रकार प्रभावित होने वाले आयोजनेतर पदों को रिक्त रखा जाय। इसके लिये प्रत्येक प्रशासकीय विभाग को चाहिए कि वे आयोजनागत पदों की अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन करके उनकी पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें और जब भी आयोजनागत पक्ष में पदों के सृजन के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजे जाएं तो उनके साथ आयोजनेतर पक्ष से स्टाफ को हस्तान्तरित करने तथा प्रभावित होने वाले आयोजनेतर पद को रिक्त रखने का प्रस्ताव भी अवश्य उपलब्ध किया जाए।

(ख) अल्पकालिक तथा अवकाश रिक्तियों में स्थानापन्न प्रोन्नति देकर काम चलाया जाए। प्रबन्ध शृंखला के अन्तिम पद को जिस पर स्थानापन्न प्रोन्नति सम्भव नहीं है, अवकाश अवधि में भरा जा सकता है, यदि ऐसा करना शासकीय कार्य की दृष्टि से अत्यावश्यक हो।

(ग) दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के सभी रिक्त पदों को तात्कालिक प्रभाव से समर्पित माना जाएगा तथा छः माह से अधिक के रिक्त पदों को भरा नहीं जा सकेगा। अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी पद को बनाए रखना अथवा भरना नितान्त आवश्यक हो तो उसके लिये शासन की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति, मृत्यु, प्रतिनियुक्ति, अथवा विभाग को स्थायी रूप से छोड़ कर जाने के कारण रिक्त होने वाले पदों को भरा जा सकता है किन्तु ऐसे पद यदि छः माह से अधिक अवधि से खाली हों तो उनके बारे में भी उपरोक्तानुसार शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। यह प्रतिबन्ध आयोजनागत पक्ष के रिक्त तकनीकी पदों तथा उन पदों पर जिनमें विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

3--दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियुक्ति :

(क) सरकारी कार्यालयों में दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की भरती केवल वर्तमान स्वीकृत पदों के समक्ष की जाए। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में दैनिक वेतन पर अतिरिक्त भरती नहीं की जाएगी।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

4--नई योजनायें :

(क) नई योजनायें "स्टाफ ओरियेन्टेड" न होकर "प्रोग्राम ओरिएन्टेड" बनाई जाएं। सभी पुरानी योजनाओं (आयोजनागत तथा आयोजनेतर दोनों पक्षों की) का विस्तृत परिनिरीक्षण तथा "जीरो बजटिंग" के सिद्धान्त पर मूल्यांकन किया जाए जिससे यह पता

चल सके कि कौन सी योजनायें अनुपयोगी हैं जिन्हें समाप्त किया जा सकता है अथवा आवश्यक संशोधन कर कम व्यय करके चलाई जा सकती है। जिन अनावश्यक योजनाओं को बन्द करने का निर्णय लिया जाता है उन पर कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी वरन् आयोजनागत मदों में सृजित "फंकशनल" पदों में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

(ख) नई योजनाओं के लिये नया स्टाफ तभी स्वीकृत किया जाए जब सभी पुरानी योजनाओं पर कार्यरत स्टाफ के बारे में विस्तृत परीक्षण करने के बाद यह निश्चित हो जाए कि पुरानी योजनाओं के स्टाफ को नई योजना हेतु व्यावर्तित (डाइवर्ट) करने की बिल्कुल संभावना नहीं है।

5—नये भवनों का निर्माण :

भवन निर्माण में मंहगी भवन सामग्री के बजाय "स्टैन्डर्ड सिम्पुल स्पेसीफिकेशन्स" को अपना कर निर्माण व्यय में मितव्ययता की जाए। आडम्बरी और सजावटी निर्माण कार्य बिल्कुल न किये जाएं। साज-सज्जा पर होने वाले व्यय को कम किया जाए और अनावश्यक वस्तुओं का क्रय न किया जाए।

6—भवनों की मरम्मत :

राजकीय भवनों तथा साज-सज्जा की मरम्मत एवं नवीनीकरण पर आडम्बरी व्यय न किये जाए।

7—यात्रा व्यय में मितव्ययता :

(क) यात्रा व्यय पर कम से कम व्यय किया जाए। शासकीय कार्य के लिये की जाने वाली यात्रा को आवश्यक एवं अपरहार्य कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही सीमित रखा जाए और जहां तक सम्भव हो केवल अत्यन्त आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलन, विचार गोष्ठियों और बैठकों आदि में भाग लेने के लिए भेजा जाए। सरकारी दौरों में, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अधिकारी अपना "पर्सनल" स्टाफ साथ न ले जाएं। यह प्रतिबन्ध दिल्ली यात्रा के संबंध में भी नियमित रूप से लागू रहेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त "रोटेशनल" स्थानान्तरण भी सीमित कर दिये जाएं।

(ग) हवाई यात्रा के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग—4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-9/दस-82-601/79, दिनांक 1 जनवरी, 1982 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए और ऐसे सभी मामलों में जहां किसी गैर-हकदार कर्मचारी/अधिकारी को जनहित में दौरे पर वायुयान से यात्रा करना अपरिहार्य हो, वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और वायुयान से यात्रायें तभी प्रस्तावित की जाएं जब कि विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियां विद्यमान हों जैसे आकस्मिक रूप से अल्प सूचना पर किसी गन्तव्य स्थान पर पहुंचना आवश्यक हो और रेल मार्ग से यात्रा किया जाना सम्भव न हो। विशेष परिस्थिति व जनहित में यदि एक ओर की यात्रा वायुयान से की भी जाती है तो वापसी यात्रा नियमानुसार रेल/सड़क जैसी स्थिति हो, से की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त

ऐसे मार्गों में जिनके मध्य तेज एवं सुविधाजनक रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं, वायुयान से यात्रायें न की जाएं।

8—मानदेय में मितव्ययता :

मानदेय सामान्य रूप से न दिया जाय बल्कि विशिष्ट सेवाओं और अतिरिक्त कार्य व परिश्रम के लिये ही स्वीकृत किया जाए और एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को केवल एक ही स्रोत से मानदेय दिया जाए। इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय और इनमें कोई शिथिलता न बरती जाय।

9—कान्फ्रेंन्स, सेमीनार और मीटिंग्स पर प्रतिबन्ध :—

उन्हीं कान्फ्रेन्स, सेमीनार और मीटिंग्स को आयोजित किया जाए जिनका आयोजन सार्वजनिक हित में नितान्त आवश्यक हो।

10—बिजली का व्यय :—

सामान्य उपयोग तथा विशेष अवसरों पर कार्यालय इत्यादि में बिजली के खर्च में अधिकाधिक मितव्ययता बरती जाए।

11—राजकीय मनोरंजन तथा सत्कार :

राजकीय सत्कारों के अवसर पर पूर्ण शालीनता बरती जाय और राजकीय मनोरंजन तथा सत्कारों पर कम से कम व्यय किया जाए।

12—पेट्रोल तथा राजकीय गाड़ियों पर व्यय :

(क) स्टाफ कारों का प्रयोग कम से कम किया जाए।

(ख) कोई भी अधिकारी उन क्षेत्रों का दौरा सरकारी वाहन/स्टाफ कार द्वारा नहीं करें जहां के लिये रेल यात्रा उपलब्ध हो। यदि किसी अनिवार्य परिस्थिति में स्टाफ कार/राजकीय वाहन से दौरा करना अनिवार्य हो तो उसके लिए :

(1) जिला स्तर अधिकारी/अन्तर जिला यात्रा करने के लिये अपने मंडलीय अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करें। अगर उनका कोई मण्डलीय अधिकारी न हो तो वे अपने विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करें।

(2) मण्डलीय स्तर के अधिकारी मण्डल के बाहर की यात्रा के लिये विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिखित रूप में प्राप्त न करें।

(3) सामान्य तौर पर विभागाध्यक्षों द्वारा 100 कि0 मी0 के अन्दर की यात्राएं सरकारी वाहन।स्टाफ कार द्वारा की जा सकेंगी पर अपने किसी एक दौरे में एक तरफ की दूरी 100 कि0 मी0 से अधिक होने पर विभागीय सचिव की पूर्व अनुमति लिखित रूप में वे प्राप्त करें।

(4) सचिवालय के अधिकारियों के लिए भी विभागाध्यक्षों की तरह प्रतिबन्ध होगा लेकिन अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यात्रा करना आवश्यक हो तो वह अपने विभाग के मंत्री से लिखित अनुमति प्राप्त करें।

(5) पर्वतीय क्षेत्र में स्टाफ कार द्वारा दौरे पर पूरा प्रतिबन्ध रहेगा जब तक कि कोई अपरिहार्य कारण न हो, जिसके लिए प्रशासनिक विभाग के सचिव की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सचिवालय अधिकारियों के लिए उनके विभाग के मंत्री की लिखित अनुमति आवश्यक होगी।

(ग) पेट्रोल तथा डीजल की खपत में अधिकाधिक कमी की जाए। इसके लिये यह आवश्यक है कि राजकीय वाहनों का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल के क्रय पर व्यय कम से कम हो और आय-व्ययक में इस हेतु व्यवस्थित धनराशि से किसी भी हालत में अधिक न होने पाये। इस मद पर व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति अथवा पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद की मदों में किसी भी नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोई पुनर्वितरण अथवा पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा, केवल उन योजनाओं को छोड़कर जिनमें केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध है और पुनर्वितरण तथा पुनर्विनियोग संबंधी जो अधिकार नियंत्रण अधिकारियों को बजट मैनुअल अथवा किसी अन्य शासनादेश द्वारा प्रदत्त हैं वे उस समय तक प्रत्याहरित समझे जायेंगे जब तक अन्य आदेश नहीं होते। यदि किसी योजना में केन्द्रीय सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संघ से शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध है तो उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि तक व्यय किया जा सकेगा यदि संबंधित अनुदान में धन उपलब्ध है।

(ङ) नई स्टाफ कार अथवा जीप न खरीदी जाए। जहां तक नई ट्रकों के क्रय किये जाने तथा पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों के क्रय का प्रश्न है, ऐसे सभी मामलों में शासन के संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। यह प्रतिबन्ध उन प्रयोजनाओं सम्बन्धी मोटर गाड़ियों के क्रय पर लागू नहीं होगा जिनका पूरा व्यय भारत सरकार वहन करती है।

विशेष परिस्थितियों में नई जीप अथवा स्टाफ कार के क्रय के लिये प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के सचिव/वित्त सचिव/मुख्य सचिव की अनुमति के पश्चात् वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत किये जाएं।

13—लेखन सामग्री :

लेखन सामग्री में अधिकाधिक मितव्ययता बरती जाए और इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव के आदेश संख्या ई0 पी0 एस0 817/दस-1974, दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में निहित आदेशों का पूरी तत्परता से पालन किया जाए।

14—डाक व्यय :

डाक व्यय में आधिकाधिक मितव्ययता की जाए। यथासंभव तारों के स्थान पर

"तुरन्त डाक सेवा" का उपयोग किया जाए। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या आर0 एम0 एस0 1442/दस-45 (1)-76, दिनांक 6 अक्तूबर, 1976 तथा शासनादेश संख्या आर0 एम0 एस0 3240/दस-43-75, दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 में दिये गए निर्देशों का पालन किया जाए। पोस्टकार्ड रिमाइंडर, एकनालेजमेन्ट कार्ड्स, सन्तर्देशीय प्रपत्रों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

15—सामग्री क्रय :

इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2009/दस-106/81 दिनांक 2 सितम्बर, 1981, में दिये गए निर्देशों का पालन किया जाए और वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में विशेषकर उसके अन्तिम दिनों में बड़ी संख्या में बिलों को भुगतानार्थ प्रस्तुत न किया जाए बल्कि पूरे वित्तीय वर्ष में व्यय एक समान आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाए।

16—टेलीफोन :

"नो डिले सर्विस" व "इमीडिएट काल" का उपयोग न्यूनतम किया जाए।

17—एयर कन्डीशनर्स :

एयर-कन्डीशनर्स बिल्कुल न खरीदे जाएं।

18—बधाई सन्देश :

नव वर्ष, होली, दीवाली आदि विभिन्न अवसरों पर बधाई सन्देशों आदि के भेजने पर कोई व्यय न किया जाए।

निगमों द्वारा उनके वार्षिक व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध निदेशक कुल व्यय इस मद में 100 रु0 से 500 रु0 तक से अधिक न होने की व्यवस्था करें।

2—अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें और इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कमचारियों को भी पालन हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज,
सचिव।

पृष्ठांकन सं0 987 (1) /दस-सं0 वि0-3 (1)-82, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि शासन के समस्त सचिवों को (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ विभिन्न विभागों और अपने विभाग से

सम्बन्धित निकायों, निगमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को इस शासनादेश की प्रति-लिपि भेज कर यह सुनिश्चित कर लें कि इसका पूर्णतया पालन किया जा रहा है।

आज्ञा से,

जे0 एल0 बजाज,

सचिव।

पृष्ठांकन सं0 987 (2)/दस—सं0वि0-3(1)-82 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(2) महालेखाकार, 1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

ओ0 पी0 अग्रवाल,

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या 78/दस-सं0 वि0—1983

प्रेषक

श्री जे0 एल0 बजाज,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश। लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 1983।

विषय :—प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता।

महोदय,

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-987/दस—सं0 वि0-3 (1)-82, दिनांक 20 मई, 1982 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :—

(1) वर्तमान आदेशानुसार दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के सभी रिक्त पदों को समर्पित माना जाता है तथा छः माह से अधिक के रिक्त पदों को भरा नहीं जा सकता। अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी

पद को बनाये रखना अथवा भरना नितान्त आवश्यक हो तो उसके लिए शासन की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। यह प्रतिबन्ध आयोजनागत पक्ष के रिक्त तकनीकी पदों तथा उन पदों पर जिनमें विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है, लागू नहीं हैं। शासन की जानकारी में यह आ रहा है कि इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है वरन् इस प्रकार के रिक्त पदों को बिना शासन की पूर्व अनुमति के भरा जाता है।

अत: अनुरोध है कि कृपया इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(2) उपरोक्त शासनादेश में यह आदेश भी हैं कि यथासम्भव नये आयोजनेतर पद सृजित नहीं किये जायें और आयोजनागत पक्ष में भी यथा-सम्भव प्राविधिक तथा परिचालन पदों को ही सृजित किया जाय, परन्तु इन आदेशों का भी वास्तव में पालन नहीं किया जा रहा है। अत: शासन ने यह निर्णय लिया है कि आयोजनेतर पक्ष में पदों के सृजन पर पूर्ण रोक लगा दी जाय और आयोजनागत पक्ष में भी केवल प्राविधिक तथा परि-चालन वर्ग के उन पदों के ही सृजन पर सहमति दी जाए जिन्हें अन्यत्र समायोजन से पूरा करना सम्भव नहीं है।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0 सा-4-1906/दस—81-601-81, दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के अनुसार वे अधिकारी जिनका वेतन नये वेतनमान में 2,400 रु0 अथवा उससे अधिक है, वातानुकूल प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए अर्ह हैं। मितव्ययता की दृष्टि से शासन ने निर्णय लिया है कि इस 2,400 रु0 की सीमा को बढ़ाकर 2,600 रु0 कर दिया जाए। वायुयान से यात्रा करने की सीमा यथावत् 2,400 रु0 ही रहेगी।

(4) शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी नई स्टाफ कार अथवा जीप के क्रय की स्वीकृति अस्थाई तौर से एक वर्ष तक न दी जायगी।

(5) स्टाफ कारों का प्रयोग कम से कम करने के उद्देश्य से वर्तमान आदेश यह हैं कि कोई भी अधिकारी उन क्षेत्रों का दौरा स्टाफ कार से नहीं करेगा जहां के लिए रेल यात्रा उपलब्ध हो। यदि किसी अनिवार्य परिस्थिति में ऐसा करना अनिवार्य हो तो उसके लिए अपने से उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी। सामान्य तौर से किसी एक दौरे में एक तरफ की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक होने पर विभागीय सचिव की पूर्व अनु-मति लिखित रूप से प्राप्त की जायेगी, इत्यादि। शासन की जानकारी में यह आया है कि इन आदेशों का पालन लगभग नहीं किया जा रहा है। अत: अनुरोध है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

जे0 एल0 बजाज,

सचिव।

संख्या : 78 (1)/दस-सं0 वि0 1983—तद्दिनांकित

प्रतिलिपि शासन के समस्त सचिवों को (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ विभिन्न विभागों और अपने विभाग से सम्बन्धित निकायों, निगमों, और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेज कर यह सुनिश्चित कर लें कि इसका पूर्णतया पालन किया जा रहा है।

2—इसके अतिरिक्त आयोजनेतर तथा आयोजनागत दोनों ही प्रकार के पदों के सृजन के लिए (श्रेणी-1 तथा उसके ऊपर) मंत्रि-परिषद् के आदेश प्राप्त किए जाएं।

आज्ञा से,

जे0 एल0 बजाज,

सचिव।

संख्या 78(2) /दस—सं0 वि0-1983-तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(2) महालेखाकार, 1 व 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

ओ0 पी0 अग्रवाल,

विशेष कार्याधिकारी।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—5 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर।)

क्र0 स0	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम	वर्ष	उप पत्रों के साथ जमा कर	आरोपित कर	बकाया कर
1	2	3	4	5	6	7
1	1	सर्वश्री सुरेश प्रसाद, भांग डीलर	80-81	880.00	82,250.00	41,370.00
2	1	,, कृष्ण पुत्र रामग्रौतार, भांग डीलर	81-82	139.75	7,800.00	7,155.00
3	2	,, जंग बहादुर सिंह उमा प्रसाद सिंह आफ श्री गजराज सिंह ताड़ी डीलर	80-81	–	27,000.00	27,000.00
4	2	,, रामखिलावन ताड़ी डीलर	81-82	3,920.00	20,000.00	16,080.00
5	2	उक्त	82-83	2,126.00	वाद अविस्तारित	×
6	3	,, सुरेश चन्द्र पुत्र हरीचन्द्र, ताड़ी डीलर	80-81	–	उक्त	×
7	3	,, रमेशे चन्द्र पुत्र श्री रामकुमार ताड़ी डीलर	80-81	–	उक्त	×
8	3	,, भोलानाथ पुत्र गया प्रसाद भांग डीलर	80-81	–	–	–
9	3	,, श्री राम गोपाल पुत्र माता प्रसाद ताड़ी डीलर	81-82	–	32,000.00	32,000.00
10	3	,, सुरेन्द्रकुमार जैसवाल, भांग डीलर	81-82	862.40	अपील से रिमाण्ड	–
11	3	,, मनोहर लाल गुप्ता पुत्र श्रीराम भारोसे भांग डीलर	81-82	–	–	–
12	3	,, संतोष कुमार पुत्र राम दास भांग डीलर	82-83		34,300.00	34,300.00
13	4	,, कौशल किशोर, तिलक नगर, ताड़ी डीलर	80-81	4,670.00	56,000.00	51,330.00
						58.40 ब्याज

1	3	3	4	5	6	7
14	5	सर्वश्री राकेश एण्ड कं0 भांग डीलर कैसरबाग	80-81	13,199.12	26,000.00	8,747.88
15	5	,, उक्त	81-82	30,223.50	43,310.00	15,086.50
16	5	,, शीतलप्रसाद पुत्र प्यारे लाल भांग डीलर	81-82	–	33,000.00	35,000.00
17	5	उक्त	82-83	व्यापार नहीं है	–––	
18	5	,, राकेश एण्ड कं0 भांग डीलर	82-83	12,762.00		
19	7	,, राम औतार ताड़ी डीलर	80-81	23,789.72	40,000.00	8,103.28
20	7	,, व्रजपाल पुत्र श्री रामलाल भांग डीलर	80-81	–	33,800.00	33,296.37
21	7	,, रामऔतार ताड़ी डीलर	81-82	43,9600.00	89,600.00	25,089.02
22	7	,, ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम भांग डीलर	81-82	–	56,000.00	56,000.00
23	7	,, रामऔतार ताड़ी डीलर	82-83	26,324.80	अनिस्तरित	–––
24	7	,, पवन कुमार पुत्र सत्यप्रकाश भांग डीलर	82-83	1,269.25	84,000.00	84,000.00
25	8	,, श्री कान्त मिश्रा, उसेन गंज भांग डीलर	80-81	–	–	–
26	8	,, उक्त	81-82	–	–	–
27	8	उक्त	82-83	–	–	–
28	8	,, रामलाल ताड़ी डीलर	82-83	2,720.00	–	अनिस्तारित
29	9	,, सर्वश्री विजय प्रकाश त्रिवेदी पुत्र श्री देव लाल ताड़ी डीलर	80-81	–	–	–
30	9	,, विन्द्रा सिंह राम चन्द्र ताड़ी डीलर	80-81	14,728.00	64,000.00	49,572.00
31	9	,, विन्द्रा सिंह राम चन्द्र ताड़ी डीलर	81-82	16,411.08	72,000.00	55,589.00
32	9	,, अमर सिंह जगत पाल, भांग डीलर	82-83	–	38,500.00	38,500.00

1	2	3	4	5	6	7
33	10	सर्वश्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वल्ला बाबू, भांग डीलर	80-81	–	वाद अनिस्तारित	–
34	10	चेतर लाल पुत्र श्री गिरजा प्रसाद, भांग डीलर	80-81	–	वाद अनिस्तारित	–
35	10	,, राम चन्द्र पुत्र प्यारेलाल दिलदार डालीगंज	80-81	1,407.00	वाद अनिस्तारित	–
36	10	शंकर लाल पुत्र अलीगंज भांग डीलर	80-81	–	2,880.00	2,880.00
37	10	राम लाल पुत्र प्रभुदयाल राम सहाय पुत्र दुर्गा प्रसाद ताड़ी डीलर	80-81	–	वाद अनिस्तारित	–
38	10	,, राम स्वरूप पुत्र श्री नन्दलाल भांग डीलर	81-82	–	–	–
39	10	,, राम चन्द्र पुत्र श्री रामलाल, भांग डीलर	81-82	–	24,000.00	24,000.00
40	10	,, राम चन्द्र पुत्र राम लाल, भांग डीलर	81-82	–	–	–
41	10	,, पवन कुमार सत्य नारायन, भांग डीलर	81-82	–	24,000.00	24,000.00
42	10	,, राम कुमार शिव कुमार ताडी डीलर	81-82	–	4,300.00	4,300.00
43	10	,, सत्यनारायन पुर राम निवास ताड़ी डीलर	81-82	–	3,800.00	3,800.00
44	10	,, मुंशी पुत्र सूलेमान भांग डीलर	82-83	–	–	–
45	10	,, सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामकुमार भांग डीलर	82-83	–	–	–
46	10	,, मुकुट कुमार पुत्र श्यामकुमार भांग डीलर	82-83	–	–	–
47	11	,, बहादुर लाल पुत्र गयाप्रसाद ताड़ी डीलर	80-81	–	–	–
48	11	,, पुत्तू सिंह पुत्र श्री भगवानदीन सिंह ताड़ी डीलर	80-81	–	10,500.00	10,500.00
49	11	,, दिल बहादुर सिंह पुत्र रामेश्वर प्रसाद सिंह ताड़ी डीलर	80-81	–	–	–
50	11	,, यदुनन्दन सिंह भांग डीलर	80-81	–	26,500.00	26,500.00

1	2	3	4	5	6	7
51	11	सर्वश्री राम प्रसाद पुत्र भगत प्रसाद ताड़ी डीलर	80-81	—	—	वाद अनिस्तारित
52	11	,, मोहन लाल पुत्र सीताराम ताड़ी डीलर	81-82	—	—	—
53	11	,, सत्येन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद ताड़ी डीलर	81-82	—	—	—
54	11	,, मुन्नालाल गुप्ता राधेलाल गुप्ता ताड़ी डीलर	81-82	—	—	—
55	11	,, शिव मोहन पुत्र सीताराम ताड़ी डीलर	81-82	—	—	—
56	11	,, बाबूलाल पुत्र पुत्र राम विलास भांग डीलर	82-83	—	—	—
57	11	,, कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र विश्नुदयाल भांग डीलर	82-83	—	—	—
58	11	,, मुकुट कुमार पुत्र श्यामसुन्दर, भांग डीलर	82-83	—	—	—
59	11	,, राम कुमार पुत्र राम नारायन सिंह	82-83	—	—	—
60	11	,, श्याम लाल पुत्र राम नारायन, भांग डीलर	82-83	—	—	—
61	11	,, शिवबालक, काकोरी भांग डीलर	82-83	—	—	—
62	11	,, सुन्दर लाल भांग डीलर	82-83	—	—	—
63	11	,, नन्द किशोरी श्री राम बाबू, भांग डीलर	82-83	—	—	—
64	11	,, नन्द किशोर श्री राम बाबू, भांग डीलर	82-83	—	—	—

यू० पी० प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद—64 वि० सभा—5-12-83—(813 प्रतियाँ)

विधान सभा